लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

Preservation Unit
24-8-92
Fumigated On 30-7-85
Parliament Library

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची /CONTENTS

अंक 6, सोमवार, 19 नवम्बर, 1973/28 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 6, Monday, November 19, 1973/Kartika 28, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		पृष्ठ PAGES

101 लिटल अन्दमान में जंगल साफ करने से प्राप्त आय	Revenue from Forest cleared in Little Andamans	1
103 उर्वरकों की उपलब्धता	Availability of Fertilizers . . .	3
106 दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिये योजना	Scheme to Increase Production of Pulses	9
107 दिल्ली के गेहूं के कोटे में कटौती	Cut in Wheat Quota for Delhi . .	12
108 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में द्रुत परिवहन व्यवस्था	Rapid Transport system in National Capital Region	14
109 अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये संशोधित अधिनियमों की घोषणा	Amended Statutes for Aligarh Muslim University	15

किसी नाम पर अंकित यह +इस बात का घोतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्न संख्या / S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
	प्रश्नों क लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
102	तेल पोतों (टैंकरों) का अधिग्रहण	Acquisition of Tankers . . .	19
104	समुद्र तटीय नौवहन के टन-भार में वृद्धि	Increase in Coastal Shipping Tonnage	19
105	खाद्य और औषधि अपमिश्रण के मामले	Cases of Food and Drug Adulteration .	19
110	सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-जापानी आयोग	Indo-Japanese Commission on Cultural Co-operation.	22
111	दिल्ली की दूर-दूर की कालोनियों में दिल्ली परिवहन निगम की अपर्याप्त बस सेवा	Inadequate D.T.C. Bus Service in far flung Colonies of Delhi . . .	22
112	बीजों का उत्पादन बढ़ाना	Stepping up of Seed production .	22
113	चावल की विभिन्न किस्मों के मूल्य निश्चित करने के लिये मैसूर का प्रस्ताव	Proposal from Mysore for fixing price of different varieties of Rice . .	23
114	बहुत से राज्यों की भूमि में जस्ते का अभाव	"Many States have soils deficient in Zinc"	23
115	खाद्य अपमिश्रण करने वालों को आजीवन कारावास	Life Sentence to Food Adulterators	24
116	विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन	Sen Committee Report on revision of University and College Teachers' Grade	24
117	अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यानों का थोक व्यापार	Wholesale Trade in Foodgrain in scarcity Areas	25
118	अफ्रीकी समुद्र-तट से दूर भारतीय जहाज "मोबिल पैट्रोलियम" में सितम्बर 1973 में आग	Fire on Indian Ship "Mobil Petroleum" off the African Coast in September, 1973 . . .	25
119	कृषि के लिये सहायक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाना	Freeze on price of Farm inputs	25
120	कोचीन शिपयार्ड का यू० के० की एक फर्म के साथ ठेका	Cochin Shipyard's Contract with U.K. Firm	26

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1002	बजरों (बार्जेस) पर सिंचाई (पम्पों से) योजना आरंभ करना	Introduction of Irrigation (Pumping) Scheme on Barges	26
1003	लद्दाख में एक बांध निर्माण	Construction of a Dam in Ladakh.	27
1004	कुओं से पानी खींचने के लिये पन-चक्कियां	Wind Mills for drawing water from wells	27
1005	मोटे अनाज का चोरी-छिपे दिल्ली में लाया जाना	Smuggling of coarse grain into Delhi	27
1006	ग्रामीण आवास योजना	Rural Housing Scheme	27
1007	अमरीका से मूलजनक मुर्गियां	Brood Hens from America . .	28
1008	आन्ध्र प्रदेश में जिला सहकारी विपणन समितियों को घाटा	Losses of District Co-operative Marketing Society in Andhra Pradesh .	28
1009	निःशुल्क प्राथमिक माध्यमिक तथा कालिज स्तर की शिक्षा	Free Primary, Secondary and College Education	28
1010	सेंट्रल इंस्टीच्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज कोचीन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by workers of Central Institute of Fisheries Operatives, Cochin .	29
1011	खाद्यान्नों में कीटनाशक दवाओं के मिलाने को रोकने के उपाय	Step to check mixing of pesticides in foodgrains	30
1012	ग्रेटर कैलाश पार्ट II, नई दिल्ली में बिजली और पानी	Electricity and water in Greater Kailash Prat II, New Delhi . . .	31
1013	मलेरिया उन्मूलन के लिये धनराशियों का आवंटन	Allocation of Funds for eradiction of Malaria	32
1014	कलकत्ता की एक फर्म द्वारा चावल की शक्ल के पत्थर के टुकड़े काटने वाली मशीन के लिये क्रयादेश	Order by Calcutta Firm for a machine to cut stones in shape of rice .	32
1015	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय की चयन समिति द्वारा नियुक्तियां	Appointments by Selection Committee of Medical Faculty of A.M.U. . .	32
1016	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर लिखे गये नारे	Slogans written on D.T.C. Buses during Delhi University Students Union Elections	32
1017	राज्यों में सूखे के कारण हुई क्षति	Loss due to drought in states	33
1018	गुजरात में बाढ़ों के दौरान पुलों की क्षति	Damage to bridges during floods in Gujarat	34

अता०प्र० संख्य U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1020	गुजरात में पेय जल की कमी	Drinking water shortage in Gujarat	34
1021	भूमिगत जल संसाधन	Ground water Resources . . .	35
1022	पांचवीं योजना में कृषकों को ऋण देने के लिये स्वतंत्र संगठन	Independent Organisation for advancing loans to farmers during Fifth Plan	35
1023	एकाधिकारियों, जमाखोरों, चोर बाजारी करने वालों तथा जमीदारों के विरूद्ध कार्यवाही	Steps against Monopolists, Hoarders, Black-Marketeers and Landlords .	35
1024	नई दिल्ली नगर पालिका के कार्यक्षेत्र में स्थान, दुकानों तथा शो रूमज़ का आवंटन	Allotment of Place, shops and Showrooms in the operation area of N.D.M.C.	36
1025	तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गए व्यक्ति	Persons sent abroad for Technical Training . . .	36
1026	खाद्य तथा औषध अपमिश्रण को रोकने के लिए विशेष सेल	Special cell to tackle Food and Drug Adulteration	37
1027	हिन्दुस्तान लेटक्स फैक्टरी, त्रिवेन्द्रम का विस्तार	Expansion of Hindustan Latex Factory, Trivandrum	38
1028	बेलियाघाट हाऊस, जहां महात्मा गाँधी ठहरे थे को राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करना	Conversion of Beliaghata House where Mahatma Gandhi stayed into a National Memorial . . .	38
1029	सितम्बर, 1973 के दौरान दिल्ली में भारत रक्षा नियम के अन्तर्गत गिरफतार किए गए भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी	Employees of F.C.I. Arrested under D.I.R. in Delhi During September, 1973	39
1030	भवन निर्माण के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन को ठेका देना	D.M.C. contract for construction of Buildings with N.B.O. . . .	41
1031	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से करार	Agreement with National Buildings Organisation	41
1032	पांचवीं योजना में मत्सय पालन को प्रोत्साहन	Incentives to Fishing during Fifth Plan	41
1033	मध्य प्रदेश के सरगुजा ज़िले के भिरमिन कस्बे में पीने के पानी की सुविधाएं	Drinking water facilities in the towns of Bhirmin of Sarguja District of Madhya Pradesh .	42
1034	प्रशिक्षण शिविरों के लिए राष्ट्रीय खेलकूद फैडरेशन को सहायता	Assistance to National Sports Federation for coaching camps	42

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1035	भारत और इराक के बीच संस्कृतिक समझौता	Cultural Agreement between India and Iraq	43
1038	कलकत्ता में मछली के मूल्य म वृद्धि	Rise in Price of Fish in Calcutta . .	43
1039	मछुआ जहाजों के आयात के लिए एकाधिकार गृहों से आवेदन पत्र	Application from Monopoly Houses for import of Fishing vessels . .	44
1040	मच्छरों के उन्मूलन के लिए योजनाएं	Schemes to eradicate Mosquitoes .	44
1041	चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने के संबंध में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की राय	Options of U.P., A.P. and Orissa Chief Ministers conference on take over of wholesale trade in rice . .	45
1042	आंध्र प्रदेश को उर्वरकों के आवंटन और अन्य राज्यों को उसका वितरण	Allotment fertilizer to A.P. and its distribution to other States .	45
1043	पिछड़े क्षेत्रों में चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय/पत्र, लाइसेंस	Letters of Indent/Lincences issued for starting sugar factories in backward areas	46
1044	जलोदर (ड्रॉपसी) का महामारी के रूप में फैलना	Cases of epidemic Dropsy .	47
1045	खाद्यान्न का भंडार	Stocks of Food grains	48
1046	दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में ह्रास	Deterioration in D.T.C. Bus Service	48
1047	सैंट्रल बोर्ड रिसर्च इन्स्टीटयूट द्वारा दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करना	Concern over increasing road accidents in Delhi by Central Road Research Institute . . .	49
1048	मल निष्कासन योजना	Sewerage Scheme . . .	50
1049	मार्ग में आयातित गेहूं को क्षति	Damage to imported wheat in transit .	50
1050	'एफ० सी० आई० सिंकिंग अन्डर वेट आफ यूनियन शीर्षक' के अन्तर्गत समाचार	News under the heading—"F.C.I. sinking under weight of Unions"	51
1051	मोती नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय का निर्माण	Construction of C.G.H.S. Dispensary in Moti Nagar, New Delhi . .	51
1052	सैक्टर डी, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में दुग्ध डिपो	Milk Depots in Sector 'D' Mandir Marg, New Delhi	51

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1053	मंदिर मार्ग नई दिल्ली के टाइप II तथा टाइप III क्वाटरों के बीच पैट्रोल पम्प	Petrol pumps in the space between Type II and III Quarters of Mandir Marg, New Delhi	52
1054	पंजाबी गार्डन नई दिल्ली–26 के निवासियों द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by the residents of Punjabi Garden, New Delhi-26	52
1055	प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए स्नातकोत्तर परीक्षाएं	Post Graduate Examinations for Private candidates	53
1056	भेड़ों की संख्या	Population of sheep	53
1057	बंगलौर में मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष किस्म का गेहूं	Special variety of wheat for Diabeties in Bangalore	54
1059	दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रियों का लूटा जाना	Robbing of Passengers in D.T.C. Bus	55
1060	हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में पेय जल योजनाएं	Drinking Water Scheme in the States of Himachal Pradesh and Punjab .	55
1061	पांचवीं योजना के दौरान नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रास्तव	Proposals for opening of new Central Universities during 5th plan . .	56
1062	पहाड़ी राज्यों के अर्द्ध पहाड़ी क्षेत्रों में बारानी खेती	Dry Land Farming in Sub-Mountaneous Area of Hill States . . .	56
1063	केरल में उर्वरकों की कमी	Shortage of Fertilizers in Kerala	57
1064	खेल कूद संबंधी नीति पर सरकार द्वारा पुर्नविचार	Review of Government Policy on Sports and Games . . .	58
1065	केरल में निरक्षरता उन्मूलन	Eradication of illiteracy in Kerala	59
1066	कोचीन शिपयार्ड में 6 अक्तूबर 1973 को काम बन्द होना	Work at a standstill at Cochin Ship yard on 6-10-1973	59
1067	ओड़ीसा यार्ड (यू० एस० एस० आर०) द्वारा भारत के लिए मोटर शिप बनाना	Motor Ship built by Odessa Yard (U.S.S.R.) for India . . .	59
1068	चावल पर सरकारी नियंत्रण की नीति का समायोजन और पुर्ननिर्धारण	Readjustment and Rephasing of the Policy on Rice take over . .	60
1069	भवन निर्माण और कोचीन शिपयार्ड की गोदियों तथा घाटों की मरम्मत	Construction of Buildings and repairs to Docks and Quays of Cochin Shipyard	61

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1070	रबड़ के बीज धन देने वाले रोजगार के रूप में	Rubber Seeds as Wealth Providing Employment	61
1071	रतलाम में अक्तूबर 1973 में वितरित की गई शक्कर में लोहे के कण	Iron fillings in sugar distributed in Ratlam in October, 1973 . .	61
1072	मोरीगेट दिल्ली के लिए गन्दा बस्तियां हटाने की योजना	Slum Clearance Scheme for Mori Gate, Delhi	62
1073	उर्दू की प्रगति के बारे में गुजराल समिति	Gujral Committee on Advancement of Urdu	62
1074	दिल्ली में नर्सों की हड़ताल के दौरान दिए गए आश्वासन	Assurances during Nurses strike at Delhi	62
1075	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Aligarh Muslim University Act	64
1076	खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान संस्थान द्वारा आश्वासन दिया जाना	Central Saline Research Institutes Assurance on raising Food Production.	64
1077	काश्तकार कानूनों में समानता लाने में प्रगति	Progress in achieving Uniformity in Tenancy Laws	65
1078	कर्णाटक के लिए खाद्यान्न का मासिक कोटा	Monthly Quota of Foodgrains for Mysore.	65
1079	पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न के कोटे में की गई कटौतों को समाप्त करना	Restoration of Cut in Quota of West Bengal in Foodgrains . . .	66
1080	जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों में 'स्टेडियम' बनाने के लिए राज्यों की सहायता करने की योजना	Stadiums in District Headquarters and State capitals.	66
1081	देश के बच्चों का अंधा हो जाना	Blindness among children in the Country	67
1082	राष्ट्रीय निधियों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यास	National Trust for National Treasures	68
1083	विभिन्न राज्यों में राशन के आवंटन की पद्धति	System of distribution of Ration in various States	68
1084	विद्यार्थियों द्वारा जला दी गई दिल्ली परिवहन निगम की बसें और प्राइवेट बस परिचालकों को अवसर देना	D.T.C. Buses burnt by students and chance to Private Bus operators .	68

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1085	राज्यों द्वारा धान के वसूली मूल्य में परिवर्तन	Alteration in procurement Price of Paddy by States	69
1086	दिल्ली विश्वविद्यालय में एक छात्रा से बलात्कार	Rape of girl student in Delhi University	69
1087	लाल किले में पटेल जयन्ती के समारोह को मनाने की अनुमति से इन्कार	Permission for celebration of Patel Jayanti in Red Fort . . .	69
1088	दीवाली के अवसर पर दिल्ली में वनस्पति घी का वितरण	Distribution of Vanaspati in Delhi on Diwali occasion	69
1089	मलेरिया उन्मूलन पर वार्षिक व्यय	Annual Expenditure of Malaria Eradication	70
1090	निर्माण और आवास मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता	Overtime allowance paid to the Employees working in the Ministry of Works and Housing	70
1091	गेहूं पर से नियंत्रण का हटाना	Decontrol of wheat .	70
1093	गुजरात में चीनी के कारखाने	Sugar factories in Gujarat .	71
1094	मछुआ नावों का आयात और उनका राज्यों को आवंटन	Import of Fishing Trawlers and their Allotment to States . . .	71
1095	गुजरात के लिए ग्रामीण सड़क कार्यक्रम पर परिव्यय	Outlay on Rural Roads Programme for Gujarat	71
1096	चालू रबी के मौसम में खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains during current Rabi season . . .	72
1097	चावल का उत्पादन	Production of Rice . .	73
1098	मंगलौर बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश के विकास के लिए समिति	Committee for Development of Hinterland of Manglore Harbour . .	73
1099	आवास परियोजनाओं के लिए राज्यों को जीवन बीमा निगम के ऋणों में से आवंटन	Allocation from L.I.C. Loan for Housing Projects to States . .	74
1100	भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद	Indian Council of Philosophy . .	75
1101	श्री जग्गनाथ मंदिर, पुरी का मरम्मत कार्य	Repair work of Shri Jagannath Temple, Puri	75
1102	उड़ीसा में गेहूं का प्रति माह उपभोग किए जाने वाला कोटा	Quota of consumption of wheat per Month in Orissa	76
1103	कुछ राज्यों द्वारा कृषि के नए तरीकों का उपयोग न किया जाना	Non-exploitation of New Strategy in Agriculture by some States . .	76

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1104	पूजा के दिनों में पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कमी	Shortage of Mustard oil in West Bengal during Puja Days	77
1105	भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेंटों द्वारा भ्रष्टाचार	Corruption by Private Storing Agents under F.C.I.	77
1106	छात्रों में संस्कृति ह्रास	Students suffering from Cultural Degeneration	78
1107	दिल्ली विकास प्राधिकरण के जीपों, मिनी-बसों और कारों के प्रयोग के संबंध में होने वाला व्यय	Expenditure on use of Jeeps, Mini Buses and Cars of D.D.A. . .	78
1108	राजस्थान के किसानों को सप्लाई किए गए यूरिया के बोरों पर नाइट्रोजन की गलत प्रतिशतता अंकित करना	Wrong Marking of Percentage of Nitrogen on Bags of Urea supplied to Farmers of Rajasthan . . .	78
1110	धौलपुर के निकट चम्बल नदी पर पुल	Bridge on Chambal River near Dholpur	79
1111	केन्द्रीय मंत्रियों के पास कृषि भूमि	Cultivable Land in Possession of Union Ministers	79
1112	तमिलनाडु में निरक्षरता का उन्मूलन	Eradication of illiteracy in Tamil Nadu	80
1114	सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट उपरि पुल	Fly over near Safdarjang Airport, New Delhi	80
1115	सरकारी भवन के निर्माण तथा रख-रखाव में मितव्ययता बरतने के लिए अनुदेश	Instructions for Economy in Construction and Maintenance of Government Buildings	81
1116	मैसूर के लिए अतिरिक्त माइलो	Additional Milo for Mysore	81
1117	परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के लिए निर्धारित धमराशि में कटौती	Slashing Allocation for Programme for Family Planning . . .	82
1118	केन्द्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्था द्वारा राजस्थान रेगिस्तान को हरा भरा करने में योगदान	Contribution of Central Aid Zone Making Research Institute in making Rajasthan Desert Bloom . .	82
1119	खरपतवार नाशक दवाइयों को उपलब्ध कराना	Availability of weedicides . . .	83
1120	कालेजों के लिए स्वायत्तता	Autonomy for colleges .	84
1121	परिवार नियोजन के बारे में विचार-विमर्श करने हेतु जापानी प्रतिनिधि-मंडल का दौरा	Japanese Delegation's visit to discuss Family Planning	85

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1122	गन्ने के मूल्य में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in Sugar-cane Price . . .	85
1123	दिल्ली परिवहन की बेकार पड़ी बसें	D.T.C. Buses unservicable . .	86
1124	भाड़े को विनियमित करने के लिए दिल्ली में स्कूटरों और टैक्सियों में नए प्रकार के मीटर	New Type of Meters in scooters and taxis in Delhi to regulate fare .	86
1125	दिवाली के अवसर पर हलवाइयों को घी इत्यादि दिया जाना	Supply of Ghee etc. to Halwais on Diwali Occasions . .	86
1126	बहराईच, उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में यूक्लिपटस के वृक्षों को लगाना	Planting of Eucalyptus in forest area of Baharaich . .	86
1128	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन	Conference held by National Seed Corporation . .	87
1129	चीनी उद्योग विकास परिषद द्वारा चीनी उद्योग की लाइसेंस क्षमता बढ़ाने संबन्धी दिए गए सुझाव	Suggestion by Development Council for Sugar Industry to increase licensing Capacity of Sugar industry .	87
1130	राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Commission on Agriculture	87
1131	बड़े पत्तनों में शुष्क गोदी सुविधाएं	Dry Dock facilities at Major Ports .	88
1132	"व्हीट परचेज सस्पेंडिड" शीर्षक से समाचार	News item captioned "wheat purchases suspended" . . .	88
1133	एल्लेपी पत्तन को कोचीन को एक सहायक पत्तन घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to declare the port of Alleppy as a subsidiary port of Cochin .	89
1134	कन्ननूर में केन्द्रीय विश्वविद्यालय	Central School at Cananore	89
1135	गृह निर्माण ऋण	House Building Loan . . .	90
1136	सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण के बारे में प्रतिबंध	Restrictions on Loan for Home Building to Government Employees . .	90
1137	वर्ष 1973-74 में गृह निर्माण ऋण देना	Advance of House Building Loan in 1973-74	90
1138	सरकारी कर्मचारियों से गृह निर्माण ऋण की सुविधाओं को वापस लेना	Withdrawal of House Building Loan to Government Employees . . .	91
1139	पश्चिम बंगाल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के वितरण में कथित कदाचारों की जांच करने के लिए आयोग	Commission to inquire into alleged malpractices in distribution of wheat by F.C.I. to West Bengal. . .	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1140	फसल संबन्धी आशाओं पर पानी फिरना	"Crop Hopes belied"	91
1141	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की लागत	Value of Construction Works done by C.P.W.D.	92
1142	पश्चिम बंगाल के अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिशें	Recommendations of Inland Water Transport Committee for West Bengal	92
1143	दोषी रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्य-वाही	Steps against erring Rickshaw drivers	93
1144	बिहार में बाढ़ों एवं सूखे के कारण क्षति	Loss due to drought in Bihar.	93
1145	प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	Setting up of Central University in each State	94
1146	हृदय रोग के मामलों में वृद्धि	Increase of Heart disease cases	95
1147	सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता	Financial Assistance to cultural Institutions	95
1148	सभी प्रस्तावित भवनों के निर्माण पर रोक	Ban on construction of all proposed Buildings	95
1149	कमला नेहरू मेमोरियल हाई स्कूल, वाटनपाली को केन्द्रीय अनुदान	Central Grant to Kamla Nehru Memorial High School, Watnapali . .	96
1150	दिल्ली के बाड़ा हिन्दु राव अस्पताल में एक डाक्टर द्वारा रोगी के रिश्तेदार के साथ कथित बलात्कार के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन	Inquiry Commission report on the alleged rape of a relative of a patient by a doctor in Bara Hindu Rao Hospital in Delhi	96
1151	भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू में गड्ढ़ों में खाद्यान्नों को जमा किया जाना	Foodgrains into pits by F.C.I., Jammu .	96
1152	"आन प्राइसिज़ एण्ड फूड थ्री स्टेप्स बैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item captioned "on prices and food three steps back" . . .	97
1153	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी में कालेजों के लिए भूमि का आवंटन	Allotment of land to Colleges in the Capital by D.D. A. . . .	97
1154	नई दिल्ली के बंगलों को क्षेत्र भूमि को कम करने संबन्धी कार्यक्रम का अध्ययन	Study of the programme for redensification of the bungalow area of New Delhi	98

अता प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पष्ठ PAGES
1155	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों को भूमि के स्थान पर फ्लैटों का आवंटन	Allotiment of Flats instead of land to Co-operative House Building Societies in Delhi	98
1156	प्राय: सूखाग्रस्त रहने वाले जिलों के लिए सूखा संहिता बनाया जाना	Development of drought code for drought prone districts	98
1157	सरकारी बस्तियों में झुग्गियां और झोंपड़ियां	Jhuggis and Jhonparis in Government Colonies	99
1158	शिक्षा नीति का पुर्ननिर्धारण	Reshaping of Educational Policy .	100
1159	मुद्रण प्रोद्योगिकी संस्थानों का दर्जा बढ़ाया जाना	Upgrading of Institutes of Printing Technology	100
1160	मुद्रण प्रोद्योगिकी संस्थानों का कार्य संचालन	Running of Institutes of Printing Technology	100
1161	विश्वविद्यालय में छात्र अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी	Indiscipline and rowdism by Student Community in Universities . .	101
1162	राष्ट्रीय खाद्य नीति	National Food Policy . .	101
1163	खरीफ की फसल की वसूली कीमत निर्धारित करना	Working out of Procurement price of Kharif Crop . . .	101
1164	पूर्वी क्षेत्र की सहकारी समितियों के कार्य के बारे में जांच	Enquiry into Affairs of Co-operative Societies of Eastern Region . .	102
1165	पूर्वी क्षेत्र में खरीफ की फसल का उत्पादन	Output of Kharif Crop in Eastern Region . .	102
1166	नडियाड, गुजरात में गन्ना उत्पादन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता	Financial help to Farmers for Sugarcane Production in Nadiad, Gujarat	103
1167	फसलों के रख-रखाव संबन्धी जानकारी का प्रसार	Dissemination of knowledge of crop Management	103
1168	पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नगरों के विकास के लिए अलग क्षेत्र	Separate Sector for Development of Cities during the Fifth Five Year Plan	104
1169	भारतीय खाद्य निगम के आसाम स्थित गोदामों से चावल की चोरी	Rice Missing from Godowns of F.C.I. Assam	104
1170	पब्लिक स्कूल	Public Shools .	105
1171	पांचवीं योजना के लिए खाद्यान्नों के लक्ष्य	Grain Target for Fifth Plan .	105
1172	हजरा में पोत निर्माण कारखाने की स्थापना की जांच करने संबन्धी दल	Team to examine setting up of shipyard at Hajira	106

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1173	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने की व्यवस्था	Provision for more employment of Rural people under Fifth Plan . .	106
1174	गुजरात में दुग्ध चूर्ण की कमी और देश में दूध का वितरण	Shortage of Milk Powder in Gujarat and Milk distribution in the Country .	107
1175	संसद भवन में आवास की मांग को पूरा करने के लिए नई इमारत	New Building to meet demand of accommodation in Parliament House	108
1176	नालन्दा संग्रहालय से चुराई गई भगवान बुद्ध की मूर्तियों की अमरीका में प्रदर्शनी	Exhibition in U.S.A. of Idols stolen from Nalanda Museum . . .	109
1177	गेहूं की खरीद के लिए विदेशों में कार्यालयों की स्थापना	Opening of Offices in Foreign Countries for purchase of Wheat. . . .	109
1178	चीनी कारखानों के विस्तार की योजना	Plan for expansion of sugar Plants	109
1179	टाइम कैपसूल (कालपात्र) में दबाए गए ऐतिहासिक दस्तावेजों का पाठ	Text of Historical Documents burried with time capsule	110
1180	कोयम्बतूर में पेय जल की कमी	Scarcity of drinking water in Coimbatore	111
1181	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली सैक्टर 'डी' में आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानों तथा कम्यूनिटी हाल का निर्माण	Construction of Shops and Community Hall in sector 'D' Mandir Marg, New Delhi . . .	111
1182	मालवन पत्तन (महाराष्ट्र) की स्टीमर सर्विस का बन्द किया जाना	Closure of Port Malvan (Maharashtra) for steamer Service . . .	111
1183	बंगलौर पैलेस को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Bangalore Palace .	112
1184	भारतीय खाद्य निगम के पटना स्थित गोदाम से सड़े हुए गेहूं का लापता होना	Rotten wheat disappeared from F.C.I. Godown, Patna	112
1185	यमुना पार क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा	D.T.C. Bus Service in trams-Yamuna area	112
1186	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विधि अध्ययन के लिए प्राइवेट पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना	Starting of private course in law by University of Delhi . . .	113
1187	भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अचानक जांच	Secret checking in D.T.C. buses to stop corruption	113

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1188	केसरी दाल की बिक्री पर रोक	Ban on sale of Kesari Dal . . .	113
1189	बिहार के लिए गेहूं के कोटे में कटौती	Cut on wheat quota for Bihar . .	114
1190	चावल के वसूली मूल्य में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार की मांग	State Government's demand for increase in procurement price of rice . .	114
1191	उत्तर प्रदेश के हरिजनों को भूमि सुधार का लाभ	Benefit of Land Reform to Harijans of Uttar Pradesh . . .	114
1192	हस्तिनापुर, मध्य प्रदेश में पाई गई प्राचीन धूप दीपिकायें	Ancient Incense Burners found near Hastinapur, M. P. . . .	115
1193	भूमिहीन श्रमिकों को प्लाट	Plot for Landless Labourers .	115
1194	दिल्ली में बगीचों के विकास के बारे में तकनीकी जानकारी देने के लिए समिति	Committe for providing Technical and Professional know-how for the Development of gardens in Delhi . .	116
1195	नदियों द्वारा भू कटाव के परिणामस्वरूप हानि	Loss due to erosion of Land by Rivers .	117
1196	दिल्ली में उचित दर दुकानों पर जाली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards at Fair Price Shops in Delhi	117
1197	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्रों की संख्या	Number of Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic Research Centres .	117
1198	विदेशी दन्त चिकित्सकों द्वारा कृत्रिम दांतों के बजाए असली दांतों को लगाना	Refixing of original teeth instead of artificial teeth by Foreign Dentists .	117
1199	राज्यों में खाद्यान्नों की उत्पादन लागत	Production Cost of Foodgrains in States	118
1200	केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चावल के मूल्य के बारे में मध्य प्रदेश का अप्रसन्न होना	Madhya Pradesh Government's dissatisfaction regarding price of rice fixed by Central Government . . .	119
1201	इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एसोसिएशन से किसानों को ऋण	Credit to Farmers from International Development Association . .	120
	अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	121
	धनबाद के निकट सिजुआ कोयला खान में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप पांच मजदूरों की मृत्यु का समाचार	Reported death of five labourers due to police firing at Sijua Coal Mine near Dhanbad	121

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	121
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . .	124
विशेषाधिकार का प्रश्न—	Question of Privilege—	
जे० के० आर्गेनाइजेशन के सचिव द्वारा जारी किया गया प्रेस वक्तव्य	Press statement issued by Secretary J.K. Organisation	126
सदस्य पर आक्रमण के बारे में	Re. Assault on Member .	127
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table .	128
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	Arrest and Release of Member	129
श्री अजीत कुमार साहा	Shri Ajit Kumar Saha . .	129
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	Committee on Subordinate Legislation	129
9वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	Ninth Report--presented . .	129
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक	Presidential and Vice Presidential Elections (Amendment) Bill	129
(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	(i) Report of Joint Committee—Presented	129
(दो) साक्ष्य—सभा पटल पर रखा गया	(ii) Evidence—Laid .	129
समिति के लिए निर्वाचन	Election to Committee .	129
पशु कल्याण बोर्ड	Animal Welfare Board .	129
प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Press Council (Amendment) Bill Introduced	130
प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1973 के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया	Statement Re. Press Councii (Amendment) Ordinance, 1973 Laid	130
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 . . .	130
(एक) भारतीय खाद्य निगम में कुछ कमचारियों की छंटनी	(i) Retrenchment of Employees in Food Corporation of India . .	130
(दो) विमान ईंधन की भारी कमी के कारण उड़ानों का रद्द किया जाना	(ii) Cancellation of Flights due to acute shortage of Aviation Fuel . .	131
होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव	Homoeopathy Central Council Bill— Motion to consider	131
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	132
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	133
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	133
डा० संकटा प्रसाद	Dr. Sankata Prasad .	133
श्री रणबहादुर सिंह	Shri Ranabahadur Singh . .	134

37 L.S.S./73—2

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बासिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडाला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री बी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० ग्रार० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री ग्रार० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (ग्रंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० ग्रार० (ग्रन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (ग्रलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० ग्रार० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री ग्रार० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित ग्रासाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० बी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री ग्रमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री ग्रमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (वलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृषनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थसारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

वसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
वसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
वाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मादी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाड़ा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी श्री बी० एन० (निरायलगूडा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडि-वनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदुकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)

शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोबीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरु)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पसवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरूल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री . .	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री ·	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री .	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	134
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	134
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	Shri Chandulal Chandrakar .	134
श्री ए० के० किस्कू	Shri A. K. Kisku .	135
खंड 2 से 33 और 1	Clauses 2 to 33 and 1 .	137-140
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya	136
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	136
श्री ए० के० किस्कू	Shri A.K. Kisku	137
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	137
श्री ए० के० किस्कू	Shri A.K. Kisku	137
सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Code of Civil Procedure (Amendment) Bill—Motion to consider . .	140
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary .	140
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . .	140
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan .	141
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	141
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1 .	142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	142
श्री नीतिराज सिंह चौधरी	Shri Nitiraj Singh Chaudhary . .	142
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Annual Reports of University Grants Commission . .	143
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	143
श्री बीरेन दत्त	Shri Biren Dutta .	143
श्री सुधाकर पांडे	Shri Sudhakar Pandey . . .	145
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty .	146
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	147
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . .	148
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar . .	150
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	150
केरल को सप्लाई किये गये चावल की मात्रा और किस्म	Quality and Quantity of Rice Supplied to Kerala	150
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C.K. Chandrappan	150
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde .	152

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)

LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 19 नवम्बर 1973/28 कार्तिक, 1895 (शक)

Monday, November 19, 1973/*Kartika* 28, 1895 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लिटल अन्दमान में जंगल साफ करने से प्राप्त आय

*101. **श्री वयालार रवि :**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या **कृषि** मंत्री लिटल अन्दमान में जंगल साफ करने से प्राप्त आय के बारे में 20 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3581 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली है; और यदि हां, तो वह क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जी हां। अतारांकित प्रश्न सं० 3581 के उत्तर में दिए गए विवरण की अपेक्षित प्रतियां संसद कार्य विभाग को भेज दी गई हैं। तथापि उसमें दिया गया विवरण निम्नलिखित है :—

लिटल अन्दमान द्वीप के कुल 6000 एकड़ वन क्षेत्र में निकोबार के निवासियों के 300 परिवारों को बसाने की अन्दमान प्रशासन की एक योजना है। 1973-74 के दौरान 500 एकड़ क्षेत्र में निकोबार के केवल 50 परिवार बसाए जाने हैं। निकोबार के शेष 250 परिवारों को पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाकी 5,500 एकड़ क्षेत्र में बसाने का प्रस्ताव है। इस कार्य के लिए सरकार को किसी वन क्षेत्र को साफ करने की जरूरत नहीं है। वन क्षेत्र को अलाटी स्वयं ही साफ करेंगे। अब तक केवल 15 एकड़ क्षेत्र से वाणिज्यिक इमारती लकड़ी काटी गई है।

अलाटियों ने लगभग 594 घन मीटर वाणिज्यिक इमारती लकड़ी काट कर बेची है। वन विभाग ने चालू योजनावधि के दौरान निकोबार निवासियों द्वारा सफाई के लिए प्रस्तावित 500 एकड़ वन क्षेत्र की वाणिज्यिक लकड़ी पर रायल्टी के तौर पर 3,22,712.30 रुपये राजस्व विभाग के नामें डाले हैं।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय द्वारा दिय गये उत्तर से पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है। सब यह बात जानते हैं कि समस्त वन सम्पदा को बिड़ला बन्धुओं के पास बेच दिया गया है और उनका समूचे व्यापार पर नियंत्रण है। यहां मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार वहां केवल 500 परिवारों को बसाना चाहती है और इसलिये विभाग द्वारा वाणिज्यिक इमारती लकड़ी को टेंडर पर दिये जाने अथवा साफ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही 3,22,000 रुपये के दावे प्राप्त हुए हैं । ये दावे किन लोगों से प्राप्त हुए हैं ? बन विभाग का यह कर्तव्य था कि वह वनों को साफ़ करता तथा इसे राजस्व विभाग को इन परिवारों को देने के लिये सौंप देता। ऐसा करने की बजाय उसने किसी व्यक्ति को आने दिया और इसे साफ करने दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय विभाग के लिये अधिक राजस्व करने के हेतु क्या करना चाहते हैं।

प्रो० शेर सिंह : 3,22,000 रुपये की राशि रॉयल्टी के, जिस का मैंने अभी अभी उल्लेख किया है, तौर पर राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को दी जानी है। निकोबार निवासियों ने स्वयं ही वनों को साफ करना है। उसके लिये उन्हें 100 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें मकान के निर्माण, वनों को साफ़ करने आदि के खर्च सहित लगभग 2,000 रुपये प्रति परिवार दिया जाता है। अब तक लगभग 15 एकड़ भूमि को साफ़ किया गया। कार निकोबार के निवासी इसके लिये कम आ रहे हैं। हम वहां जाकर बसने के लिये उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : आप बड़े पैमाने पर इमारती लकड़ी को साफ़ कर रहे हैं। आप इस इमारती लकड़ी का क्या कर रहे हैं। क्या स्वयं विभाग इमारती लकड़ी को साफ करेगा ?

प्रो० शेर सिंह : हम वन विभाग की लगभग 2,700 हैक्टेयर भूमि को साफ़ कराने के लिये सोच रहे हैं। उसके लिये हमने टेंडर मांगें हैं। अब हमारा विचार है कि विभाग को स्वयं इसे साफ करना चाहिये। हमारी योजना है कि पांचवीं योजना में वन विकास निगम की स्थापना की जाये।

श्री वयालार रवि : मेरी जानकारी यह है···

अध्यक्ष महोदय : सूचना देने की बजाय आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वयालार रवि : इमारती लकड़ी एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। इमारती लकड़ी काट ली जाती है और उसके बाद उसे आग लगा दी जाती है। मंत्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्रीय हित की रक्षा करे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि लोगों द्वारा इमारती लकड़ी को आग लगा दी जाती है? क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि क्या ऐसा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कह सकते हैं कि उसे आग लग गयी थी।

प्रो० शेर सिंह : सामान्यतः वाणिज्यिक इमारती लकड़ी को आग नहीं लगायी जाती है। इसका उपयोग भवनों के लिये जटियों और पनकटों के निर्माण के लिये किया जाता है। अब जब कि जेटी लगभग तैयार हो चुकी है और पनकट का पहले ही निर्माण किया जा रहा है, तो इमारती लकड़ी का निर्यात करना संभव हो गया है। मैं हाल ही में स्वयं वहां गया था और मैंने उन्हें मूल्यवान इमारती लकड़ी को न जलाने के लिये, तथा इसे सुरक्षित रखने के लिये कहा।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने अपना उत्तर बहुत स्पष्ट दिया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक ऐसी योजना बनायी है जिसके द्वारा वहां बसने वाले व्यक्तियों को भूमि साफ़ करने के लिये 100 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है। उस इमारती लकड़ी का क्या किया जाता है जो वे काटते हैं? ये लकड़ी उन्हीं लोगों के द्वारा बेची जाती है अथवा सरकार या वन निगम द्वारा?

प्रो० शेर सिंह : जहां तक निकोबार के निवासियों का संबंध है, उन्हें वन की भूमि साफ़ करने के लिये 100 रुपये प्रति एकड़ की दर से दिया जाता है। वे इसका उपयोग कर सकते हैं अथवा बेच सकते हैं। जब मैं वहां गया था, तो मैंने देखा कि केवल छः परिवार वहां गये हैं। केवल 15 एकड़ भूमि को निकोबार के निवासियों ने साफ़ किया है। उनमें कुछ लोगों ने अपने मकानों तथा नावों के निर्माण के लिये इमारती लकड़ी का उपयोग किया। मेरे पास पूरे विवरण नहीं हैं कि उन्होंने उनका किस प्रकार इसका उपयोग किया।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि चूंकि सरकार समय पर वनों को साफ़ करने में असफल रही है, इसलिये अंडमान वनों में ताड़ के बीजों की खेती करने का सरकार द्वारा परिकल्पित कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ा है? क्या यह भी सच है कि आयात किये गये बीज बम्बई पत्तन पहुंच चुके हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वन को साफ़ नहीं किया गया है और खेती करने के लिये वहां भूमि नहीं है क्या यह भी सच है कि यह आरोप लगाया गया है कि आपके विभाग की बिड़ला बन्धुओं के साथ हुई सांठ-गांठ के कारण बनों को साफ करने में विलम्ब हुआ?

प्रो० शेर सिंह : लाल ताड़ के आरोपण के बारे में, हमने परीक्षण किये हैं। यह बहुत अच्छी प्रकार बढ़ रहा है। मैंने स्वयं इसे देखा है। लाल ताड़ के वृक्षों का आरोपण करने के लिये लगभग 2,700 हैक्टेयर वन भूमि को साफ किया जाना है। उस भूमि को साफ करने के लिये टैंडर मांग और प्राप्त किये गये। जैसा कि मैंने अभी कहा है, हमारा इस समय विचार यह है कि इस काम को विभागीय तौर से कराया जाये, जिस के द्वारा हम 65 लाख रुपया अर्जित कर सकते हैं, जबकि अन्य लोगों में से बिड़ला बन्धुओं द्वारा दी गयी 42 लाख रुपये की टैंडर की पेशकश सबसे अधिक थी।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि आप इस काम को विभाग के द्वारा कराते हैं, तो आप इसे असफल बना देंगे और तब इसे बिड़ला बन्धुओं को सौंप देंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह इस बात को पहले से ही जानते हैं, तो प्रश्न पूछने का क्या लाभ है?

उर्वरकों की उपलब्धता

*103. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल संसाधनों के आयात पर बढ़ते हुए प्रतिबन्ध के संदर्भ में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये क्या नीति बनाई जा रही है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) तेल संसाधनों के आयात पर बढ़ते हुए प्रतिबन्ध के संदर्भ में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये हमारी नीति यह है कि तेल के बजाए कोयले से देशी उत्पादन को अधिकतम बढ़ाया जायेगा और उर्वरक प्राप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही और दीर्घकालीन करारों के जरिये आयातों से इनकी उपलब्धि सुनिश्चित की जायेगी। उर्वरक उत्पादन के लिये पैट्रोलियम के प्रयोग पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से सरकार ताल्चेर, रामगुंडम और कोरबा में कोयले का प्रयोग करके तीन प्रमुख उर्वरक परियोजनायें पहले से ही स्थापित कर रही हैं। भारतीय खाद निगम भी कोयले के प्रयोग से उर्वरक बनाने के अन्य कारखाने स्थापित करने की संभावना की जांच कर रहा है। देशी यूनिटों के कार्य-निष्पादन में सुधार करके उर्वरकों का देशी उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं।

आयात तंत्र को कारगर बनाने और एक ही एजेंसी के जरिये सारा आयात करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। सर्वोत्तम लाभदायक शर्तों पर उर्वरकों की खरीद की दृष्टि से सरकार उनके प्रयोग के मौसम से काफी पहले खरीद की कोशिश कर रही है। उचित मूल्यों पर उर्वरकों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालीन करार भी किए जा रहे हैं। उपलब्ध उर्वरकों का सर्वोत्तम प्रयोग करने के लिए देश में वितरण प्रणाली में और सुधार किया जा रहा है।

देश में कार्बनिक खाद संबंधी संसाधनों को पूरी मात्रा में जुटाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : नेफ्था की विश्वव्यापी कमी और पोतों द्वारा इसे उतारने तथा लदान में विलम्ब को देखते हुए इस कमी को पूरा करने के आगामी पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के लिये कौन-कौन से प्रस्तावों पर विचार किया गया है?

श्री समर गुह : यदि आप प्रश्न की शब्दावली को देखें, तो इसमें कहा गया है :—

> "तेल संसाधनों के आयात पर बढ़ते हुये प्रतिबन्ध के संदर्भ में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये बनायी गयी नीति"

अतः, इस प्रश्न का उत्तर कृषि मंत्री की बजाय पैट्रोलियम और रसायन मंत्री को देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने इसे कृषि मंत्री को सम्बोधित किया था।

श्री समर गुह : यह आपका सचिवालय है जो इस बारे में निर्णय करता है कि इसे किस मंत्रालय को भेजा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने इसे कृषि मंत्री को सम्बोधित किया था।

श्री समर गुह : यह औचित्य का प्रश्न है। यह उर्वरकों के वितरण से संबंधित नहीं है। इसका संबंध उर्वरकों के उत्पादन से है।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य ने इसे कृषि मंत्री को सम्बोधित किया था।

श्री समर गुह : वह इसका उत्तर कैसे दे सकते हैं? यह प्रश्न उर्वरक के वितरण का प्रश्न नहीं है। जब एक प्रश्न एक मंत्रालय के पास भेजा जाता है, तो इसे अन्य संबंधित मंत्रालय को पुनः भेज दिया जाता है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है। उन्हें बैलट में इस मंत्रालय के लिये प्राथमिकता मिली थी। अन्यथा उन्हें कोई प्राथमिकता न मिलती।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मुझे स्मरण है कि एक पूर्व अवसर पर लोक सभा सचिवालय ने मुझसे मेरे प्रश्न को किसी अन्य मंत्रालय के नाम सम्बोधित कराया था ······

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में सदस्य ने इस प्रश्न को इस मंत्रालय को सम्बोधित करना पसंद किया है।

श्री समर गुह : यदि मैं शस्त्रों के बारे में प्रश्न गृह मंत्रालय को सम्बोधित करूं, तो क्या गृह मंत्रालय उस प्रश्न का उत्तर दे सकता है?

श्री एच० एम० पटेल : लोक सभा सचिवालय द्वारा कई महत्वपूण प्रश्नों को एक मंत्रालय से अन्य मंत्रालय को पुनः भेज दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उर्वरकों की उपलब्धता के बारे में है।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, the questions are being dealt in such a way. Once I had asked you to consider about the priority. You had promised to consider it. To disturb our priority....

Shri Jyotirmoy Bosu : If any question regarding Maruti is raised, it won't be answered and returned back.

Shri Hukam Chand Kachwai: If any question regarding Shrimati Indira Gandh or her family is raised, it won't be answered.

Mr. Speaker : This theorem has already been prepared. No another work is being done except this.

कृषि मंत्रालय को संबोधित इस प्रश्न को प्राथमिकता मिली। सदस्य ने इसे छोड़ना पसन्द नहीं किया। अन्यथा, यदि उनको यह प्राथमिकता नहीं मिलती है, तो वह एक दूसरी शिकायत करेंगे कि उनकी प्राथमिकता नहीं रही, क्योंकि इसे दूसरे विभाग के नाम कर दिया गया। आखिरकार हमें इसका निपटान कुछ सिद्धांतों के आधार पर करना चाहिये।

श्री समर गुह : इस प्रश्न को सम्बन्धित मंत्रालय को पुनः भेजा जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें, तो उस मंत्रालय के नाम दूसरा प्रश्न सम्बोधित कर सकते हैं। जहां तक इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, सदस्य इसे इस मंत्रालय को देना चाहता है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : नैफ्था की विश्वव्यापी कमी के कारण क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने वर्तमान क्षमता के लिये नैफ्था की पर्याप्त सप्लाई के लिये तथा आगामी पांचवीं पंच-वर्षीय योजना के दौरान कोयला आधारित नैफ्था के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध करने के बारे में योजना बनाने पर विचार कर रही है, उसके लिये विशेष प्रस्ताव कौन-कौन से हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह सच है कि यह प्रश्न थोड़ा परस्पर व्यापी प्रश्न है, जहां तक इसकी उपलब्धता का सम्बन्ध है, इसका सम्बन्ध मेरे मंत्रालय से है । जहां तक उत्पादन तथा अन्य कच्ची सामग्री अर्थात् 'फीडस्टाक' का सम्बन्ध है, यह दूसरे मंत्रालय से सम्बन्धित है । किन्तु मैंने पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से सूचना एकत्र करने का प्रयास किया है । वास्तव में यह मैंने एक विवरण के रूप में पेश कर दिया है ।

माननीय सदस्य का सामान्य संदेह ठीक है कि 'फीडस्टाक' के रूप में नैफ्था की कमी की संभावना है । अतः भारत सरकार का अब कोयला-आधारित संयंत्रों की स्थापना करने के लिये छानबीन करने का विचार है । सरकार इस समस्या के प्रति बहुत ही सक्रिय है और इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । मैंने वस्तुतः तीन संयंत्रों का उल्लेख किया है जिनके सम्बन्ध में कोयला-आधारित संयंत्रों की स्थापना की दिशा में कार्यवाही करने हेतु आर्थिक व्यवहारिता की छानबीन की गयी है ।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर को देखते हुए, कि आगामी कुछ समय तक हमें उर्वरक की कमी को सहन करना पड़ेगा, क्या में पूछ सकता हूं कि उन्होंने देश में उर्वरक की वितरण व्यवस्था को सुधारने, तथा उसकी इस समय की चोरबाजारी तथा अत्यधिक कमी पर नियंत्रण करने तथा उसे समाप्त करने के लिये कौन-कौन से विशेष प्रबन्ध किये हैं ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे वरिष्ठ सहयोगी तथा स्वयं मैंने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रियों को लिखा है । एक उर्वरक नियंत्रण आदेश लागू है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वितरण समुचित रूप से हो तथा कदाचार का दमन करने के लिये प्रयास किये जायें। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मुझे उत्तर प्रदेश से सूचना प्राप्त हुई है, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से हुए विचार विमर्श के परिणामस्वरूप गत 2-3 महीनों के दौरान 1,422 छापे मारे गये, 1084 नमूने एकत्र किये गये तथा उनका विश्लेषण किया गया ; जमा किये गये स्टाक की लगभग 17,130 बोरियों को खोज निकाला गया; 198 लाइसेंसों को रद्द किया गया और 160 मुकदमें चलाये गये । हमें अन्य राज्यों से कोई सूचना नहीं मिली है । किन्तु, कुछ राज्य बहुत ही ठोस कार्यवाही कर रहे हैं । स्वभावतः कमी के कारण कुछ लोग कदाचारों में लगे रहते हैं । इसे पूरी तरह दूर करना बहुत ही कठिन है । किन्तु इसे रोकने के लिये कार्यवाही की जा रही है । चूंकि उपलब्धता और मांग में बहुत अधिक अन्तर है, इस लिये राज्य सरकारों और उपभोक्ताओं से कुछ उचित शिकायतें भी मिली हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृषि मंत्रालय उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण से सम्बन्धित है । क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि आगामी चुनावों के अतिरिक्त अन्य कौन से ऐसे कारण हैं जिनके आधार पर राज्यों को उर्वरकों के वितरण करने के बारे में निर्णय किया जाता है ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि चाहे माननीय सदस्य के मन में कुछ भी हो, हम उर्वरकों का वितरण चुनाव अथवा किसी अन्य ऐसी बात के आधार पर नहीं करते हैं । वास्तव में हमने कुछ प्राथमिकतायें निश्चित की हुई हैं । उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण मानदण्ड, जिन्हें हम लागू करते हैं, वे ये हैं : खपत का पूर्व ढांचा क्या है, उत्पादन का कार्यक्रम क्या है, अर्थात् उच्च उत्पादन देने वाली किस्म की कितनी एकड़ भूमि में खेती की गयी है और उस क्षेत्र में केन्द्रीय पूल के लिये कितने अंशदान की संभावना है । इससे उत्पादन को बढ़ाने तथा देश की

खाद्य सम्बन्धी अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहायता मिलती है । इसके लिये अच्छी प्रकार सिद्धांत निर्धारित किये हुए हैं । हम क्षेत्रीय परिषदों में राज्यों के साथ इसके बारे में चर्चा करते हैं। और आवंटन का उचित कार्यक्रम तैयार किया जाता है । बेशक सभी राज्यों को सन्तुष्ट करना सम्भव नहीं है । जैसा कि मैंने कहा है कि उर्वरक की कमी है और इसकी मांग और उपलब्धता में बहुत अधिक अन्तर है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is it not a fact that the black marketing in Fertilizer is due to different types of distribution sources. Somewhere it is being distributed through blocks, at other places it is being distributed through Co-operatives or Private agencies. Whether arrangement would be made for its distribution through Co-operatives only, so that the Private agencies may not indulge in malpractices and may not charge more money from the farmers.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समस्या के दो या तीन पहलू हैं । पहला पहलू यह है जो कि कुछ भी उर्वरक आयात किया जाता है, और व्यावहारिक रूप से कुल उपलब्धता का 50 प्रतिशत का आयात किया जाता है, उसे केन्द्र को दे दिया जाता है और हम उसका आवंटन किसी गैर-सरकारी फर्म को नहीं करते ।हम इसे राज्य सरकारों को अलाट करते हैं और राज्य सरकारों को इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे सहकारी समितियों आदि के माध्यम से वितरित करने की सलाह दी जाती है । जहां तक देश में उत्पादन का सम्बन्ध है इस बारे में कठिनाइयां हैं । उदाहरण के तौर पर जब उर्वरक संयंत्रों के लिये 1966-67 में लाइसेंस दिये गये थे, तो एक शर्त लगाई गई थी कि उर्वरक उत्पादकों को इसके बेचने की स्वतन्त्रता होगी । ऐसा श्रीनिवास समिति की सिफारिशों के आधार पर था । चूंकि उर्वरक उद्योग में प्रोत्साहन के लिये विनियोजन नहीं हो रहा था, लाइसेंस में एक शर्त लगा दी गई थी कि बेचने की स्वतन्त्रता दी जायेगी । लेकिन इसके बावजूद मेरा मंत्रालय पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से इस मामले पर विचार-विमर्श कर रहा है और हमने उन्हें यह सुझाव दिया है कि जहां तक देश में उत्पादन का सम्बन्ध है, चाहे वे सार्वजनिक क्षेत्र में हो अथवा निजी क्षेत्र में । उर्वरक के वितरण में सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी एजेंसी का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिये । देश में उपलब्ध कुल उत्पादन में से लगभग 50-60 प्रतिशत उत्पादन का वितरण इस समय सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है ।

Shri M.C. Daga : The distribution of fertilizers has been left on the States and they are not distributing fertilizers on some uniform system. I want to know whether Government intend to issue some cards to the farmers to collect their quotas of fertilizers? I want to know whether the centre interferes in case there is no proper distribution by the States ?

श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे : स्वभावतः हम ये सब कार्यवाही राज्य सरकारों से मंत्रणा के बाद करते हैं । राज्य सरकारों को इस बारे में जिम्मेवारी लेनी पड़ती है । हम राज्य सरकारों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे उचित और युक्तिसंगत वितरण करें ।

Shri Madhu Limaye : They have stated that the new fertilizer plants would be based on coal. I want to know whether they will get the quantity of coal they require for it.

So far as the distribution of coal is concerned, the price of fertilizer is doubled in Bihar and Andhra. Will you be kind enough to let me know its price in black market?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इस बात की सम्भावना का पता लगायेगी कि संयंत्र कब से उत्पादन आरम्भ करेगा । कच्चे माल की उपलब्धता के विषय में जांच की जायेगी । जहां तक विभिन्न भागों में ऊंचे और काले बाजार में मूल्यों का सम्बन्ध है, ऐसे कुछ समाचार मिले हैं । कि उस कमी का कुछ तत्व लाभ उठा रहे हैं और वे उर्वरकों को बहुत अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं । हमने राज्य सरकारों को ऐसे तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की सलाह दी है ।

Shri Madhu Limaye : The hon. Minister has not stated the source from where the Coal will be brought.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य संतुष्ट हों अथवा नहीं; लेकिन मैं पहले ही बता चुका हूं कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय इसकी सम्भावना का पता लगायेगा।

श्री जी० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने अपने विवरण में बताया है कि सरकार मौसम आरम्भ होने से पूर्व ही मंडी में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध करा रही है। उन्होंने यह बताया है कि उर्वरकों की दीर्घावधि उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए ठेके लिए जा रहे हैं।

क्या उर्वरकों का निर्यात करने वाले जापान और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पूर्व यूरोपीय देश हमें उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं हैं क्योंकि अन्य देश पहले ही मंडी में प्रवेश कर चुके हैं और माल खरीद चुके हैं। वह अपने वक्तव्य अनुसार उर्वरकों का और अधिक कैसे आयात करेंगे ? वह कार्बनिक खाद का अधिक प्रयोग करना चाहते हैं। क्या देश में किसानों को रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कहकर क्या अब सरकार किसानों की इस प्रवृति को बदलेगी और उन्हें फिर से कार्बनिक खाद प्रयोग करने को कहेगी ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में कुछ कठिनाइयां हैं। तदर्थ ठेकों की बजाए सरकार दीर्घावधि ठेके करना चाहती है जिससे सरकार दीर्घावधि आधार पर किये गये ठेकों को पूरा कर सके। यद्यपि इस बारे में सरकारी तौर पर कोई जानकारी नहीं है लेकिन मेरा विचार यह है कि चीन ने अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं। अभी तक जापान से कोई कठिनाई नहीं है जबकि कुछ पूर्व यूरोपीय देशों से कठिनाई हो रही है। यह अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में कठिनाई का प्रश्न है।

यह बात दिमाग में रखनी चाहिए। इस समय नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बनिक सामग्री बहुत बरबाद होती है। जबकि हम विदेशी मुद्रा पर बहुत अधिक राशि खर्च करते हैं हमें यह देखना होता है कि हम स्थानीय संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करें। हम भविष्य में गैर-कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग करने सम्बंधी उत्पादन कार्यक्रम को नहीं छोड़ना चाहते। हमें यह देखना होता है कि देश में उपलब्ध खाद का अपने लाभ के लिए यथा सम्भव प्रयोग किया जाये। माननीय सदस्य विख्यात किसान हैं और वह यह जानते हैं कि कार्बनिक खाद बहुत महत्वपूर्ण चीज है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर आधे घंटे का समय लग चुका है। मैं दो जनसंघ सदस्यों में से एक सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that we have to import 50 percent fertilizers from other countries and the remaining 50 percent is produced by the Government and in private sectors.

I want to know whether it is a fact that the letters have been issued to the industries that out of the fertilizers imported from foreign countries and the fertilizers produced in India, 50 percent should be sent to U.P. The hon. Minister has stated that the fertilizers will be produced through Coal. I want to know when the production work in Korba Plant, which has been constructed at the cost of 62 crores rupees will be started?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : पहले मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि उर्वरकों के वितरण के मामले में उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनावों को ध्यान में रखना चाहिए।

मैं केवल यह कह सकता हूं कि जहां तक इस बात का संबंध है मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं माननीय सदस्यों और सदन को इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि हमने विभिन्न राज्यों को कुछ सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर इसको अलाट करने के लिए योजना तैयार की है। इसको हम क्रियान्वित कर रहे हैं। वास्तव में हम इस मामले में सदन का पहले ही विश्वास प्राप्त का चुके हैं। कोरबा के बारे में मैं अपने वक्तव्य में उल्लेख कर चुका हूं। अन्य जानकारी के लिए आपको पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय से अलग से प्रश्न पूछना होगा।

Shri Panna Lal Barupal : The whole paddy crops of the farmers have been destroyed in District Ganga Nagar of Rajasthan due to non-availability of fertilizers to the farmers and they have to suffer a great loss as a result thereof. I want to know whether the Government intend to allot fertilizers to the farmers of District Ganganagar according to their demands ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक राजस्थान का संबंध है आन्तरिक वितरण राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। मैं इस मामले में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं मंत्री महोदय से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा उत्तर प्रदेश के चुनाव की ओर ध्यान नहीं है। क्या सरकार ने देश में प्रत्येक राज्य के उर्वरक के कोटे में हाल ही में वृद्धि की है। यदि हां, तो उक्त वृद्धि कितनी की गई है तथा किन-किन परिस्थितियों में की गई हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप यह प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृषि मंत्रालय द्वारा उर्वरकों की सप्लाई बहुत तत्संगत है। मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं। मैं केवल सामान्य नीति के बारे में पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जायें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपना प्रश्न पूछने के बाद बैठ जाऊंगा । मैं आपके माध्यम से एक सामान्य प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश में अन्य राज्यों के उर्वरकों के कोटे में वृद्धि की है ? यदि हां, तो कितनी और किस तारीख से।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : देश में उर्वरक की कम उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम किसी राज्य के उर्वरक के कोटे में वृद्धि करने की स्थिति में नहीं हैं।

दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिये योजना

*106. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जहां दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजनाएं आरम्भ की जानी हैं तथा वर्ष 1973-74 में इसी प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि नियत किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) इन योजनाओं से दालों की मांग और उपलब्धि के बीच के अन्तर को कितना कम किये जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दलहन उत्पादन योजना को दलहन उगाने वाले 15 महत्वपूर्ण राज्यों में प्रारम्भ किया गया है। 1973-74 वर्ष के दौरान आबंटित होने वाली धन-राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

	लाख रुपये
आन्ध्र प्रदेश	7.30
असम	1.60
बिहार	10.60
गुजरात	3.10
हरियाणा	21.20
केरल	2.30
मध्य प्रदेश	33.50
महाराष्ट्र	8.00
मैसूर	5.60
उड़ीसा	11.00
पंजाब	13.00
राजस्थान	27.70
तमिलनाडू	11.50
उत्तर प्रदेश	38.00
पश्चिम बंगाल	5.60
	200.00

(ख) आशा है उपयुक्त योजना से 1973-74 वर्ष के दौरान दलहन उत्पादन में लगभग 10 लाख मीटरी टन की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

श्री जगन्नाथ मिश्र : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व मैं आपका ध्यान मुख्य प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की ओर दिलाना चाहता हैं। प्रश्न का भाग (ख) निम्नलिखित है :

"इन योजनाओं से दालों की मांग और उपलब्धि के बीच के अन्तर को कितना कम किये जाने की संभावना है।'

उत्तर निम्नलिखित है:—

"आशा है उपर्युक्त योजना से 1973-74 वर्ष के दौरान दलहन उत्पादन में लगभग 10 लाख मीटरी टन की वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।"

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि या तो मेरे प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है अथवा मंत्रालय ने इसे उचित रूप से नहीं समझा है।

देश में दालों की भारी कमी है। उनके मूल्यों में भी भारी वृद्धि हो रही है। दालों के अचानक गायब होने के क्या कारण हैं और उक्त कमी कहां तक वास्तविक है गत दो वर्षों में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को क्या प्रोत्साहन दिये गये हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: आवश्यकता की विशेष मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन मैं सदन को यह सूचित करूंगा कि गत 10 अथवा पन्द्रह वर्षों के दौरान दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी हो रही है क्योंकि उत्पादन लगभग स्थिर रही है जबकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वर्ष 1961 में प्रति व्यक्ति उपलब्धता 25 किलोग्राम से घटकर 18 किलोग्राम रह गयी है। अतः इसकी उपलब्धता में निरन्तर कमी हो रही है। दालों के उत्पादन कार्यक्रम में अन्य बाधा यह है कि भारत में दालों का उत्पादन वर्षा पर निर्भर है और उनमें से कुछ क्षेत्र सूखा प्रभावी क्षेत्र हैं। अतः जहां कहीं भी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, किसान उन भूमियों पर गेहूं अथवा अन्य अन्न फसल उगाते हैं इससे भी दाल के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

फिर भी. दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हमने देश में 30 महत्वपूर्ण जिले चुने हैं और उक्त इलाकों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम का क्रियान्वित किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध है।

इस बारे में एक महत्वपूर्ण नीति अपनाई गई है। हमें पता लगा है कि यदि दालों के बीज के मामले में 'रिजोबियम' पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो 'माइक्रोबाइलोजिकल' उत्पाद है तो उत्पादन में वृद्धि होती है। हमने 'रिजोबियम पद्धति' से उत्पादन के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। यह तकनीकी मामला है और उत्पादन को स्थिर होने में कुछ समय लगेगा।

श्री जगन्नाथ मिश्र: यह सर्व विदित तथ्य है कि दालों की कमी है और चूंकि उत्पादन में प्रतिवर्ष कमी हो रही है। अतः हमें दालों की सप्लाई के लिए स्वभावतया आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार ने गत वर्ष दालों का आयात करने का निर्णय किया था और यदि हां, तो दालों का कितनी मात्रा में आयात किया गया और किन किन देशों से दालों का आयात किया गया तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई? क्या सरकार के सम्मुख दाल के उत्पादन में आत्म-निर्भर होने सम्बन्धी कोई योजना है और यदि हां, तो सरकार इस मामले में किस वर्ष तक आत्म-निर्भर हो जायेगी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: विश्व में ऐसे बहुत कम देश हैं जो काफी मात्रा में दालों का उत्पादन करते हैं। अतः हम आयात पर निर्भर नहीं कर सकते। हमें इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम अपने ही देश में दालों का उत्पादन बढ़ाएं। उदाहरण के लिए गत वर्ष वित्त मंत्रालय ने दालों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की अनुमति दी थी और हमने इसकी संभावना का पता लगाया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारे मूल्यों की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में मूल्य बहुत अधिक थे। अतः हमने दालों का आयात करना व्यवहार्य नहीं समझा। भविष्य में हमारी नीति अपने देश में ही दालों का उत्पादन करने की होगी। यह कहना कठिन होगा कि हम कब तक अपनी आवश्यकताएं पर्याप्त मात्रा में पूरी करने की स्थिति में होंगे। लेकिन, जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि नई

टैक्नोलोजी से, जिसकी कृषि को जानकारी है, आगामी वर्ष इसके उत्पादन में वृद्धि करना संभव होगा। गत वर्ष विशेष रूप से सूखे के कारण दालों का उत्पादन कम हुआ। इस वर्ष सौभाग्य से दालों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में बहुत अधिक रहा। लेकिन जहां तक दीर्घावधि नीति का सम्बन्ध है, जैसे मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, इस सम्बन्ध में अनेक कार्य करने होंगे।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : अभी अभी माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है कि दालों की खपत में कमी हुई है। क्या ऐसा दालों के उपलब्ध न होने के कारण हुआ है अथवा लोगों द्वारा अधिक मांसाहारी भोजन खाने के कारण हुआ ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैंने यह कहा था कि प्रति व्यक्ति खपत में कमी हुई है।

Shri Hukam Chand Kachwai: From the Statement given by the Hon. Minister it appears that U.P. produces 38 per cent and M.P.produces 33 per cent of the pulses produced in the country. I want to know whether it is a fact that the persons who produce pulses get very little profits where as the big profits are taken by the mills manufacturing pulses ? I want to know whether the Government have formulated any such policy that they may get proper prices.

I want to know whether the Government intend to fix the prices of the pulses so that all the profits may not be taken by the mills manufacturing pulses?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इस समय दाम बहुत अधिक हैं। उत्पादकों को भी ऊंचे मूल्य मिल रहे हैं। समस्या के दीर्घावधि पहलू का यह एक कारण है। सरकार ने इस बारे में विचार किया है। हम भविष्य में इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रहे हैं जिससे उत्पादन को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा सके। उत्पादन को स्थिर रखने के और भी बहुत से महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनका मैं विस्तार से उल्लेख कर चुका हूं।

दिल्ली के गेहूं के कोटे में कटौती

*107. **श्री एच० एम० पटेल :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली के गेहूं के कोटे में अभी हाल में काफी कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है और उपभोगताओं के लिए गेहूं के कोटे में भारत सरकार द्वारा कमी किये जाने का क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार में समूची उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को प्रतिमास खाद्यान्नों के आवंटन किये जाते हैं। अक्तूबर और नवम्बर, 1973 प्रत्येक मास के लिए दिल्ली प्रशासन को 38,000 मी० टन गेहूं का आवंटन किया गया था जबकि सितम्बर के लिये 35,000 मी० टन आवंटित किया गया था। नवम्बर के लिये, चावल के आवंटन में वृद्धि कर 2,000 मी० टन कर दिया गया है जबकि अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर, 1973 के महीने के दौरान यह 1,500 मी० टन था। इसके अलावा, चालू महीने के लिए दिल्ली प्रशासन को 5,000 मी० टन मक्का भी आवंटित की गई है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा प्रश्न दिल्ली के एक समाचार पत्र में दिये गये वक्तव्य पर आधारित था। उसमें कहा गया था कि दिल्ली के लिए गेहूं के कोटे में कटौती की गई है लेकिन मंत्री महोदय के उत्तर से यह प्रतीत होता है कि वस्तुतः कोई कमी नहीं की गई और इसके विपरीत कोटे में वृद्धि की गई है। यदि यह स्थिति है तो मंत्रालय ने समाचार पत्र के समाचार का खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक कोटे के आवंटन का प्रश्न है, अक्तूबर-नवम्बर में सितम्बर की अपेक्षा कोटे में वृद्धि की गई है और केन्द्रीय कोटे में बिल्कुल कटौती नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि मंत्रालय ने समाचार पत्र के इस वक्तव्य का खण्डन क्यों नहीं किया ?

श्री एच० एम० पटेल : वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें जनता के मन में उत्पन्न संदेह को दूर करना चाहिए।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं उत्तर में पहले बता चुका हूं कि सितम्बर की तुलना में अक्तूबर-नवम्बर में कोटे में वृद्धि की गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने अपना प्रश्न एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए इस वक्तव्य, कि कोटे में कमी हुई है, के आधार पर किया था और यदि यह समाचार गलत है तो मंत्रालय ने इस समाचार का खडन क्यों नहीं किया ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भिन्न-भिन्न समाचार प्रकाशित हुए हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ दुकानों में गेहूं का कोटा कम कर दिया गया है। दिल्ली प्रशासन ने गेहूं के कोटे को सीमांत रूप से व्यवस्थित करने का निर्णय किया है। गेहूं में कमी करके उसके स्थान पर मक्का दी जा रही है, ऐसा शायद उन्होंने दिल्ली की बढ़ती जनसंख्या तथा बेकारियों और छोटे उपभोक्ता एककों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया है और इसके लिए उन्हें कुछ प्रबंध करने पड़े हैं। किन्तु यह दिल्ली प्रशासन की समस्या है। जहां तक केन्द्र का संबंध है, हमने सप्लाई में कमी नहीं की है।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा दूसरा प्रश्न भी इस पर आधारित है। दिल्ली प्रशासन द्वारा यदि कोटे में कटौती की गई है तो उसके लिये भी केन्द्र ही जिम्मेदार है। अतः क्या दिल्ली प्रशासन के लिये यह उचित नहीं होगा कि जनता को इस बारे में पूरी जानकारी दे। यदि उन्हें गेहूं के कोटे में किसी कारणवश कमी करनी पड़ी है और वह उसकी जगह मक्का दे रहे हैं तो भी क्या उनका फर्ज नहीं था कि वह जनता को इस बारे में बताते। उन्हें एक सार्वजनिक घोषणा करनी चाहिए थी।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उन्होंने स्थिति स्पष्ट कर दी है। फिर भी मैं दिल्ली प्रशासन से बात करूंगा ताकि आवश्यक जानकारी जनता तक पहुँचा दी जाए।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Just now the hon. Minister has stated that the Delhi quota has not been reduced. Is it a fact that foodgrains do not reach the fair price shops in States in time and the public suffers a great hardship in consequence. I wish to know how the Government is going to tackle this problem.

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने टाइम्स आफ़ इंडिया से यह समाचार काट कर रखा है। इसमें कहा गया है कि गेहूं तथा आटे के कोटे में 30 प्रतिशत कमी की गई है और ऐसा संघ राज्य क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में स्टाक की कमी के कारण किया गया है । कृपया यह बताएं कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में किन कारणों से कमी हुई है। क्या मंत्री महोदय ने यह रिपोर्ट पढ़ी है ? यदि हां, तो ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए आप अतिरिक्त स्टाक क्यों नहीं रखते ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जहां तक दिल्ली में राशन व्यवस्था का संबंध है इसमें कोई कठिनाई नहीं है । यह समाचार कि भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में माल नहीं है, बिल्कुल गलत है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने इस समाचार का खंडन क्यों नहीं किया ?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में द्रुत परिवहन व्यवस्था

*108. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विकास संबंधी योजनाओं पर इस समय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है; और

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, में द्रुत परिवहन व्यवस्था की योजना बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना में यह प्रस्ताव है कि यातायात जाल की रचना सुधार कर उसमें एक्सप्रेस मांगों की भीतरी और बाहरी सड़कें बनाई जायं और बाहर से दिल्ली आने वाले अरीय रेलपथ दोहरे कर दिये जायें, उन्हें डीजल/विद्युत-शक्ति चालित रेलों के योग्य कर दिया जाय।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : इस संबंध में एक समिति श्री ओम मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके कार्य क्या हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है और इसके अध्यक्ष श्री ओम मेहता हैं । इसकी कई बैठकें हो चुकी हैं और यह सभी मामले सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इसके सदस्य कौन कौन हैं ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : श्री ओम मेहता अध्यक्ष हैं। हरियाणा राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद इसके सदस्य हैं । यदि मुख्य मंत्री अनुपस्थित होते हैं तो उनके प्रतिनिधि बैठकों में भाग लेते हैं ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या प्रदेश के विकास के लिए किसी जगह का चयन किया गया है और क्या एक अच्छे होटल के निर्माण के लिये दिल्ली में कुछ भूमि अधिगृहीत करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : जी, हां।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : निर्माण तथा आवास मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच समन्वय का अभाव है । मैं इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करता हूं । कैथल को छोटे उद्योगों के विकास के लिए रखा गया है यह एक पिछड़े जिले में बसा हुआ है । पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में रेल सेवाएं बढाने का बार-बार अनुरोध किया जा रहा । किन्तु मैं तो केवल यही चाहता हूं कि वहां पर एक एक्सप्रैस गाड़ी के रुकने की व्यवस ा की जाये । इसके लिए मैं पिछले दो सालों से कोशिश कर रहा हूं पर इस दिशा में सफलता प्राप्त नहीं हुई । मैं यह जानना चाहता हूं कि संबंध का ढंग क्या है ? आपकी जिम्मेदारी है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को बढ़ाना और रेलवे का कार्य है संचार की व्यवस्था करना। आप किस प्रकार अपने प्रयासों का समन्वय करते हैं अथवा कि दोनों में कोई संबंध नहीं है ?

श्री भोला पासवान शास्त्री : यह एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड है और इसने एक समिति की नियुक्ति की है । इस समिति के मुख्य कार्य इन सभी कार्यक्रमों को समन्वित करना है ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या आपने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था । आपने अपनी योजना में इस क्षेत्र के विकास को शामिल किया है .... .(**व्यवधान**) क्या आपने उनके तर्क को ठुकरा दिया है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : आपका निर्वाचन क्षेत्र कौनसा है यह जानने के बाद ही मैं उत्तर दे सकता हूं ।

डा० हरि प्रसाद शर्मा : वह स्थान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है और आपने वहां लघु उद्योग केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ।

श्री भोला पासवान शास्त्री : यदि वह राष्ट्रीय राजधानी के अन्तर्गत आता है तो निश्चय ही वहां का विकास किया जाएगा ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए संशोधित अधिनियमों की घोषणा

***109. श्री रण बहादुर सिंह :**

श्री एम० एस० शिवस्वामी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अक्तूबर, 1973 के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लियें कई संशोधित अधिनियमों की घोषणा की थी, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन): (क) से (ख) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। भारत के राष्ट्रपति ने, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दर्शक (विजिटर) की हैसियत से विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद द्वारा कुछ संविधियों में सुझाए गये संशोधनों को स्वीकृति प्रदान की है।

(ख) मुख्य संशोधन निम्नलिखित हैं:--

(1) चान्सलर और प्रोचांसलर की नियुक्ति विजिटर द्वारा कार्यकारी परिषद की सिफारिशों पर करने की बजाय कोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी और इनका कार्यकाल वर्तमान पांच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष ही रहेगा। उस नियम को अब समाप्त कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत विजिटर को यह अधिकार था कि वह सिफारिश किये गये व्यक्तियों के नामों से सहमत न होने पर फिर से दूसरी सिफारिश मांग सकता था।

(2) उपकुलपति के पद के लिय चयन समिति में विजिटर के नामांकित व्यक्ति के पद का नाम चैयरमैन से बदलकर संयोजक कर दिया गया है। उप कुलपति के द्वारा चुने जाने वाली व्यवस्था की धारा हटा दी गई है।

(3) किसी संकाय के डीन की नियुक्ति का अधिकार उप कुलपति के स्थान पर कार्यकारी परिषद के पास रहेगा। डीन का कार्यकाल तीन वर्ष से घटाकर दो वर्ष कर दिया गया है और इस पद पर मौजूदा प्राचार्यों में से वरिष्ठता के आधार पर बारी बारी से नियुक्तियां की जायगी।

(4) विभागाध्यक्षों की नियुक्ति की कार्यावधि विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाने वाले अध्यादेशों में होंगी न कि कानून में।

(5) कोर्ट के संगठन में गैर-शिक्षक कर्मचारियों दानदाताओं, मुस्लिम संस्कृति और अध्ययन, अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के प्रतिनिधियों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। कोर्ट में विजिटर के नामांकित व्यक्तियों की संख्या 20 से घटाकर 10 कर दी गई है। यह भीव्यवस्था हकी गई है कि अध्यापकों को वरिष्ठता के क्रम से बारी बारी से स्थान देने की अपेक्षा, वे स्वतः अपने बीच से चुने जायेंगे। अन्य चुनाव क्षेत्रों में कुछ और थोड़ से रद्दोबदल किये गये हैं।

(6) कार्यकारी परिषद में तीन अध्यापकों को उनके बीच से ही चुना जायेंगा, उनका चुनाव शैक्षणिक परिषद द्वारा नहीं किया जायेगा। शैक्षणिक परिषद में भी तीन प्रोफसरों, पांच रीडरों और सात लेक्चररों का चुनाव हुआ करेगा और वरिष्टता के क्रम से उनकी नियुक्ति वारी बारी से नहीं हुआ करेगी।

(7) शैक्षणिक परिषद के कार्यों में वृद्धि करके उसकी शक्तियों की व्यापक बना दिया गया है।

(8) किसी विभाग के सभी सदस्य उस विभाग के अध्ययन मंडल के सदस्य होंगे। अध्ययन मंडल के कार्यों की भी विस्तार के चर्चा कर दी गई है।

(9) विभागीय समितियों, छात्र संघ, शिक्षक संघ और गैर-शिक्षक कर्मचारी संघ से संबंधित धारायें हटा दी गई है।

(10) प्रोफसरों, रीडरों और लैक्चररों की नियुक्ति के लिय संबंधित संकाय के डीन की भी चयन समिति के सदस्यों में शामिल कर लिया गया है।

विवरण संसद पुस्तकालय में रख दिया गया है, जिसमें संशोधनों के ब्यौरे दिये गये हैं।

श्री रण बहादुर सिंह : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में सदन में हुई चर्चा तथा इस विधेयक को पारित करने में की गई जल्दबाजी के विरुद्ध उठाई गई आवाजों को ध्यान में रखते हुये में यह जानना चाहता हूं इस विधेयक के संशोधन पर राष्ट्रपति की ओर से वर्तमान अध्यादेश लाने का क्या मुख्य कारण था?

प्रो० एस० नूरुल हसन : माननीय सदस्य गलतफहमी में हैं। राष्ट्रपति की ओर से कोई अध्यादेश लागू नहीं किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में उन प्रक्रियाओं का उल्लेख किया गया है जिसके अनुसार विश्वविद्यालय के संविधियों में संशोधन किया जा सकता है। प्रक्रिया यह थी कि विश्वविद्याय की कार्यकारी परिषद संशोधनों को विजिटर की स्वीकृति पर पेश करती है। और वह संशोधन संविधियों में लागू कर दिये जाते हैं। इस मामले में यही हुआ है। कार्यकारी परिषद ने कुछ संशोधन रखे और विजिटर ने उनको स्वीकार कर लिया और वह संशोधन संविधिय में लागू कर दिये गये। सभा को याद होगा कि जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधयक पुरःस्थापित किया गया था तो मैंने कहा था कि यह विधेयक काफी लचीला है और जब कभी विश्वविद्यालय किसी परिवर्तन की आवश्यकता समझेगा, तो वह मामले को बिना इस सभा के समक्ष लाये परिवर्तन कर सकेगा। अतः यह परिवर्तन संशोधन अधिनियम में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार हुये हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : विद्यार्थी कुछ संशोधनों की मांग के बारे में आन्दोलन कर रहे थे। मुझे प्रसन्नता है कि प्रस्तावित संशोधन से विद्यार्थी संतुष्ट हैं किन्तु चूंकि विद्यार्थियों की कोई यूनियन नहीं है, क्या मंत्री महोदय ने विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को विद्यार्थी संघ के शीघ्र चुनाव के लिये निर्देश दिये हैं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैंने विश्वविद्यालय के उपकुलपति से अनुरोध किया है कि वह संशोधित संविधियों के अनुरूप विश्वविद्यालयों के सभी निकायों को गठित करने के लिय कार्यवाही करे। एक शर्त यह है कि यूनियन का अध्यक्ष, सचिव और एक दो अन्य पदाधिकारी विश्वविद्यालय प्राधिकरण के पदेन अधिकारी होते हैं इसलिय यह बात छात्र संघ के चुनाव पर भी लागू होगी।

श्री जी० विश्वनाथन : क्या छात्र संघ के चार पदाधिकारी इस कारण हवालात में रखे गये हैं कि वह संविधियों में कुछ संशोधन चाहते थे और क्या मंत्री महोदय मामले में हस्तक्षेप करके उन्हें रिहा करायेंगे क्योंकि उन्हे अवैध रूप से गिरफ्तार करके रखा गया है?

प्रो० एस० नूरुल हसन : यह राज्य सरकार का मामला है, वह ही इस पर निर्णय लेगी।

श्री जी० विश्वनाथन : छात्र संघ के अध्यक्ष, सचिव और दो पदाधिकारी, इस मंत्रालय के निर्देशों पर आंतरिक सुरक्षा बनाय रखना अधिनियम के अन्तर्गत हवालात भेज दिये गये हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri: I wish to know the difference between the previous Act and the present one particularly when certain amendments have been made at the instance of the visitor.

Prof. S. Nurul Hasan : The 1972 Act has made lot of changes in the Acts of 1952 and 1965 and if the hon. member takes the trouble of reading the statutes under Act of 1972 which are available in the library, he will himself know the real position.

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं आता।

प्रो० एस० नूरुल हसन : इस विषय पर विधेयक के पुरःस्थापित करने के समय चर्चा की गई थी और यह कहा गया था कि सरकार के लिय इसे अल्पसंख्यकों का संस्थान घोषित करना संभव नहीं है।

श्री समर गुह : आपने 12 नवम्बर के बाद मुझे एक वार भी बोलने का मौका नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा, पर आप कभी संतुष्ट नहीं होते।

श्री समर गुह : सभा को स्मरण होगा कि यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में पारित किया गया था। जिस दिन यह विधेयक पारित हुआ, उस दिन मंत्री महोदय द्वारा अकेले ही 84 संशोधन प्रस्तुत किये गये और तब मैंने कहा था कि एक दिन फिर इसे सभा के समक्ष लाना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत जल्दबाजी में पारित किया जा रहा है और यह बात गलत है उस दिन अध्यक्ष महोदय आपने मेरे लिये कर्कश शब्द का प्रयोग किया था। अधिनियम के उपबन्ध में 'संविधि' शब्द का प्रयोग करने से बहुत परिवर्तन हो गया। नियम बनाने वाले निकायों के लिय कुछ उपबन्ध हो सकते हैं यह बात तो समझ में आती है किन्तु यह तो नियम बनाने वाला निकाय नहीं हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि नियमों और संविधियों के बीच क्या अन्तर है और क्या अधिनियम के उपबन्ध में इतना बड़ा परिवर्तन राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये संविधियों के द्वारा किया जा सकता है। अपने भाषण के दौरान मंत्री महोदय ने दस बारह बार 'विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप' का उल्लेख कया है किन्तु कोर्ट के गठन की संरचना में परिवर्तन करते समय क्यों केवल अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन और मुस्लिम संस्कृति और शिक्षा को प्रतिनिधित्व दिया गया है अन्य निकायों और सम्मेलनों को क्यों नहीं?

प्रो० एस० नरूल हसन : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 'संविधि' शब्द एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया है। यह खण्ड 2 के उपखण्ड (5) में परिभाषित किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड 27 और खण्ड 28 में संविधि निर्माण की प्रक्रिया, तथा जिन विषयों पर वह चर्चा कर सकता है, उसका उल्लेख किया गया है और यह परिवर्तन अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है। जहां तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं उनका ध्यान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के खण्ड 5 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं उपखण्ड 2 (क) में यह व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी उदाहरणार्थ प्राच्य तथा इस्लाम सम्बन्धी अध्ययन को प्रोत्साहन देना, मुस्लिम धर्म शास्त्र और धर्म में शिक्षा तथा नैतिक और शारीरिक प्रशिक्षण देना आदि। इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि एक विशेष बात का उल्लेख किया गया है जो विश्वविद्यालय पर इस्लाम सम्बन्धी अध्ययन और मुस्लिम धर्म सिद्धान्तों की शिक्षा व्यवस्था का दायित्व डालता है

श्री समर गुह : केवल एक विभाग है।

प्रो० एस० नूरुल हसन : इसलिये यदि कुछ सदस्यों ने इस्लामी शिक्षण में दीक्षा प्राप्त की है तो वह कोटे के सदस्य बन सकते हैं, पर इससे विश्वविद्यालय के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप में किसी प्रकार अन्तर नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तेल-पोतों (टैंकरों) का अधिग्रहण

***102. श्री डी० के० पंडा :**

श्री एम० कतामुतु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल-पोतों के खरीदने का स्वयं निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और ख) : भारत सरकार स्वयं तेलवाही जहाजों का अर्जन नहीं करती। सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में नौवहन कम्पनियां जहाजों का अर्जन करती है जिसमें तेलवाहक जहाज भी शामिल हैं। शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जो कि एक सरकारी उपक्रम है के पास इस समय 2.20 लाख जी० आर० टी० के 8 तेलवाहक जहाज परिचालन में और 8.94 लाख जी० आर० टी० के 19 तेलवाहक जहाज आदेश पर हैं।

समुद्र तटीय नौवहन के टनभार में वृद्धि

***104. श्री राज देव सिंह :** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तटीय उपनगरों में बड़े पैमाने पर भार ढोने के लिये समुद्र तटीय नौवहन को सबसे अधिक बचत पूर्ण साधन पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर समुद्र तटीय नौवहन की व्यवस्था करने तथा समुद्र तटीय नौवहन की भारक्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1972 से रूमानिया से प्राप्त टनभार के ब्यौरे सहित उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) तटीय नौवहन सामान्यतः खुले माल के लिये परिवहन का लाभकारी ढंग समझा जाता है।

(ख) और (ग) : जी हां। पांचवीं योजना में तटीय सूखे माल के नौवहन के लिये अस्थायी लक्ष्य 6 लाख जी० आर० टी० का है। इससे 1.41 लाख जी० आर० टी० के चालू परिचालनात्मक तटीय सूखे माल टन भार से काफी विस्तार होगा। प्रत्येक 18,000 डी डब्ल्यू टी के 10 जहाजों के लिये रूमानिया में आदेश दिये गये हैं एक जहाज हाल ही में सुपुर्द किया गया है और शेष नौ जहाजों की जनवरी, 1976 तक सुपुर्द किये जाने की संभावना है।

खाद्य और औषधि अपमिश्रण के मामले

***105. श्री एम० एस० पुरती** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में संघ राज्य-क्षेत्रों में पृथक-पृथक खाद्य और औषधि अपमिश्रण के कितने मामलों की सरकार को सूचना दी गई ; और

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कुल मिलाकर स्थानीय निकायों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता है। कतिपय राज्यों में इसे राज्य सरकारें भी क्रियान्वित करती हैं। मिलावट को रोकने के लिए राज्य सरकारों से समय समय पर अनुरोध किया गया है। भारत सरकार ने आगे और भी कदम उठाए हैं और वे इस प्रकार हैं :—

(1) 1964 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था जिससे दण्ड की व्यवस्था और भी कड़ी कर दी गई थी तथा अन्तर-राज्य स्तर के साथ साथ निर्माताओं, थोक व्यापारियों अथवा अन्य स्तरों पर, जहां कहीं आवश्यक समझा जाए, मिलावट को रोकने के लिए भारत सरकार को अपने खाद्य-निरीक्षक और सरकारी विश्लेषक नियुक्त करने की समवर्ती शक्तियां दे दी गई थीं।

(2) मिलावट के इस धन्धे को खत्म करने के लिए जनता और अन्य सूत्रों से प्राप्त शिकायतों की छान-बीन करने के निमित्त स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में पांच खाद्य निरीक्षकों का एक विशेष दस्ता तैयार किया गया है।

(3) गाजियाबाद में एक नई खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

(4) प्रशिक्षित एवं अनुभवी विश्लेषकों की व्यवस्था करने के लिए केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता में प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम चालू कर दिये गये हैं। आँन्ध्र विश्वविद्यालय में खाद्य विश्लेषण का काम सीखने वाले छात्रों के लिए वजीफे मंजूर कर दिये गये हैं।

(5) खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट करने के विरुद्ध जन जागरण पैदा करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की मदद ली जाती है।

दवाओं में मिलावट की रोक-थाम

(1) बिना लाइसेन्स के दवाइयों के निर्माण तथा नकली दवाइयों की बिक्री को समाप्त करने के लिये लाइसेन्स शुदा औषध निर्माताओं की एक अखिल भारतीय सूची छाप दी गई है और इसे नाम मात्र मूल्य पर सभी संबंधित व्यक्तियों आदि को आम उपलब्ध कर दिया गया है। इस सूची में समय समय पर संशोधन किये जाते हैं और इस प्रकार संशोधित सूची की प्रतियां राज्य औषध नियंत्रक संगठनों तथा औषधि व्यापारियों के संघों को भेज दी जाती हैं।

(2) औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है और मिलावटी दवाइयां बनाने तथा बेचने तथा बिना लाइसेंस के दवाइयां बनाने और बेचने की सजा की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर 10 वर्ष तक कर दी गई है। उसमें ऐसा भी उपबन्ध कर दिया गया है जिसके अधीन ऐसी औषधियों के बनाने में प्रयुक्त उपकरण और दूसरा सामान तथा उन्हें लाने ले जाने के साधनों को छीना जा सकता है।

(3) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने अपने यहां मिलावटी दवाइयों के खिलाफ अभियान को तेजी से चलाने के लिए पुलिस अधिकारियों से संपर्क रखें। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे अपने अपने औषध निरीक्षण कार्यालयों में वृद्धि करें और दवाइयों की जांच करने की सुविधाएं भी बढ़ायें ताकि अधिक से अधिक नमूने लिये जा सकें और जांच रिपोर्ट जल्दी मिल सके।

(4) जब कभी केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन को नकली दवाइयों की सूचना मिलती है और जब कभी ऐसा समझा जाता है कि इस काम में कोई अन्तर राज्य गिरोह काम कर रहा है उस समय संबंधित राज्यों को सचेत करने तथा राज्य पुलिस की मदद से इस पर आवश्यक कार्यवाही करने की सलाह देने के लिये विशेष सावधानियां बरती जाती हैं।

(5) केन्द्र और राज्य संगठनों के बीच निकट संपर्क रखने के लिये बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और गाजियाबाद में केन्द्रीय औषध संगठन के मण्डल कार्यालय खोल दिये गये हैं। मण्डल अधिकारियों का एक खास काम यह है कि वे मिलावटी औषधियों के लाने ले जाने, खासकर जब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाई जा रही हों, की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्तर राज्य बाजार में बिकने वाली औषधियां हर हालत में मानकों के अनुसार हों। उनके इस काम में केन्द्रीय औषधि निरीक्षक जो राज्य औषध निरीक्षकों के निकट संपर्क में काम करते हैं उनकी मदद करते है। मण्डल कार्यालयों से संबद्ध केन्द्रीय निरीक्षक बढ़ाये जा रहे हैं।

(6) औषध निर्माताओं और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले एसोसियेशनों की सहायता और उनका सहयोग लिया गया है ताकि निर्माण और बिक्री के तरीके अधिक से अधिक सही हों। नकली दवाइयों के विरुद्ध अभियान में उनका सहयोग लिया गया है।

(7) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के तत्वाधान में औषध निरीक्षकों और सरकारी विश्लेषकों के लिये प्रशिक्षण का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नियंत्रण उपायों को कठोरता से लागू करने में मदद देंगे।

(8) केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन औषधि परामर्शदात्री समिति की बैठकें मण्डल राज्य औषधि नियंत्रकों की बैठकों करके तथा मण्डल अधिकारियों और राज्य औषध नियंत्रण अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श की व्यवस्था करके पत्र व्यवहार के अलावा निरन्तर संपर्क तथा बातचीत जारी रखते हैं। सूचना के इस निरन्तर विनिमय से औषधियों के गुणों पर नियंत्रण रखने के उपायों में तालमेल रखने और उन्हें तेज करने में बड़ी मदद मिलती है।

सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-जापानी आयोग

*110. श्री एच० एन० मुकर्जी :

श्री वीरभद्र सिंह :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-जापानी संयुक्त आयोग की भारत में बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य मदों पर चर्चा हुई ; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) : संयुक्त आयोग ने भारत-जापानी सांस्कृतिक सहयोग के सभी पहलुओं पर, विशेषकर उच्च शिक्षा, कला और संस्कृति, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और खेलकूद के क्षेत्रों के विषय में चर्चा की और दोनों देशों की सरकारों के विचार के लिए सुझावों और प्रस्तावों का आदान-प्रदान किया।

दिल्ली की दूर दूर की कालोनियों में दिल्ली परिवहन निगम की अपर्याप्त बस सेवा

*111. श्री हरी सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदन पार्क, चुन्ना मल पार्क, मनोहर पार्क, अशोक पार्क, जयदेव पार्क, पंजाब गार्डन तथा भगवान दास नगर, दिल्ली 35 के लगभग 50,000 निवासियों के लिये दिल्ली परिवहन निगम की पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण उस क्षेत्र के लोगों को काफी असुविधा हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस क्षेत्र में पर्याप्त बस सेवा उपलब्ध करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सभी कालोनियां रोहतक रोड पर जखीरा तथा उत्तरी रेलवे जनरल स्टोर के बीच के क्षेत्र में पड़ते हैं। इस समय दिल्ली परिवहन निगम रोहतक रोड पर 15 मार्ग सेवाएं चला रहा है जिनसे इन कालोनियों को भी लाभ पहुंचता है। ये सेवाएं रेलवे स्टेशन, केन्द्रीय सचिवालय तथा नगर में कई बाजार तथा व्यापारिक स्थानों से होती हुई चलती है तथा उपरोक्त कालोनियों के निवासियों की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पर्याप्त समझा गया है।

बीजों का उत्पादन बढ़ाना

*112. श्री बनमाली पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम का विचार बीज-उत्पादन में वृद्धि करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) निगम विभिन्न फसलों के अच्छी किस्म के बीजों के सर्वतोमुखी विकास और विशेषकर उच्च उत्पादन शील किस्मों के अनाजों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रहा है। गत वर्ष की तुलना में वर्तमान ग्रीष्म कालीन रबी बीज उत्पादन कार्यक्रम करीब दुगना है। 1973-74 के पूरे वर्ष में बीजों का उत्पादन लगभग 200 प्रतिशत अधिक होगा।

(ग) ग्रीष्क कालीन रबी 1973-74 के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य निगम ने अपने हाथ में ले लिया है।

चावल की विभिन्न किस्मों के मूल्य निश्चित करने के लिए मैसूर का प्रस्ताव

***113. श्री के० मालन्ना :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने चावल की विभिन्न किस्मों के मूल्य निश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, जैसे पहली किस्म (मोटा) के लिए 70 रुपये, दूसरी किस्म (मध्य बढ़िया) के लिए 75 रुपय और तीसरी किस्म (बढ़िया) के लिए 80 रुपये और चौथी किस्म (बहुत बढ़िया) के लिए 85 रुपये प्रति क्विंटल, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने मोटे धान का 70 रुपय, मध्यम का 75 रुपय, बढ़िया का 80 रुपय औय बहुत बढ़िया का 85 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्यों का सुझाव दिया था। 1972 में मूल्य-अन्तर के आधार पर विभिन्न किस्मों की धान अर्थात् मोटे के लिए 70 रु०, मध्यम के लिए 71 रु०, मध्यम बढ़िया के लिए 74 रु और बढ़िया किस्मों के लिए 77 रु० प्रति क्विंटल के मूल्यों निर्धारित करना मान लिया गया है।

बहुत से राज्यों की भूमि में जस्ते का अभाव

***114. श्री पी० ए० सामिनाथन :**

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'मनी स्टेट्स हैव सायल्स डैफिसियेंट इन जिंक' (बहुत से राज्यों की भूमि में जस्ते का अभाव) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी हां।

(ख) सूक्ष्म पोषक तत्व संबंधी अखिल भरतीय समन्वित योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने विभिन्न राज्यों में जस्त के अभाव वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिये अध्ययन किये हैं। यह कार्य राज्य सरकारों के मृदा परीक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भी तीव्र रूप से किया जा रहा है।

अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, बिहार तथा गुजरात के कुछ जिलों में जहां अधिक उत्पादनशील किस्में उगाई जाती हैं, जस्ते के अभाव का पता लगा है।

राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे उर्वरकों के उपयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये जस्ते के अभाव वाले क्षेत्रों में जिंक सल्फेट का उपयोग करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे इन क्षेत्रों में कृषकों को जिंक सल्फेट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करें।

जिंक सल्फेट उद्योग को भी कहा गया है कि वह राज्यों की मांग पूरी करने के लिये अपने **उत्पादन** को बढ़ायें।

खाद्य अपमिश्रण करने वालों को आजीवन कारावास

***115. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री भागीरथ भैंवर :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास का **दण्ड देने** का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

(क) दुर्भाग्य से यह सच है कि ऐसी मिलावट जरुर हो रही है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन विहित दण्डों का एक **विवरण** सभा पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 5731/73] **दण्ड** बढ़ाने के प्रश्न पर विकार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में सेन समिति का प्रतिवेदन

***116. श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय और कालेज शिक्षकों के वेतनमानों के पुनरीक्षण **के बारे** में सेन समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको क्रियान्वित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; **और**

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) :

(क) से (ग): विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों के बारे में सेन **समिति** की रिपोर्ट संबंधी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो चुकी हैं और विचाराधीन **हैं।**

अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्नों का थोक व्यापार

***117. श्री सी० जर्नादननः** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के थोक व्यापार के सरकारीकरण के निर्णय को राज्यों द्वारा विशेष-रूप से ऐसे राज्यों द्वारा जिनमें खाद्यान्न सप्लाई की कमी है, सफलता पूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क): खाद्यान्नों के थोक व्यापार का सफल कार्यान्वयन बहुत हद तक सरकार के पास आवंटन किए जाने वाले स्टाक के तुरन्त उपलब्ध होने पर निर्भर करता है । यह ऐसे कार्यान्वियन के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है ।

(ख): केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता को ध्यान में रखकर भारत सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को खाद्यान्नों-संबंधी मांगों को पूरा करती है ।

अफ्रीको समुद्रतट से दूर भारतीय जहाज मोबिल पेट्रोलियम में सितम्बर, 1973 में आग

***118. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जहाज सुपर टेंकर मोबिल पैट्रोलियम में 15 सितम्बर, 1973 को अफरीकी समुद्र-तट से दूर रहस्यपूर्ण ढ़ंग से आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस अग्नि कांड के क्या कारण थे, और

(ग) इस संबंध में की गई जांच के क्या निष्कर्ष निकले ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) :

(क) सुपर टेंकर मोबिल पैट्रोलियम एक लायबेरियन पोत है न कि भारत पोत । 3 और 5 सितम्बर, 1973 के बीच जब जहाज दक्षिणी-पूर्वी अफरीकी तट के समीप था तो उस में मामूली आग लगना बताया गया है ।

(ख): चूंकि जहाज विदेशी है और विदेशी समुद्र में आग की दुर्घतटना हुई थी अतः नौवहन महानिदेशक ने आग के कारणों की जांच नहीं की ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि के लिये सहायक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर बनाना

***119. श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कृषि के लिये सहायक वस्तुओं के मूल्यों का स्थिर बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार का विचार इस मामले में कब तक आवश्यक कार्यवाही करने का है; और

(घ) इस प्रकार की मूल्य स्थिरता से खाद्यान्नों आदि के मूल्यों में किस हद तक कमी होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णामसाहिब पी० शिन्दे)

(क) कृषि मंत्रालय में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न हीं नहीं उठता ।

कोचीन शिपयार्ड का यू० के० की एक फर्म के साथ ठेका

*120. **श्री ए०के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड ने ब्रिटेन की फर्म स्काट लिथगो लिमिटेड के साथ जहाजों के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान करने और शिफयार्ड कार्मिकों को जहाज निर्माण में प्रशिक्षण देने के संबंध में कोई करार किया है, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी)

(क) जी हां ।

(ख) करार के अनुसार मेसर्स स्काट लिथगों लि०, कोचीन शिपयार्ड कें 75000 डी०डब्लू० टी० के पहले जहाज के निर्माणार्थ आवश्यक तकनीकी प्रलेखीकरण तथा परामर्श देने का काम करेगा । वह अपने किंगस्टन शिपबिल्डिंग यार्ड में कोचीन शिपयार्ड के कुछ कार्मिकों को प्रशिक्षण भी देगा । मेसर्स स्काट लिथगो लि० की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कोचीन शिपयार्ड 760333 पौंड राशि देगा, जो कि उन सलाहकारों के वेतनों के अतिरिक्त होगी जिन्हें कोचीन में नियुक्त किया जायेगा इसमें 350,000 रुपये विदेशी मुद्रा में तथा 1520000 रुपये भारतीय मुद्रा में होने का अनुमान है ।

बजरों (वार्जेस) पर सिंचाई (पम्पों से) योजना आरम्भ करना

1002. **श्री के० कोंडंडा रामी रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजरों पर सिंचाई (पम्पों से) योजना सफल सिद्ध हुई है ।

(ख) क्या यह योजना केवल निरन्तर वहने वाली नदियों पर ही संभव है ।

(ग) क्या सरकार देश पर्यन्त ऐसी योजनायें चालू करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पांचवीं योजना में ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दिये जाने की कोई संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) जी हां । बजरों (वार्जेस) पर निर्मित उठाऊ सिंचाई योजनायें सफल सिद्ध हुई हैं ।

(ख) यह कार्य बारहमासी और न्यूनाधिक बारहमासी दोनों प्रकार की नदियों पर सफलतापूर्वक किया जा सकता है ।

(ग) ये योजनायें देश के उन भागों में पहले से ही शुरु की जा रही हैं जहां कि संबंधित राज्य सरकारों ने उन्हें तकनीकी तथा आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पाया है ।

(घ) पांचवीं योजना में लघु सिंचाई योजनाओं के प्रस्तावों में उठाऊ सिंचाई योजनाओं के लिये, जिसमें बजरों पर पम्प द्वारा सिंचाई करने की योजनायें भी शामिल हैं, समुचित जोर दिया गया है ।

Construction of a Dam in Ladakh

1003. Shri Kushok Bakula: Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to construct a dam at Kharjong nullah in the upper part of Leh, Ladakh with a view to overcoming scarcity of drinking water in this area; and

(b) if so, the time by which it would be implemented ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works & Housing (Shri Om Mehta): (a) and (b) The information is awaited from the State Government. It will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

कुओं से पानी खींचने के लिये पनचक्कियां

1004. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुओं से पानी खींचने के लिये ग्रामीण गृहणियों की सहायता हेतु पनचक्की लगाने के मामले में अध्ययन -एवं संभाव्यता प्रतिवेदन का अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Smuggling of Coarse Grain into Delhi

1005. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether coarse grains such as maize and Bajra are being smuggled into Delhi from Uttar Pradesh;

(b) whether this smuggling is being carried on in connivance with the police; an

(c) if so, the information available with the Government in this regard and the steps being taken to put an end to this illegal trade?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

ग्रामीण आवास योजना

1006. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण आवास योजना के समाधान तथा भूमिहीन श्रमिकों को मकान उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ;

ख) क्या योजना का वित्तीयपोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि ग्रावंटित की गई है तथा अब तक प्रत्येक राज्य में कितने मकानों का निर्माण हुआ है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता)

(क) से (ग): अपेक्षित सूचना का एक विवरण-पत्र सलंग्न है । (ग्रंथालय में रखा गया देखियो संख्या एल० टी० 5732/73)

Brood Hens from America

1007. Shri Shiv Kumar Shastri :Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether India has received three thousand brood hens from America; and

(b) If so, the profit likely to be received in this business?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir. Government of India, however, had received 30,000 day-old chicks in 1956 from the Government of United States as gift under T.C.M. programme for acclamatisation and multiplication in this country.

(b) Does not arise.

आन्ध्र प्रदेश में जिला सहकारी विपणन समितियों को घाटा

1008. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि आंध्र प्रदेश में जिला सहकारी विपणन समितियां गत तीन वर्षों से निरन्तर भारी घाटे में चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो समितियों को कितना घाटा हुआ और इन सहकारी विपणन समितियों की वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में जून के अन्त तक आस्तियां तथा देयताएं क्या हैं; और

(ग) घाटे के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्हें ठीक करने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और राज्य सरकार से प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

निःशुल्क प्राथमिक, माध्यमिक तथा कालिज स्तर की शिक्षा

1009. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में देश के बच्चों को सरकारी खर्चे पर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों (1) माध्यमिक तथा (2) कालिज शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है; और

(ख) राज्य सरकारों की कमी को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० यादव): (क) 1-5 कक्षाओं में प्राथमिक शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है वह, पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों को छोड़कर देश के सभी भागों में सरकारी तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में निशल्क है। कुछ राज्यों में विश्वविद्यालय स्तर तक अन्य कुछ राज्यों में माध्यमिक स्तर तक और शेष राज्यों में मिडिल स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। वास्तविक स्थिति इस प्रकार है :—

(जम्मू व काश्मीर, नागालैंड तथा लकादीव मिनिकाय व अमिनीदीव द्वीपसमूहों में सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क है।

(ii) तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों और अरुणाचल प्रदेश में पूर्व-विश्वविद्यालय/उच्च माध्यमिक सहित स्कूली शिक्षा निःशुल्क है।

(iii) आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, दादरा तथा नागर हवेली और पांडचेरी में माध्यमिक स्तर पर सम्पूर्ण शिक्षा निःशुल्क है। तथापि, आंध्र प्रदेश में लड़कियों को जूनियर कालेज स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

(iv) असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, चण्डीगढ़, दिल्ली, गोवा, दमन व दीव और मिजोरम में मिडिल/उच्च-प्राथमिक/जूनियर माध्यमिक स्तर (अर्थात् 6-13 अथवा 14 आयु वर्ग) तक शिक्षा निःशुल्क है। तथापि, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और त्रिपुरा में माध्यमिक स्तर तक लड़कियां निःशुल्क शिक्षा पाती हैं।

(v) उड़ीसा में लड़कों के लिये प्राथमिक स्तर (6 से 11 आयु वर्ग) तक और लड़कियों के लिये माध्यमिक स्तर के अन्त तक शिक्षा निःशुल्क है।

(vi) उत्तर प्रदेश में लड़कों (6-12 आयु वर्ग) को कक्षा 6 तक और लड़कियों के लिये कक्षा 10 तक शिक्षा निःशुल्क है। पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ शहरी क्षेत्रों में लड़कों की शिक्षा को छोड़कर प्राथमिक स्तर (6 से 12 आयु वर्ग) तक शिक्षा निःशुल्क तथापि, जूनियर हाई स्तर (6 से 14 आयु वर्ग) तक लड़कियों के लिये शिक्षा निःशुल्क है।

(ख) भारत सरकार ने 6-14 आयु वर्ग तक के लिये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने पर जोर दिया है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों को इस सम्बन्ध में कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। दूसरे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये सभी छात्रों के लिये माध्यमिक तथा अन्य स्तरों पर निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी सिफारिश करने पर जोर नहीं दिया जा रहा है। फिर भी, जनता के पिछड़े वर्गों के लिये पूरी फीस माफी तथा छात्रवृत्तियों की व्यवस्था पर बल दिया गया है।

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ फिशरीज आपरेटिव्ज, कोचीन के कर्मचारीयों द्वारा हड़ताल

1010. श्री व्यालार रवि:

श्री हरी सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैन्ट्रल इंस्टीटयूट आफ फिशरीज आपरेटिब्ज, कोचीन के कर्मचारी 7 अक्तूबर, 1973 से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनकी समस्याओं का बातचीत द्वारा समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उक्त संस्थान में श्रमिक संकट अस्वस्थ श्रमिक प्रक्रियाओं के कारण पैदा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय करना चाहती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) केन्द्रीय मात्स्यकी परिचालन संस्थान, कोचीन में अनियमित आधार पर रखे हुये कुछ कर्मचारियों ने 8-10-73 से काम करना बन्द कर दिया और पहले रखी हुई कुछ मांगों (जिनमें स्थाई रोजगार कर्मचारियों, को नियमितरूप से वेतन तथा भत्तों की अदायगी सम्बन्धी मांगें शामिल है) के आधार पर आन्दोलन कर रहे हैं। इससे संस्थान के सामान्य कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) तथा (ग) : आन्दोलन उस समय शुरू हुआ जब गैर हाजिर रहने के बाद 8-10-73 को एक आकस्मिक कर्मचारी जिसे जाल बनाने के काम में मदद देने के लिये रखा गया, कार्यपूर्ण होने के समय काम पर आया और उसे काम पर नहीं रखा गया। संस्थान के निदेशक ने रिपोर्ट दी है कि संस्थान को अनियमित कर्मचारियों की कभी कभी जरूरत पड़ती है और इस समय आन्दोलन करने वाले उन आकस्मिक कार्मचारियों की, जरूरत नहीं है? यह स्थिति निदेशक द्वारा उन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को बता दी गई थी। आकस्मिक कर्मचारियों ने यह भी सूचित किया कि उन्होंने एक यूनियन बना ली है जिसे इण्डियन ट्रेड यूनियन एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर कर दिया गया है। निदेशक ने उनसे अनुरोध किया है कि वे आवश्यक जानकारी भेजें ताकि इस मामले में नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

(घ) निदेशक से कहा गया है कि वे उन आकस्मिक कर्मचारियों की सूची भेजें जो नियमों के अनुसार नियमितरूप से रखे जाने के हकदार हैं। अन्य बातों के साथ साथ इस विवरण में यह भी जानकारी शामल होगी कि आकस्मिक कर्मचारियों को किस सीमा तक नियुक्त करना जरूरी है और कितने अतिरिक्त कर्मचारियों के पदों पर रखना सम्भव होगा। जानकारी प्राप्त होने पर इस मामले पर पुनविचार किया जायगा।

खाद्यान्नों में कीटनाशक दवाओं के मिलाने को रोकने के उपाय

1011. श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता चला है कि भण्डाकरण, सुविधाओं के अभाव में किसान सावधानी के लिये खाद्यान्नों में स्वच्छन्द रूप से कीटनाशक दवायें मिला रहे हैं,

(ख) क्या विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अनेक मौतों के समाचार मिले हैं,

(ग) क्या ऐसा किसानों की लापरवाही के कारण हुआ है, और यदि हां, तो क्या उन्हें इन कीटनाशक दवाओं के सही तरीके के उपयोग की जानकारी देने हेतु कोई कदम उठाये जा रहे हैं, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून बनाने का विचार किया है अथवा ऐसा कोई कानून इस समय विद्यमान है जिससे कि कीटनाशक दवाओं का दुरुपयोग रोका जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) अधिकांश कीटनाशक दवाइयां जहरीली होती हैं। राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों की विस्तार एजेन्सियां किसानों को खेतों में तथा भण्डारण में कीटनाशक दवाइयों के सही इस्तेमाल के बारे में बताती हैं। खाद्य विभाग ने अन्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसका उद्देश किसानों के स्तर पर खाद्यान्नों के भण्डारण के तरीकों को बताना हैं जिसके अन्तर्गत भण्डारण में कीटनाशक दवाइयों के सही और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करने का प्रचार करना है। जहां कहीं कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल की राय दी जाती है, वहां साथ ही साथ सतर्कता उपाय बरतने का भी सुझाव दिया जाता है ताकि किसानों को उक्त दवाइयों के उचित और सावधानी पूर्वक इस्तेमाल के बारे में बताया जा सके।

(घ) खाद्य मिलावट निरोधक अधिनियम, 1954 खाद्यान्नों में कीटनाशक दवाइयों की मिलावट की मनाही करता है और उसमें इन तत्वों की अधिकतम सीमा भी निर्धारित की गई हैं। कीटनाशक दवाइयां, अधिनियम, 1968 के अधीन कीटनाशक दवाइयों के निर्माताओं को खाद्यान्नों में कीटनाशक दवाइयां मिलाने की सिफारिश करने की मनाही करने के अनुदेश भी जारी किये जा रहे हैं।

ग्रेटर कैलाश पार्ट II, नई दिल्ली में बिजली और पानी

1012. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश पार्ट II नई दिल्ली के 'ई०' ब्लाक के अलावा अन्य ब्लाकों में मकान बनाने वालों के लिये बिजली और पानी की व्यवस्था करने की दिशा में आगे क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इन ब्लाकों में कुछ मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यदि हां, तो क्या उन्हें बिजली और पानी के कनेक्शन दे दिये गये हैं; और

(ग) क्या इन ब्लाकों में मकान बनाने का कार्य जो अन्य सब प्रकार से तैयार है केवल बिजली और पानी की सप्लाई न होने के कारण ही रुका हुआ है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कार्य में शीघ्रता लाने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) : दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निपटान संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली नगर निगम के नगर आयोजक ने ग्रेटर कैलाश के भाग II के सभी ब्लाकों में निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है। जिन मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उनके लिये पानी के कनैक्शनों की स्वीकृति भी दी जा रही है, यदि संबंधित उपभोक्ता ने उसके लिये आवेदन किया हो।

दिल्ली विद्युत वितरण संस्थान ने सूचित किया है कि 'एस०' 'डबल्यू०' और 'एम०' ब्लाकों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। आवेदकों द्वारा अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण करने पर मकानों में सामान्य सप्लाई की मुख्य लाइनों से बिजली के कनैक्शन दिये जा सकते हैं। भावी उपभोक्ताओं को निर्माणार्थ अस्थाई कनैक्शन भी दिये जाते हैं।

मलेरिया उन्मूलन के लिए धन राशियों का आवंटन

1013. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने मलेरिया उन्मूलन के लिये दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिये कितनी-कितनी धन-राशियां नियत की हैं और राज्यों ने इन राशियों में से कितनी-कितनी राशि व्यय की तथा कम राशि व्यय करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5733/73]

Order by Calcutta Firm for a Machine to cut Stones in Shape of Rice

1014. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the news-item published in the newspapers that a Calcutta firm has placed orders with a foreign country for the supply of such a machine as could cut the pieces of stone in the shape of rice which might be mixed later with rice; and

(b) if so, the broad outlines thereof and the precautions being taken by Government to check such irregularities and misdeeds?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The Government are not aware of any proposal by any party for the import of a machine which could cut the pieces of Stone in the shape of Rice.

Appointments by Selection Committee of Medical Faculty of A. M. U.

1015. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn towards the news item published in the 'Hindustan' dated the 12th September, 1973, regarding the irregularities in certain appointments made by the Selection Committee of the Medical Faculty of Aligarh Muslim University; and

(b) if so, the facts thereof and the action being taken by Government in this regard?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) The news item refers to irregularities in the selection of a Professor in the Department of Medicine in the Aligarh Muslim University. The recommendation made by the Selection Committee for the post is under consideration of the Executive Council, which under the Act of the University is empowered to make appointments to such posts.

Slogans written on D.T.C. Buses, During Delhi University Students' Union Elections

1016. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) whether during last Delhi University Students' Union Elections, D.T.C. Buses as also the private buses under D.T.C. operation were made the medium of election propaganda by writing thereon in black ink to vote for a particular candidate;

(b) if so, the expenditure incurred by D.T.C. in getting the buses cleaned; and

(c) whether any amount has been collected from the candidates in whose support slogans were written on the buses?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir.

(b) Posters pasted on the bus bodies were removed during the routine washing of the buses. Slogans written in ink were also washed out. Slogans written with oil paint are also being removed. This has not involved any significant expenditure for the D.T.C.

(c) No, Sir.

Loss Due to Droughts in States

1017. Shri Lalji Bhai : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the estimated value of loss year-wise suffered in terms of live-stock and crops etc. due to the drought during 1971-72 and 1972-73 and the broad features of the scheme adopted to meet the drought as also the expenditure incurred thereon year-wise; and

(b) the year-wise number of families who died of starvation and the amount of funds provided to each family during the above period?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) Drought conditions prevailed on a limited scale in a few States during the year 1971-72. Information available in regard to the cattle affected by drought conditions during 1972-73 is as under :

States	Cattle population affected (in lakhs)
1	2
Maharashtra	72.2
Gujarat	75.6
Rajasthan	15.0
Andhra Pradesh	134.0
Karnataka	20.27
Bihar	63.35
Uttar Pradesh	64.4
Orissa	23.2
	468.02

A statement showing the agricultural production during 1971-72 & 1972-73 is attached (Statement-I) [Placed in Library. See No. L.T. 5734/73].

A statement showing the broad features of the scheme adopted to meet the drought and the quantum of Central assistance released to States is attached. (Statement-II) [Placed in Library. See No. L.T. 5734/73].

(b) No State Govt. reported any death due to starvation.

37 L.S.S./73—5

गुजरात में बाढ़ों के दौरान पुलों को क्षति

1018. श्री डी० पी० जदेजा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में हाल की बाढ़ों के दौरान कितने पुलों को क्षति पहुंची है; और

(ख) उनकी मरम्मत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) गुजरात में हाल ही की बाढ़ों से राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित पुल संरचनाओं को कोई क्षति नहीं हुई है। परन्तु

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग ८ और ८क को जोड़ने वाली योजक सड़क पर साबरमती नदी के ऊपर पुल के मामले में दायें पहुंच मार्ग जहां यातायात की अस्थायी बहाली के लिये मिट्टी भरने का काम चल रहा है, पर टूट फूट, और

(ii) राष्ट्रीय राजमार्ग ८ पर माही नदी के ऊपर के पुल के मामले में बहाव की ओर अन्त्याधार पर रोक दीवार और पत्थर दोलन में बाधा। इस के कारण यातायात में कोई रुकावट नहीं पड़ी है। राज्य सरकार अनुमान तैयार कर रही है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इन दो पुलों के पहुंच मार्गों पर हुई बाढ़ क्षति की स्थाई मरम्मत के लिये कार्यवाही कर रही है।

जहां तक राज्य सड़कों पर बने पुलों का प्रश्न है, जिनके लिये गुजरात सरकार मुख्य रूप से जिम्मेदार है, राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि 1973 की बाढ़ों से 83 बड़े और छोटे पुलों को क्षति पहुंची है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसके सड़कों को यातायात के योग्य बनाने के लिये उनकी अस्थाई मरम्मत कर दी है।

गुजरात में पेय जल की कमी

1020. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर (गुजरात राज्य) में पेय जल का संकट एक और वर्ष के लिये बना रहेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या गोरी शंकर झील में जल का स्तर इतना निम्न हो गया था कि झील से केवल एक दो मास के लिये ही नगर की आवश्यकतायें पूरी हो सकेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या भावनगर में जल संकट का सामना करने के लिये केन्द्र से राज्य सरकार की सहायता करने को कहा गया है;

(घ) क्या भावनगर पिछले एक वर्ष से जल संकट का सामना कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस बारे में गुजरात को क्या सहायता देगी?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ङ) गुजरात सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है जिसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

भूमिगत जल संसाधन

1021. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में अनुमानित कितना भूमिगत जल उपलब्ध है;

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने इसको निकालने तथा इस बारे में व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है; **और**

(ग) क्या हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में अत्यधिक भूमिगत जल है तथा वहां भूमिगत जल का स्तर बढ़ रहा है और यदि हां, तो इस अत्यधिक जल का उपयोग करने के बारे में योजना बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अस्थाई अनुमान के अनुसार देश में भूमिगत जल के उपयोग में लाई जा सकने वाली क्षमता 2200 लाख एकड़ फुट है।

(ख) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का मुख्य कार्य सारे देश में भूमिगत जल का सर्वेक्षण करना है। राज्य भूमिगत जल विकास की योजनायें क्रियान्वित कर रहे हैं।

(ग) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Independent Organisation for Advancing Loans to Farmers during Fifth Plan

1022. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government propose to form an independent organisation to advance loans to farmers during Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

एकाधिकारियों, जमाखोरों, चोर-बाजारी करने वालों तथा जमीदारों के विरुद्ध कार्यवाही

1023. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान एकाधिकारियों, जमाखोरों, चोर-बाजारी करने वालों तथा जमीदारों को दंडित करने तथा लोगों को नियंत्रित मूल्य पर अन्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुयें सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ख) अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं; **और**

(ग) इस दिशा में आगे क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) भारत सरकार सभी राज्य सरकारों पर विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता के बारे में बराबर जोर देती रही है। राज्य सरकारें तदनुसार कार्यवाही कर रही हैं। राज्य सरकारों ने चोर-बाजारी करने वालों और जमाखोरी के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने के लिये अपने प्रवर्तन तन्त्र को सशक्त किया है। विभिन्न खाद्य नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे उत्पादकों, व्यापारियों,

उपभोक्ताओं आदि द्वारा रखे जाने वाले गेहूं और अन्य खाद्यान्नों के स्टाक की अधिकतक सांविधिक सीमा निर्धारित करें। ऊंचे मूल्यों और आवश्यक जिन्सों की कमी तथा उनके वितरण में कृत्रिम रुकावटों से पैदा शुदा वर्तमान कठिन परिस्थितियों को देखते हुये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह भी परामर्श दिया है कि वे खाद्यान्नों सहित आवश्यक जिन्सों से संबंधित विभिन्न मामलों को विनियमित करने के लिये भारत सुरक्षा नियम, 1971 का प्रयोग करें और जमाखोरी, काला-बाजारी तथा आवश्यक सप्लाई को बनाये रखने में बाधक अन्य समाजविरोधी गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 के संरक्षण के अधीन शक्तियों का इस्तेमाल करें।

नई दिल्ली नगरपालिका के कार्य क्षेत्र में स्थान, दुकानों तथा शो-रूम्स का आवंटन

1024. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने अपने कार्य-क्षेत्र में सहकारी संस्थानों अथवा समितियों को स्थान, दुकानों, शो-रूम्स आदि का आवंटन करके कोई महत्वपूर्ण सहायता की है अथवा कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो की गई/की जा रही सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में सहकारी समितियों को स्थान, दुकानों तथा शो-रूम्स आवंटन करने की कोई योजना अथवा प्रस्ताव है और क्या आवंटन के लिये सहकारी समितियों संस्थानों से प्राप्त आवेदन नई दिल्ली नगरपालिका के पास विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और कितनी सहकारी समितियों आदि के आवेदन नई दिल्ली नगरपालिका के पास पड़े हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में दुकानों, स्थान आदि का आवंटन सामान्यतः समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदायें आमंत्रित करके किया जाता है। यदि कोई सहकारी समिति किसी परिसर के आवंटन के लिये आवेदन करती है तो उसे उपर्युक्त आधार पर सूचित कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) सहकारी समितियों को कोई स्थान, दुकानें, अथवा शो-रूम आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल ही में, विकास केन्द्र औद्योगिक सहकारी समिति ने पंचकुइयां रोड पर एक नवनिर्मित स्टाल के आवंटन के लिये आवेदन किया किन्तु नगरपालिका ने उक्त स्टाल के आवंटन के लिये अनुसूचित जाति के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित करने का निर्णय किया है। तथापि उक्त समिति को एक पोर्टेबल की ओस्क के आवंटन का प्रश्न अभी नई दिल्ली नगरपालिका के विचाराधीन है।

तकनीकी प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजे गये व्यक्ति

1025. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में भारत ने विदेशों में तकनीकी प्रशिक्षण के लिये कितने अधिकारियों और विद्यार्थियों को भेजा था; और

(ख) किन-किन तकनीकी विषयों तथा किन-किन देशों में वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण पर वर्षवार कुल कितना व्यय हुआ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) शिक्षा मंत्रालय एक बड़ी संख्या में छात्रवृतियों/शिक्षावृत्तियों की व्यवस्था करता है जो विदेशी सरकारों/संगठनों द्वारा भारतीय प्रष्टिकों को विदेशों में उच्च अध्ययन करने के लिये दी जाती है। यह मंत्रालय भी, विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिये, योग्यता तथा साधनों के आधार पर चुने गये विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 50 छात्रवृतियां देता हैं। अधिकांश छात्रवृत्तियां, शुद्ध और प्रयुक्त विज्ञानी, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान चिकित्सा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और सम्बद्ध विषयों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उच्च अध्ययन/अनुसन्धान करने के लिये होती हैं। ये छात्रवृतियां केवल तकनीकी प्रशिक्षण के लिये ही नहीं होती हैं, यद्यपि विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की गई कुछ छात्रवृतियां तथा शिक्षावृत्तियां विशिष्ट प्रशिक्षण के लिये ही होती हैं।

1971-73 वर्षों के दौरान विदेशों में भेजे गये उम्मीदवारों की कुल संख्या इस प्रकार हैं:—

1971 . .	386
1972 . .	354
1973 . .	261

शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत उम्मीदवारों को निम्नलिखित देशों में भेजा गया है:—

आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, मिश्र, अरब गणराज्य, बेल्जियम, बल्गारिया, कनाडा, श्रीलंका, चिकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मन संघ गणराज्य, जर्मन जनवादी गणतंत्र, यूनान, हंगरी, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, नार्वे, पौलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, ब्रिटेन, रूस, युगोस्लाविया और रूमानिया।

विदेशी सरकारों/संस्थाओं द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों/शिक्षावृत्तियों के अन्तर्गत मनोनीत उम्मीदवारों का खर्चा सामान्यतः संबंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाता है। विशेष अध्ययन के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत भेजे गये उम्मीदवारों के मामले में सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इस सम्बन्ध में 1971—74 वर्षों के दौरान हुआ कुल खर्चा निम्नलिखित है:—

	रुपये
1971-72	3,45,000
1972-73 . . .	16,50,000
1973-74	30,63,000

खाद्य तथा औषध अपमिश्रण को रोकने के लिये विशेष सैल

1026. श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा औषध अपमिश्रण के बढ़ते हुए मामलों को रोकने के लिए केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो में विशेष सैल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) आसूचना कार्यालय का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो में खाद्य अपराध विंग को फिर से चालू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्ट्री, त्रिवेन्द्रम का विस्तार

1027. श्री ए० के० गोपालन :

श्री वयालर रवि :

क्या **स्वास्थय और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्टरी का विस्तार करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) कब तक विस्तार किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या त्रिवेन्द्रम स्थित हिन्दुस्तान लेटेक्स फैक्टरी का मुख्यालय अभी भी दिल्ली में काम कर रहा है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार मुख्यालय को त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने का है, जहां कारखाना स्थित है ?

स्वास्थय और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान विचाराधीन प्रस्ताव में फैक्टरी के विस्तार की परिकल्पना की गई जिसमें प्रति वर्ष 7 करोड़ 20 लाख निरोध तैयार करने की क्षमता वाले दो अतिरिक्त निरोध संयंत्र लगाये जाएंगे। एक संयंत्र वर्ष 1974-75 में और दूसरा 1975-76 में लगाया जाएगा।

(ग) और (घ) सरकार ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का रजिस्टर्ड कार्यालय तथा मुख्यालय नई दिल्ली से त्रिवेन्द्रम को स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है और हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड को अपना कार्यालय त्रिवेन्द्रम स्थानान्तरित करने के लिए निदेश दे दिया गया है।

निदेशक मण्डल ने रजिस्टर्ड कार्यालय और मुख्यालय दोनों को स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है किन्तु उन्होंने कार्यालय के कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बच्चों का हित देखते हुए तथा अन्य कानूनी औपचारिकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्यालय को स्थानान्तरित करने हेतु 1974 क अप्रैल के मध्य तक का समय देने का अनुरोध किया है।

वेलियावाट हाउस, जहां महात्मा गांधी ठहरे थे, को राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित करना

1028. श्री मधु लिमये : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वेलियाघाट हाऊस, जहां महात्मा गांधी अगस्त, 1947 में ठहरे थे, को राष्ट्रीय स्मारक में परिवर्तित कर दिया जाये।

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस स्मारक के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करने पर सहमत हो गई है;

(ग) क्या सरकार की यह इच्छा है कि किसी गैर-सरकारी संस्था/निकाय को इस स्मारक का कार्यभार ले लेना चाहिए;

(घ) क्या सरकार ने इस बीच इस उद्देश्य के लिए ऐसे गैर-सरकारी संस्था/न्यास की स्थापना के बारे में सुझावों को स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस स्मारक योजना को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां। ये अभ्यावेदन पश्चिम बंगाल सरकार को समुचित कार्रवाई हेतु भेज दिए गए हैं।

(ख) गांधी शताब्दी समारोहों के दौरान स्थापित राष्ट्रीय गांधी शताब्दी समिति ने इसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखने और अधिग्रहित करने के लिए 3 लाख रुपये के केन्द्रीय अनुदान का प्रस्ताव मंजूर किया था।

(ग) सरकार ने कहा है कि यदि किसी गैर-सरकारी निकाय द्वारा इस संबंध में पहल की जाए तो सरकार उसे सहायता देने के प्रश्न पर विचार करेगी।

(घ) और (ङ) इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्तावों की प्रतिक्षा है।

Employees of F.C.I. Arrested under D.I.R. in Delhi during September, 1973

1029. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether about 200 employees of Food Corporation of India were arrested under D.I.R. in the Corporation's Office situated on the Bahadurshah Zafar Road, Delhi in the third week of September, 1973;

(b) if so, the reasons for the arrest; and

(c) the demands put forward by the employees?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) In all 856 employees courted arrest in batches during the period from September, 18 to September 28, 1973. The arrests were effected for holding demonstrations during the working hours and preventing willing workers from attending to their work in response to call by the Bhartiya Khadya Nigam Karamchari Sangh to dislocate movement and distribution of foodgrains and disrupt the working in the godowns and the offices of the FCI in defiance of the Notification issued under the D.I.R. The immediate provocation for these demonstrations was the decision of the FCI management to transfer some members of the Sangh for their alleged manhandling of the District Manager of Karnal while he was undergoing a training course in Delhi. A statement listing the demands earlier put forward by the employees is attached. These demands were under negotiation with the management when the employees decided to launch their agitation on the equstion of transfer.

STATEMENT

List of Demands put forward by the Employees of Food Corporation of India

1. Protest against proposed formation of State Food Corporations.
2. Retention of handling of Sugar Work by the Food Corporation of India.
3. No foodgrains should be stored in the State/Central Warehousing Corporation Godowns.
4. Establishment of Pay Committee and finalisation of its terms of reference in consultation with the employees representatives only.
5. Immediate payment of the balance of Bonus for the year 1971-72.
6. Scraping of section 45 of the Food Corporations Act, 1964.
7. Encashment of Earned Leave.

8. Leave travel concession for places other than home towns with full re-imbursement.
9. Increase in mileage allowance.
10. Increase in house rent allowance.
11. Increase in overtime allowance rates.
12 Overtime allowance to the Assistant Managers should be paid.
13. Payment of out-fit allowance to employees posted in J & K, Himachal Pradesh and other Hill Stations.
14. Special allowance to the employees posted in Harduaganj (U.P.) should be given.
15. Increase in conveyance allowance in view of increase in the cost of petrol and other accessories etc.
16. Training allowance to the employees below Assistant Manager rank, during training period.
17. Overtime allowance and house rent allowance on interim relief.
18. Engineering Cadres problems—Regularisation of all ad hoc/daily wage employees—promotion against the existing vacancies—promotional avenues to the employees in Engineering cadre—relief to the employees who are stagnated.
19. Promotional avenues to Proof Readers/Comptometer Operator/Key Punch Operators/Artists/Hindi Typists and other miscellaneous posts.
20. Repatriation and non-absorption of deputationists in Food Corporation of India.
21. Fixation of seniority of absorbed deputationists.
22. 6½ hours duty of Watchmen and no recovery of one hour/half-an-hour from their O.T.A. payment.
23. Define duties of Head Watchman/Jamadar and distinction in their uniforms.
24. Relaxation in minimum service of 3 years for promotions for Class IV staff, for promotion within Category IV.
25. Repatriation of willing Assistant Manager (Depot) for operational repatriation of willing Assistant Manager (Q.C.)/Quality Supervisor to their parent zone.
26. Sanction of posts of Assistant Manager (Depot) for operational account in District Offices.
27. Sanction of Ministerial cadre staff for Depot Offices to attend establishment/accounts and other duties of commercial nature.
28. Creation of Assistant Gd-I(M) posts in Pay Offices in Punjab/Haryana Regions and uniform staff sanction in Ministerial and Q.C. side for procurement operations.
29. Implementation of stagnation report and selection grade scale.
30. Regularisation of all promotions made on Regional basis on zonal Seniority basis and no reversions/retrenchment after extended period of rabi operations.
31. Movement cadre should not be separate as it hampers promotional avenues of Godown and Ministerial Cadres.
32. Preference in appointments to blood relations of employees of FCI.
33. Compensation under Workmen Compensation Act.
34. Comprehensive insurance of vehicles and insurance of Vehicle Drivers/Electricians/Wiremen/Electrician-cum-operator/Mechanic-Operators/Motor Drivers and other employees whose job is risky.
35. Issue of Foodgrains to the employees of Food Corporation of India at the rates prescribed for State Governments.
36. Protection to Trade Union rights in FCI and withdrawal of Defence of India Rules.
37. Criticism on Food Corporation of India and effective measures to contradict the false statements given by the vested interests to Press.
38. Pending requests of Inter Regional transfer within Zone may be finalised.
39. Revision of sanctions of field staff on the basis of norms and sanction of S.A.Ms for storage Depots.

D.M.C. Contract for Construction of Buildings with N.B.O.

1030. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to stae :

(a) whether the Delhi Municipal Corporation had given a contract for the construction of 5 buildings at a cost of Rs. 15.50 lakhs to the National Building Organisation in June, 1965;

(b) whether Government had to pay Rs. 22.85 lakhs till 1970 due to the delay in the construction work; and

(c) if so, the reasons for this excess payment and the action being taken by Government to avoid any additional payment in this regard?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The construction work, referred to, was entrusted to the National Buildings Construction Corporation Limited and *not* the National Building Organisation as stated in the Question.

The matter is before the Public Accounts Committee of the Lok Sabha *vide* 76th Report of the P.A.C. (5th Lok Sabha) and action taken on this subject will be communicated by Government to that Committee.

Agreement with National Building Organisation

1031. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Works and Housing** be. pleased to state :

(a) whether a formal agreement is entered into with the contractors before getting any Government work executed;

(b) whether the Municipal Corporation of Delhi did not enter into any formal agreement with the National Building Organisation for construction of five buildings ; and

(c) if so, the steps being taken by Government to make good the loss thus caused and the reasons for the loss?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The construction work, referred to, was entrusted to the National Buildings Construction Corporation Limited and *not* the National Building Organisation as stated in the Question.

The matter is before the Public Accounts Committee of the Lok Sabha *vide* 76th Report of the P.A.C. (5th Lok Sabha) and action taken on this subject will be communicated by Government to that Committee.

पांचवीं योजना में मत्स्य पालन को प्रोत्साहन

1032. **श्री वी० वी० नायक :**

श्री शशि भूषण :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में मत्स्य पालन को अधिकतम उत्पादन वाले क्षेत्र के रूप में चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए साधनों संबंधी तथा अन्य क्या प्रोत्साहन रखे गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों के स्वरूप और मछली पकड़ने के ढंग और मत्स्य पालन में अपनाई गई पद्धतियों के आधार पर समुद्रीय तथा अन्तर्देशीय क्षेत्रों में उत्पादन या आर्थिक मूल्यों में बड़ा अन्तर है। अन्य खाद्य जिन्सों के संबंध में मछली पकड़ने या मत्स्य पालन की विभिन्न परिस्थितियों में विनियोजन के लाभों का कोई तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं किया गया है। फिर भी यह मानी हुई बात है कि मत्स्य संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और प्रोटीनयुक्त खुराक की उपलब्धि को बढ़ाने के लिए इनका विकास किया जाना चाहिए। मत्स्य उद्योग के अनेक क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन के रूप में विनियोजन से अधिक लाभ प्राप्त होता है।

(ख) समुद्रीय मत्स्य उद्योग के क्षेत्र में पांचवीं योजना के लिए प्रस्तावित योजनाओं में मीन ग्रहण बन्दरगाहों, संसाधन सर्वेक्षणों, अनुसंधान शिक्षा तथा प्रशिक्षण के विकास को जारी रखने के अलावा परम्परागत जोकि मशीनी नौकाओं से मछली ग्रहण, मछियारों के लिए यंत्रीकृत नौकाओं की व्यवस्था और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए देश में बने पोतों के लिए आर्थिक सहायता की स्वीकृति की व्यवस्था की गई है। अन्तर्देशीय क्षेत्र में पूर्णतः समेकित योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ जलाशयों, छप्परों, तालाबों और अन्य जल क्षेत्रों में मछलियों के विकास के लिए धन का प्रबन्ध करने और उत्पादकों को तकनोलोजी का ज्ञान उपलब्ध करने की व्यवस्था है। शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए चौथी योजना की अपेक्षा अधिक धन की व्यवस्था करनी होगी।

मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के भिरमिन कस्बे में पीने के पानी की सुविधायें

1033. **श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले के भिरमिन कस्बे में, जिसकी जनसंख्या 15,000 है, अभी तक वहां की आवश्यकताओं के अनुसार पेय जल की सुविधायें नहीं हैं;

(ख) क्या इस जनसंख्या में अधिकांश राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कोयला क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं;

(ग) यदि हां, तो इस भूल के क्या कारण हैं;

(घ) य| सुविधायें कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी ?

संसदीय कार्यविभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रशिक्षण शिविरों के लिये राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन को सहायता

1034. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षण शिविर लगाने हेतु राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन को वित्तीय सहायता बन्द कर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविंद नेताम):

(क) और (ख) पैसे की बहुत ज्यादा तंगी के कारण वित्तीय वर्ष 1973-74 की बकाया अवधि के लिए, मान्यता प्राप्त खेलकूद संघों को प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के लिए अनुदान स्थगित किए गए हैं। अतिरिक्त निधियां उपलब्ध होने पर, इस स्थिति पर पुनर्विचार किया जाएगा।

भारत और ईराक के बीच सांस्कृतिक समझौता

1035. **श्री शशि भूषण :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और ईराक के बीच हाल ही में एक नए संस्कृति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी, हां।

(ख) भारत और ईराक के बीच संशोधित सांस्कृतिक करार पर जो कि पहले से अधिक व्यापक है 19 अप्रैल, 1973 को बगदाद में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें दोनों देशों के बीच शिक्षा, कला तथा संस्कृति, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, प्रेस, प्रसारण, टेलीविजन, खेल, पर्यटन आदि क्षेत्रों में सहयोग परिकल्पित है। करार की प्रतिलिपियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

कलकत्ता में मछली के मूल्य में वृद्धि

1038. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान पूर्वी भारत विशेषकर कलकत्ता में मछली के मूल्य में असामान्य वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मछली निगम द्वारा की गयी गड़बड़ भी मछली के मूल्यों में वृद्धि का एक कारण था; और

(घ) यदि हां, तो मछली के बढ़ते दामों को रोकने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी अथवा किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत तीन महीनों में पूर्वी भारत और विशेषकर कलकत्ता में मछली के मूल्य बढ़ते रहे हैं, किन्तु अधिक मांग बढ़ने के कारण त्यौहार के अवसर पर मछली के मूल्यों में असामान्य वृद्धि हुई है।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय मछली निगम मछलियों के आयात को बढ़ाती रही है। गत तीन महीनों में मछलियों का आयात बढ़कर 1138 मीटरी टन तक पहुंच गया। मूल्यों को स्थिर करने के उद्देश्य से मछलियां बाजार मूल्यों से काफी कम मूल्यों पर बेची जा रही हैं। उचित मूल्यों पर मछलियां उपलब्ध करने के उद्देश्य से निगम मछलियों के आयात में और वृद्धि कर रहा है।

मछुआ जहाजों के आयात के लिए एकाधिकार गृहों से आवेदन पत्र

1039. **श्री वयालार रवि :**

श्री सतपाल कपूर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े एकाधिकार गृह आयात किये जाने वाले मछुआ जहाजों का बड़ा भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने एकाधिकार गृहों ने इन लाइसेन्सों के लिए आवेदन दिये हैं तथा तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) छोटे मछली निर्यातकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कुछ बड़े व्यापारिक घरानों ने भारत सरकार द्वारा जून, 1973 में अधिसूचित मत्स्य नौकाओं की एक सीमित संख्या में आयात की योजना के अन्तर्गत आयातित ट्रालरों के आवंटन के लिए आवेदन किया है।

(ख) आठ बड़े व्यापारिक घरानों ने कुल 43 मत्स्य नौकाओं के आयात के लिए आवेदन किया है। 208 मत्स्य नौकाओं के आयात के लिए कुल 69 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अभ्यावेदन राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों एक सहकारी समिति, बड़े व्यापारिक घरानों और अन्य प्राइवेट फर्मों तथा अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ पहले से ही मछली के निर्यात व्यापार में लगे हुए हैं। गहरे समुद्र से मछली पकड़ने के कार्य में विकास की गुंजाइश की ओर सार्वजनिक और यथासंभव सहकारी क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जायेगा। तथापि गुण-दोष और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य के कारगर ढंग से विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य की दृष्टि में सभी अभ्यावेदनों की जांच की जायेंगी। इस संबंध में मत्स्य उद्योग में पूर्व अनुभव पर ही ध्यान दिया जायेगा।

मच्छरों के उन्मूलन के लिए योजनाएँ

1040. **श्री डी० के० पंडा :**

श्री फतह सिंह गायकवाड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मच्छरों के उन्मूलन संबंधी योजनायें प्रायः इस लिए असफल हो जाती हैं क्योंकि मच्छर डी० डी० टी० आदि जो औषधियां मच्छरों के उन्मूलन के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, उनके आदि हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब हमारे देश में मच्छरों का खतरा किस सीमा तक है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा): (क) भारत में मच्छरों के उन्मूलन के लिये अभी तक कोई योजना प्रारंभ नहीं की गई है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अधीन, जिसका उद्देश्य मलेरिया का उन्मूलन करना है, कुछ क्षेत्रों में परजीवी-वैक्टर मच्छरों में डी० डी० टी० को सहन करने की शक्ति पैदा हो गई है, इनमें अब प्रभावकारी वैकल्पिक कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है।

(ख) मच्छरों से खतरे की बात नहीं है बात यह है कि देश की अधिकांश जनसंख्या ऐसे हालात में रह रही है जहां मच्छर जन्य रोगों का खतरा बना रहता है।

(ग) महानगरों और कस्बों में मच्छर नियंत्रण उपाय नगर निगमों तथा स्थानीय निकायों द्वारा किए जाते हैं। फिर भी, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 76 प्रतिशत आबादी वाले क्षेत्रों में मलेरिया उन्मूलन के कार्य में काफी आगे बढ़ गया है तथा राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक करोड़ तीस लाख की आबादी को लाया गया है।

वैक्टर की प्रतिरोधी शक्ति का मुकाबला करने के लिये मच्छर नियंत्रण की वैकल्पिक विधियां निकालने के लिए सरकार अनुसंधान कार्य को भी प्रोत्साहन दे रही है।

चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने के संबंध में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की राय

1041. श्री डी० के० पंडा :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में चावल के थोक व्यापार का अधिग्रहण करने के बारे में हुई चर्चा के समय राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्या राय व्यक्त की थी;

(ख) क्या उन राज्यों के प्रशासन में इस मामले में अपनी राय बनाने से पहले केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने उन्हें क्या परामर्श दिया था ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) चावल के थोक व्यापार को लेने के प्रश्न पर 17 सितम्बर, 1973 को हुए राज्यों के मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ऐसा कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) सभी प्रमुख मसलों पर राज्य सरकारों/प्रशासनों के साथ विचार-विमर्श करने की सामान्य प्रथा के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार/प्रशासन के साथ चावल का थोक व्यापार लेने के मामले में विचार-विमर्श किया गया था ताकि इस निर्णय के कार्यान्वयन के बारे में परिचालन संबंधी ब्यौरों तथा कठिनाइयों के संबंध में उनका मूल्यांकन प्राप्त हो सके। इस विचार विमर्श की दृष्टि में यह निर्णय किया गया कि थोक व्यापार लेने समेत चावल की अधिप्राप्ति की कोई भी प्रणाली अपनानें में राज्य सरकारें स्वतन्त्र हैं।

आंध्र प्रदेश को उर्वरकों के आवंटन और अन्य राज्यों को उसका वितरण

1042. श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश को उर्वरकों के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है;

(ख) क्या उर्वरकों की आवंटित मात्रा की वास्तविक सप्लाई को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है; और

(ग) विभिन्न प्रदेशों में सप्लाई अनुसूची को विनियमित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि बीज बोने के समय और मौसम सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए उनका भली भांति प्रयोग किया जा सके ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां। केन्द्रीय उर्वरक पूल से आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के उर्वरकों के आवंटन में वृद्धि करने की आवश्यकता है; लेकिन उर्वरकों की उपलब्धि की सख्त कठिनाइयों के कारण\अधिक उर्वरकों का आवंटन करना संभव नहीं है।

(ख) विभिन्न राज्यों को आवंटित की गई मात्रा की वास्तविक सप्लाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है। इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु इस संबंध में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि विदेशों से पूल उर्वरक की प्राप्ति, आवंटित मात्रा के अनुरूप नहीं होती जिसका कारण यह है कि सम्भरणकर्ता ठेकों के अनुसार सप्लाई नहीं कर रहे और इसके साथ-साथ विश्व में जहाजों की भी कमी है।

(ग) केन्द्रीय उर्वरक पूल से वर्ष में दो छमाहियां के दौरान सप्लाई होती है और उर्वरक की उपलब्धि के अनुसार विभिन्न राज्यों को समय के आधार पर आनुपातिक रूप से उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए प्रयास किये जाते हैं। जहां तक मौसमी आवश्यकताओं के लिए किसी विशेष राज्य को अग्रिम रूप से विशेष सप्लाई करने का सम्बन्ध है, इसके लिए भी प्रयास किये जाते है, लेकिन यह भी उपलब्धि की स्थिति तथा अन्य राज्यों की सप्लाई पर पड़ने वाले प्रभाव पर निर्भर करता है।

पिछड़े क्षेत्रों में चीनी कारखाने स्थापित करने के लिये जारी किये आशय-पत्र/लाइसेंस

1043. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिए कितने आशय-पत्र तथा लाइसेंस जारी किये गये,

(ख) इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या-क्या विशेष सुविधाएं तथा रियायतें दी गई हैं अथवा दिये जाने का विचार है, और

(ग) इनके कार्यान्वियन में अब तक क्या प्रगति हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) 1971, 1972 और 1973 के तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के पिछड़े हुए क्षेत्रों में नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए 23 आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किये गए हैं।

(ख) विभिन्न धन देने वाले संस्थानों से पिछड़े क्षेत्रों में कृषि-औद्योगिक विधायन यूनिटों के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाएं और रियायतें बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) आम तौर पर आशय पत्र मिलने की तारीख से एक नई चीनी फैक्ट्री लगाने के लिए फिलहाल लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लगता है। तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों में नई चीनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा और उत्पादन चालू होने की सम्भावी तारीख बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5735/73]

विवरण

विभिन्न धन लगाने वाले संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों में कृषि औद्योगिक विधायन यूनिटों को उपलब्ध विशेष सुविधाएं तथा रियायतें इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पिछड़े क्षेत्रों में राज्यों सरकारों को परियोजना के सकल खण्ड लागत का 80 प्रतिशत ऋण रूप में देता है जबकि सामान्य क्षेत्रों के मामले में 70-75 प्रतिशत पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक कम ब्याज होता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उत्पादक सदस्यों से एकत्रित अंश पूंजी के 5 गुने तक राज्य सरकारों का अंश पूंजी में योगदान हो सकता है जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह योगदान दोगुना है।

(2) भारत का औद्यौगिक विकास बैंक पिछड़े क्षेत्रों में युनिटों को उदारतापूर्वक सहायता देने के लिए सहकारी विधायन यूनिटों को आगे धन लगाने की सुविधाएं प्रदान करता है। पिछड़े क्षेत्रों में यूनिटों के मामले में ऋण की अवधि सामान्य क्षेत्रों के मामले में 10 वर्ष की अवधि से बढ़ाकर समुचित रूप से और अधिक की जा सकती है। इसी प्रकार, ऋण चुकाने की कानूनी मोहलत बढ़ाकर 5 वर्ष की जा सकती है जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह अवधि 3 वर्ष है। प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में यूनिटों के मामले में प्रवर्त्तकों के नियत अंशदान में जोकि 15-20 प्रतिशत तक है, उसमें पर्याप्त कमी की जा सकती है। सामान्य क्षेत्र में 50 : 50 के सामान्य तरीके से पिछड़े क्षेत्रों में ऋण ईक्विटी अनुपात को समुचित रूप से घटाया जा सकता है। ब्याज की दर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत जबकि सामान्य क्षेत्रों में 9 प्रतिशत है। सुपुर्दगी प्रचार जो कि सामान्य क्षेत्रों में $\frac{1}{3}$ प्रतिशत है, समाप्त किया जा सकता है।

(3) कृषि पुनर्वित निगम द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत कम है और पुनर्वित की सुविधाएं 100 प्रतिशत तक उपलब्ध हैं जबकि सामान्य क्षेत्रों में यह सुविधा 75 प्रतिशत उपलब्ध है।

(4) भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों में औद्योगिक परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता की रियायती शर्तों में ब्याज की कम दर है, ऋण की अदायगी की शुरूआत के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल अवधि, अधिक उक्त परिशोधन अनुसूचियां, प्रतिभूति की कम गुंज़ाइश, प्रवर्त्तकों द्वारा परियोजना लागत के लिए अपेक्षाकृत कम अंशदान और बीमा कमीशन के बारे में निगम के सामान्य प्रभारों में कटौती, सुपुर्दगी प्रभार, आवेदन-पत्र की छानबीन और कानूनी प्रभारी के लिए न लौटाई जाने वाली जांच फीस।

जलोदर (ड्राप्सी) का महामारी के रूप में फैलना

1044. श्री राजदेव सिंह :
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मिलावटी सरसों के तेल के प्रयोग के कारण गत एक मास में 67 व्यक्ति जलोदर महामारी के शिकार हुए थे;

(ख) यदि हां तो क्या इस मिलावटी सरसों का तेल बेचने वालों को पकड़ लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) 21 सितम्बर, 1973 से दिल्ली में मिलावटी सरसों के तेल का उपभोग करने के कारण जलोदर (ड्राप्सी) के 77 मामलों की सूचना मिली है।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन मिलावटी सरसों का तेल बेचने वालो के विरुद्ध मुकदमे चलाए गये हैं/चलाए जा रहे हैं।

(ग) जिन 17 नमूनों में मिलावट पाई गई थी उनमें से 6 नमूनों में "आर्गेमन आयल" की जिससे जलोदर हो जाता है मिलावट पाई गई। चार मामलों में पहले ही मुकदमा चलाए जा चुके हैं।

खाद्यान्न का भन्डार

1045. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भण्डार है, और

(ख) यदि नहीं, तो उपलब्ध भण्डार से मांग कितनी अधिक है और उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : खाद्यान्नों की मांग अनेक तथ्यों अर्थात उपलब्धता, अन्य वैकल्पित खाद्य पदार्थ, उनके प्रतियोगी मूल्य, आय का स्तर, जनसंख्या की वृद्धि और शहरीकरण की रफ्तार आदि पर निर्भर करती है। अतः आवश्यकताओं और उपलब्धता के कई ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है। तथापि, सामान्य उत्पादन और इस समय सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्न स्टाक और आन्तरिक स्रोतों से अधिप्राप्त की जाने वाली मात्रा से आन्तरिक मांग को पूर्णतः पूरा करना संभव होना चाहिए।

दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में ह्रास

1046. **श्री जगन्नाथ मिश्र :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः माह के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा में बहुत ह्रास हुआ है जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और शीघ्र एवं अच्छी बस सेवा की व्यवस्था करने हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा बिजली में की गई कटौतियों और उनके संगठनों में श्रम विवादों के कारण टायरों और अन्य अनिवार्य फालतू पुर्जों की सप्लाई के लिए संबंधित निर्माताओं की असमर्थता के कारण दिल्ली परिवहन निगम की कई बसें पिछले कई महीनों के दौरान न चलाई जा सकीं। निगम की कई बसों को भी

समाज विरोधी तत्वों ने क्षति पहुंचाई। परन्तु आपातिक आधार पर आवश्यक फालतू पुर्जों और टायरों की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रयत्न किये गये हैं। गाड़ियों की मरम्मत और अनुरक्षण की सुविधाओं में सुधार के लिए भी काफी प्रयास किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, राजधानी में बस सेवाओं में पहले ही काफी सुधार किया जा चुका है और शीघ्र ही पूर्ण रूप से सामान्य स्थिति हो जाने की आशा है।

सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करना

1047. श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही के सर्वेक्षण में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है,

(ख) क्या सरकार ने सेन्ट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के निष्कर्षों का अध्ययन कर लिया है, और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन से यह पता चला है कि दिल्ली में दुर्घटनाओं की कुल संख्या यद्यपि बढ़ तो नहीं रही है, तथापि घातक दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ने की ओर है। संस्थान ने यह अनुमान लगाया है कि यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो 1981 में मृतकों की संख्या 1195 हो जायेगी जबकि 1972 में यह संख्या 503 थी।

(ख) (i) संस्थान द्वारा दिल्ली के व्यापक यातायात और परिवहन नियोजन अध्ययनों जो कि दिल्ली प्रशासन तथा योजना आयोग के अनुरोध पर किये गये थे के भाग के रूप में बनाई गई सड़क विकास तथा यातायात सुधार योजनाओं का योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों के एक कार्य दल ने अध्ययन किया था। इस दल ने उन सड़क यातायात सुधार योजनाओं को छांट लिया है जिन को पांचवी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने की आवश्यकता है।

(ii) दिल्ली प्रशासन की मासिक यातायात समीक्षा समिति ने यातायात विनियमों तथा व्यापक यातायात अध्ययनों और अन्य अध्ययनों के आधार पर केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा सुझाए गये नियंत्रण उपायों का अध्ययन किया है और विभिन्न प्रस्तावों की स्थल पर ही जांचें भी की हैं।

(ग) (i) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा सुझाए गये यातायात विनियमों तथा नियंत्रण उपायों, जिन पर मासिक यातायात समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया था, को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्षेत्रकर लागू किया जा रहा है।

(ii) यातायात प्रवाह की क्षमता तथा सुरक्षा में सुधार करने हेतु केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा दिल्ली के व्यापक यातायात तथा परिवहन अध्ययनों के भाग के रूप में सुझाई गई सड़क और यातायात सुधार योजनाओं को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

37 L.S.S./73—6

मल निष्कासन योजना

1048. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न नगरों के अन्तर्गत मल-निष्कासन योजना को लाने के बारे में कोई विशेष योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) : जल पूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है। जल पूर्ति तथा मल-व्यवस्था स्कीमों के लिए नियतन, स्वयं राज्य सरकार अपने-अपने राज्य की योजनाओं में करती हैं। चौथी योजना में राष्ट्रीय जल पूर्ति तथा सफाई-प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत कई नगरों में मल व्यवस्था स्कीमें निष्पादित की जा रही हैं। पांचवीं योजना में नगरीय जलपूर्ति तथा सफाई प्रबन्ध के लिए 431 करोड़ रुपये के अन्तरिम परिव्यय का प्रस्ताव है जिसमें 78 करोड़ रुपये मल-व्यवस्था संबंधी योजनाओं के लिए हैं।

कुछ चुनींदा नगरों में शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में बदलने की एक केन्द्रीय पायलट स्कीम को भी पांचवीं योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

मार्ग में आयातित गेंहूं की क्षति

1049. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री समर मुखर्जी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्ग में काफी मात्रा में आयातित गेहूं क्षतिग्रस्त हो गया,

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं, और

(ग) कितनी हानि हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अक्तूबर, 1973 तक आयात किये गये 16,74,000 मीटरी टन गेहूं में से 7,257 मीटरी टन गेहूं मार्ग में खुले समुद्र में क्षतिग्रस्त हो गया था।

(ख) खराब मौसम होने के कारण जहाजों के खावों में समुद्र का पानी दाखिल हो जाने से यह क्षति हुई थी।

(ग) गेहूं का निपटान कार्य, जो कि प्रगति पर है, के समाप्त होने पर क्षति की जानकारी हो पाएगी।

'एफ० सी० आई० सिंकिंग अन्डरवेट आफ यूनियन' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

1050. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 सितम्बर, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "एफ० सी० आई० सिंकिंग अंडरवेट आफ यूनियन्ज" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : प्रकाशित समाचार में उल्लिखित बातों से सरकार अवगत है और भारतीय खाद्य निगम के कार्याचालन तथा उसकी परिचालन संबंधी कठिनाइयों की सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है। कर्मचारियों के अनुशासन हीनता के कार्यों से निपटने के लिए आवश्यक पग उठाए गए हैं।

कर्मचारियों की एसोसिएशनों/यूनियनों को मान्यता देने के बारे में नीति तैयार करने के लिए श्रम मन्त्रालय से परामर्श कर भारतीय खाद्य निगम प्रबंध ने एक कार्यकारी दल गठित किया है। खाद्य निगम के लिए स्थापित आन्तरिक सतर्कता को सशक्त बनाने के लिए पग उठाए गए हैं; और विस्तृत जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को गंभीर मामले भेजने के अलावा, विशेष शिकायतों तथा आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है।

मोती नगर, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के औषधालय का निर्माण

1051. **श्री एम० एस० शिवस्वामी : स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय को मोती नगर से पंजाबी बाग ले जाने के बारे में 9 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6473 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के मोती नगर औषधालय के लिए अच्छे भवन की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम से प्लाट का आवंटन करने के लिए अनुरोध किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोण्डाजी बासप्पा) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम ने जिनसे इस मामले में अनुरोध किया गया था, मोती नगर अथवा समीपस्थ क्षेत्रों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय बनाने के लिए एक प्लाट आवंटित न कर सकने की अपनी असमर्थता पर खेद प्रकट किया है।

सेक्टर डी, मन्दिर मार्ग नई दिल्ली में दुग्ध डिपो

1052. **श्री एम० एस० शिवस्वामी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैक्टर डी, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली (डी०आई०जेड० एरिया) में दुग्ध डिपुओं का निर्माण कर दिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इन डिपुओं में कब तक वितरण कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) दुग्ध डिपुओं के निर्माण का कार्य अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ज्यों ही इन डिपुओं को दिल्ली दुग्ध योजना को सौंप देगी, दूध के बूथ (सिर्फ प्रातः कालीन डिपो) कार्य करना आरम्भ कर दगे। अनुमान है कि ये दिसम्बर, 1973 के अन्त तक तैयार हो जायगे।

मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली के टाइप II तथा टाइप III क्वार्टरों के बीच पैट्रोल पम्प

1053. **श्री एम० एस० शिवस्वमी** : क्या **निमार्ण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के टाईप II तथा टाईप III क्वार्टरों के बीच वाले स्थान पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में पेट्रोल पम्प स्थापित करने के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) अभ्यावेदनों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली-26 के निवासियों द्वारा दिया गया ज्ञापन

1054. **श्री हरी सिंह:** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाबी गार्डन, नई दिल्ली-26 के निवासियों ने 18 अक्तूबर, 1973 को नगर निगम आयुक्त और 17 अक्तूबर, 1973 को क्षेत्रीय सहायक आयुक्त पश्चिमी क्षेत्र नई दिल्ली को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उस कालोनी के सार्वजनिक मार्ग पर अनधिकृत निर्माण कार्य के विरुद्ध शिकायत की गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मांग की गई है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) (i) निवासियों ने सर्व श्री जी० आर० गुजराल तथा के० सी० सहगल द्वारा पंजाबी बाग में सार्वजनिक मार्ग पर किये गये अनधिकृत निर्माण कार्य को हटाने की मांग की है ।

(ii) निर्माणकर्ताओं को दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 343 तथा 344 के अधीन नोटिस तामील किये गये हैं तथा अनधिकृत निर्माण गिराने के आदेश दे दिये गये हैं। गिराने की कार्यवाही यथाविधि की जाएगी।

प्राईवेट परिक्षार्थियों के लिए स्नातकोत्तर परिक्षाएँ

1055. **श्री हरी सिंह :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों को स्नातकोत्तर परीक्षाओं के लिए परीक्षार्थियों को प्राइवेट तौर पर परीक्षा देने सम्बन्धी विशेष निदेश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) सरकार ने इस प्रकार के कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं क्योंकि विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राईवेट रूप से बैठने की विद्यार्थियों को अनुमति प्रदान करने का प्रश्न, एक ऐसा मामला है, जिस पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ही निर्णय किया जाता है।

भेड़ों की संख्या

1056. **श्री के० मालन्ना:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भेड़ों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) क्या सरकार ने देश में भेड़ों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) गत 1966 में हुई पशुधन संगणना के अनुसार राज्य वार आधार पर भेड़ों की संख्या कों प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। 15-4-72 के सन्दर्भ तिथि मानते हुए उत्तरवर्त्ती संगणना के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) जी, नहीं।

विवरण

वर्ष 1966 में विभिन्न राज्यों में भेड़ों की संख्या

(हजारों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1966 में भेड़ों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	8004
2. असम मेघालय सहित	73
3. बिहार	1247
4. गुजरात	1652
5. हरियाणा	516
6. हिमाचल प्रदेश	1049
7. जम्मू तथा कश्मीर	1152

1	2
8. कर्नाटक	4749
9. केरल	12
10. मध्य प्रदेश	1016
11. महाराष्ट्र	2205
12. मणिपुर	8
13. नागालैंड	*
14. उड़ीसा	1182
15. पंजाब	444
16. राजस्थान	8806
17. तमिलनाडु	6621
18. त्रिपुरा	2
19. उत्तर प्रदेश	2623
20. पश्चिम बंगाल	639
21. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	*
22. चंडीगढ़	2
23. दादर एवं नगर हवेली	*
24. दिल्ली	5
25. लक्ष द्वीप	कुछ नहीं
26. पांडीचेरी	7
27. अखिल भारत	42014

टिप्पणी :—*500 से कम।

बंगलौर में मधुमेह रोगियों के लिये विशेष किस्म का गेंहूं

1057. **श्री के० मालन्ना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार को मधुमेह के उन असाध्य रोगियों की दयनीय स्थिति का पता है जिन्हें विशेष किस्म के गेहूं से ही बना खाना खाने की सलाह दी जाती है और जो बंगलौर सिटी में उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या उन्हें काफी कठिनाइयां हो रही हैं और आमतौर पर उन्हें चावल खाने को बाध्य होना पड़ता है जिससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी सहायता करेगी और उक्त रोगियों को इस विशेष किस्म गेंहूं की सप्लाई करेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली परिवहन निगम की बस में यात्रियों का लूटा जाना

1059. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर:

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 25 सितम्बर, 1973 को नई दिल्ली में बुद्ध जयन्ती पार्क के निकट डाकुओं ने दिल्ली परिवहन निगम की एक दुमंजिली बस के यात्रियों को लूट लिया;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई थी?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) जी. नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब राज्यों में पेय जल योजनायें

1060. श्री नारायण चन्द पाराशर: क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्यों को पेय जल योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितनी राशि स्वीकृत की;

(ख) क्या स्वीकृत राशि का उपयोग भी कर लिया गया है और क्या इन योजनाओं के लिये आगे और वित्तीय सहायता दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इन योजनाओं में से कितनी पूरी की जा चुकी है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) तथा (ख) जल पूर्ति राज्य क्षेत्र का कार्यक्रम है। जल पूर्ति की स्कीमों के लिये नियतन स्वयं राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य की योजनाओं में करती हैं तथा साधनों की उपलब्धता के अनुसार वे उनका कार्यान्वियन करती हैं। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब सरकारों द्वारा जल पूर्ति योजनाओं पर गत तीन वर्षों में किया गया खर्चा निम्नलिखित सारिणी में दिया गया हैं:—

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	पंजाब
	(लाख रुपयों में)	(लाख रुपयों में)
1970-71	50	127
1971-72	82	238
1972-73 (प्रत्याशित)	100	250

वर्ष 1972-73 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को 100 लाख रुपये का तथा पंजाब सरकार को 75 लाख रुपये का सहायक अनुदान, चुनी हुई ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये दिया गया था। ये अनुदान राज्य योजना कार्यक्रम के अतिरिक्त थे।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित नगरों तथा ग्रामों की जल सप्लाई की स्कीमें इन वर्षों के दौरान पूर्ण की गई थीं:—

वर्ष	हिमाचल प्रदेश	पंजाब	नगर
राज्य कार्यक्रम	(केवल ग्राम)	ग्राम	
1970-71	74	48	9
1971-72 . . .	40	80	9
1972-73 . . . प्रत्याशित	90	300	5
त्वरित कार्यक्रम			
1972-73	80	6	—

पांचवी योजना के दौरान नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव

1061. **श्री नरायण चन्द पाराशर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नए केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये विश्वविद्यालय खोले जाने की संभावना है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय आयोजना अवधि के दौरान पांडिचेरी और हैदराबाद में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और एक खुला (ओपन) विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं।

पहाड़ी राज्यों के अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में बारानी खेती

1062. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पहाड़ी राज्यों के अर्द्ध-पहाड़ी क्षेत्रों में बारानी खेती पर अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों की रूप रेखा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने शुष्क-भूमि कृषि हेतु 174.38 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक अखिल भारत समन्वित अनुसंधान परियोजना मंजूर की थी। यह परियोजना चुने हुए 24 केन्द्रों में क्रियान्वित की जा रही है। इन 24 केन्द्रों में से कोई भी केन्द्र पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित नहीं है। एक केन्द्र देहरादून में स्थित है और इसमें शुष्क-भूमि की परिस्थितियों में आर्द्रता संरक्षण और भू-क्षरण को कम करने के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिये अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

शुष्क-भूमि परियोजना के अतिरिक्त भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र और कुछ राज्यों में कृषि और पशु-विज्ञान अनुसंन्धान केन्द्रों की स्थापना के लिये हाल ही में 85.00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक परियोजना स्वीकृत की है। यह परियोजना देश के उत्तरी पूर्वी भाग के लिये होगी। परियोजना निदेशक शिलांग में रहेगा। यह परियोजना उप पर्वतीय क्षेत्र की समस्यायें भी हल करेगा। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य उन पद्धितियों, जिनका सुधार किया जा सकता है, का पता लगाने के लिये सस्य सर्वेक्षण करना और भूमि संरक्षण जल प्रबन्ध सस्य चक्र खाद देना और बहु-फसल आदि की तकनीकों को लागू करना और उनका प्रदर्शन करना है।

केरल में उर्वरकों की कमी

1063. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस समय केरल में उर्वरकों की बहुत भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकौर के उत्पादन के मुख्य भाग को केरल को आवंटित करने का है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल को कम से कम एक कारखाना आवंटित करने हेतु पंच-वर्षीय योजना में उर्वरक कारखाना आवंटन नीति पर पुर्नविचार करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) 1973–74 के रबी मौसम में राज्य में उर्वरकों की कुछ कमी होने की सम्भावना है। यह उर्वरकों की उस समस्त कमी का एक भाग है जिसका सामना पूरे देश को करना पड़ रहा है।

(ख) 1973–74 के रबी मौसम के लिए राज्य को फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकौर के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत भाग यह मात्रा उन उर्वरकों की कुल सप्लाई का 50 प्रतिशत भाग है जो राज्य को इस अवधि में विभिन्न विनिर्माताओं से प्राप्त होना है। आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त कोचीन फेस 1 में उत्पादित 5000 टन यूरिया केरल को आवंटित कर दिया गया है। आवंटन करते समय भारत सरकार की नीति यह है कि किसी राज्य को उर्वरकों की सप्लाई के लिए किसी एकमात्र श्रोत पर निर्भर न रहना चाहिए। इस बात को और केरल की कुल जरूरत को ध्यान में रखते हुए फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकौर के उत्पादन का बड़ा भाग केरल को आवंटित कर दिया गया है।

(ग) फर्टीलाईजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकौर ने यूरिया या यूरिया एवं मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए पांचवीं योजना के दौरान कोचीन में एक नई परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा था। संसाधनों की कठिनाइयों तथा अन्य सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार

ने पांचवीं योजना के दौरान भटिन्डा, मथुरा, पानीपत, पारादीप और बम्बई में सरकारी क्षेत्र में पांच उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है। संसाधनों की स्थिति और अन्य सम्बद्ध कारणों को ध्यान में रखते हुए कोचीन सहित अन्य उपयुक्त स्थानों पर क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर उचित समय आने पर विचार किया जाएगा।

खेल कूद संबंधी नीति पर सरकार द्वारा पुर्नविचार

1064. श्री सी० जनार्दनन :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलिम्पिक विश्व कप हाकी मैच युनिवर्साइड आदि में बार-बार हुई पराजयों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार खेलकूद सम्बन्धी नीति पर पुर्नविचार करने का है ;

(ख) क्या हमारे इन खेल कूदों में शामिल होने और इनके तथ्य और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सरकार को रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले और भविष्य के लिये क्या योजनायें हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भारत के निम्न स्तर का प्रदर्शन अखिल-भारतीय खेल-कूद परिषद् और शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किए हुए है।

बीसवें विश्व ओलिम्पिक खेल, 1972 में गए सरकारी प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट पर विचार किया गया है और भावी प्रस्ताव तैयार करते समय इसकी विषय-वस्तु को ध्यान में रखा गया है। विश्व-कप हाकी प्रतियोगिता, 1973 में भारतीय हाकी टीम के खेल-प्रदर्शन के संबंध में भारतीय हाकी संघ की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ; 'युनिवर्सेड' 1973 में भारतीय दल के खेल के संबंध में रिपोर्ट अभी हाल ही में प्राप्त हुई है तथा उसकी जांच की जा रही है।

इस स्थिति में सुधार करने के उपायों पर विचार किया गया है और उन्हें पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। मूल नीति यह होगी कि शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों तथा प्रारम्भिक स्तर पर खेल-कूद कार्य कलापों और शारीरिक प्रशिक्षण को व्यापक क्षेत्र में फैलाया जाए। ऐसा करने से इसके अन्तर्गत बहुत बड़ी संख्या में शारीरिक रूप से स्वस्थ युवा खिलाड़ियों को शामिल कर लिया जाएगा और एक बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में युवा वस्था में ही प्रतिभा का भी पता लगाया जा सकेगा। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेल-कूद के विकास के लिए धन के आवंटन की जानकारी उपलब्ध हो जाने के पश्चात ही उपरोक्त आधार पर विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे।

अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भारतीय दलों के निम्न स्तर के प्रदर्शन की पुनरावृत्ति से बचने के लिए भारत सरकार ने, अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की सलाह पर भारतीय दलों द्वारा केवल ऐसी खेल-प्रतियोगिताओं में ही भाग लेने को सीमित करने का निर्णय किया है, जिनमें भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरों के अनुरूप हो।

केरल में निरक्षरता उन्मूलन

1065. **श्री सी० जनार्दनन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केरल में निरक्षरता उन्मूलम के बारे में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने हेतु केन्द्र की योजनाएं क्या हैं ;

(ख) क्या इस कार्य के लिये केरल को किसी प्रकार की सहायता या वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी०पी० यादव) :

(क) भारत सरकार, केरल सहित सभी राज्यों में निरक्षरता के उन्मूलन के साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देती है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1971-72 से 1973 1974 (अभी तक) निरक्षरता के उन्मूलन सहित प्रौढ़ शिक्षा के लिए दो स्वैच्छिक संगठनों अर्थात् (1) केरल ग्रन्थशाला संगम, त्रिवेन्द्रम, और (2) मित्रा निकेतन, बेलानाड, केरल को 1,70,616 रुपये की राशि के अनुदान दिए गए हैं।

कोचीन शिपयार्ड में 6 अक्तूबर, 1973 को काम बन्द होना

1066. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड में 6 अक्तूबर, 1973 को कर्मचारियों की हड़ताल के परिणामस्वरूप काम बन्द हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण थे ;

(ग) कर्मचारियों की हड़ताल को बातचीत आदि के माध्यम से समाप्त करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ; और

(घ) हड़ताल के फलस्वरूप कितनी हानि हुई ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० राना) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

औडीसा यार्ड (यू० एस० एस० आर०) द्वारा भारत के लिये मोटर शिप बनाना

1067. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओडीसा यार्ड (यू० एस० एस० आर०) द्वारा भारत के लिए मोटर शिप बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो मोटर शिप की क्षमता कितने टन है ;

(ग) शिप का मूल्य क्या है ; और

(घ) उस यार्ड द्वारा भारत के लिए बनाये जा रहे अन्य शिपों की मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) से (घ) प्रत्येक 450 लाख रुपये के मूल्य के प्रत्येक 16,300 डी० डब्लू० टी० के तीन मालवाहक जहाज शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया के लिये औडीसा यार्ड (यू० एस० एस० आर०) द्वारा बनाये जा रहे हैं। उसी आकार का और उसी मूल्य पर एक और जहाज उक्त यार्ड में बनाया जा रहा है।

चावल पर सरकारी नियंत्रण की नीति का समायोजन और पुनर्निर्धारण

1068. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री विक्रम महाजन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल पर सरकारी नियंत्रण लागू करने की नीति के समायोजन और पुनर्निर्धारण की वे विशेष मदें कौन सी हैं जो वर्तमान कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुकूल हों; और

(ख) इस नीति को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने हेतु किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) क्योंकि चावल का थोक व्यापार लेने की नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए न केवल कार्यचालन सम्बन्धी ब्यौरों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता थी बल्कि राज्य सरकारों और राजनैतिक दलों के पूर्ण योगदान और सहयोग की भी आवश्यकता थी, इसलिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इस संबंध में राज्य के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों और विरोधी दलों के नेताओं से कई एक बार विचार विमर्श किया। इन बैठकों में इस योजना में आने वाले कई कठिनाइयों का उल्लेख किया गया। बफर स्टाक और अपेक्षित प्रबंध न होने के कारण आगामी खरीफ मौसम से चावल का थोक व्यापार लेने से संबंधित नीति का पुनर्निर्धारण करने की आवश्यकता थी।

उपर्युक्त वार्ता को ध्यान में रखते हुए और चावल की अधिप्राप्ति में पर्याप्त तेजी लाने की आवश्यकता को देखते हुए, उचित यही समझा गया कि यह बात राज्यों पर छोड़ दी जाए कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अधिप्राप्ति की कोई भी प्रणाली अपना लें। तथापि, मोटे तौर पर राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि वे या तो उत्पादकों पर क्रमिक लेवी लगाने अथवा मिल मालिकों/व्यापारियों पर लेवी लगाने की प्रणाली को अथवा दोनों प्रणालियों को अपनाए और भारी संख्या में हुलरों को भी अपने नियंत्रण और देखरेख में लाए। जो राज्य सरकारें 1973-74 के खरीफ के मौसम से चावल के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने को इच्छुक थीं उनको ऐसा करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तदनुसार, असम राज्य सरकार ने पहली नवम्बर, 1973 से चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में ले लिया है।

अधिप्राप्ति के हित में धान और चावल के संचलन पर लगे मौजूदा प्रतिबंधों को जारी रखने का निर्णय किया गया है।

भवन-निर्माण और कोचीन शिपयार्ड की गोदियों तथा घाटों की मरम्मत

1069. श्री ए० के० गोपालन : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भवन निर्माण तथा गोदियों एवं घाटों की मरम्मत के लिए टेंडरों के पर्याप्त एवं संतोषजनक संख्या में न आने से कोचीन शिपयार्ड को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी, हां। ोचीन शिपयार्ड को अवश्य कठिनाई हुई थी।

(ख) और (ग) निर्माण गोदी और मरम्मत गोदी के कार्य में गहन और बड़े पैमाने पर शीट पाइलिंग और पूर्व प्रतिबलित कंक्रीट कास्ट-इन-सिटु पाइलिंग होता है। 1971 में कोचीन शिपयार्ड निवद पूछताछ के उत्तर में केवल एक ही टेंडर प्राप्त हुआ जो तकनीकी रूप से स्वीकार्य नहीं था। 1972 के प्रारंभ में फिर से टेंडर मांगे गये और दो प्रस्ताव प्राप्त हुए। काफी जांच पड़ताल के बाद टेंडर समिति ने जनवरी 1973 में अधिक मुकाबिले की और तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदाकार को कार्य दे दिया गया। ठेकेदार ने एक मुख्य डच फर्म के साथ सहयोग का समझौता किया है। यद्यपि उपकरण के आयात और ठेकेदार तथा उसके हालैंड के विदेशी सहयोगी के बीच समझौता होने में देरी हुई, तथापि कार्य अब संतोषजनक ंग से हो रहा है।

रबड़ के बीज धन देने वाले रोजगार के रूप

1070. श्री ए० के० गोपालन : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने यह सिद्ध कर दिया है कि रबड़ के बीजों को सैंकड़ों व्यक्तियों को धन देने वाले रोजगार के रूप में बदला जा सकता है

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसकी व्यावहारिकता की कोई जांच की है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस रद्दी को इस धन में बदलाने से रोजगार की कुल कितनी क्षमता उत्पन्न हो सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) केरल सरकार सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Iron Filling in Sugar Distributed in Ratlam in October, 1973

1071. Shri Phool Chand Verma : Will the Minister of **Agriculture** be state :

(a) whether iron filings were found in sugar distributed in Ratlam city in October, 1973 before Diwali;

(b) if so, detailed information in this regard; and

(c) the action proposed to be taken by Government to avoid recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c) : Do not arise.

Slum Clearance Scheme for Mori Gate, Delhi

1072. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a slum clearance scheme for Mori Gate, Delhi and

(b) if so, the main features thereof and the steps proposed to be taken in future ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Work and housing (Shri om Mehta)

(a) A scheme of slum clearance in Kucha Mohittar Khan falling in this area is under formulation by the Municipal Corporation of Delhi.

(b) The scheme envisages areas for slum tenements, primary school, local shopping centre, park, religious sites etc. The scheme, when formulated will be considered by the Delhi Administration.

No scheme for the entire Mori Gate area is under the consideration of the Corporation.

उर्दू की प्रगति के बारे में गुजराल समिति

1073. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्दू की प्रगति के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई गुजराल समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और यह रिपोर्ट कब तक पेश कर दी जाएगी?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :
(क) उर्दू विकास समिति ने सरकार को अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) देश में उर्दू के बिकास के प्रश्न पर समिति व्यापक रूप से विचार कर रही है और इस वजह से इसमें कुछ समय लगा। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक समिति अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देगी।

दिल्ली में नर्सों की हड़ताल के दौरान दिये गये आश्वासन

1074 **श्री एस०एम० बनर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुई नर्सों की पिछली हड़ताल के दौरान उन्हें दिये गये आश्वासन को कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) कुछ मुद्दों के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) :

(क) से (ग): अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली में हुई नर्सों की हड़ताल के दौरान दिये गये आश्वासन	की गई कार्यवाही वर्तमान स्थिति
(1)	(2)
	धुलाई भत्ता
1. पहली अगस्त, 1973 से धुलाई भत्ता बढ़ा कर 12.00 रुपये प्रतिमास कर दिया जायेगा जिसकी शीघ्र ही फिर समीक्षा की जायेगी।	धुलाई भत्ते को 4.50 रुपये प्रतिमास से बढ़ाकर 12.00 पये प्रतिमास करने के विषय में आवश्यक आदेश 5, सितम्बर 1973 को जारी कर दिये गये थे। जहां तक इस मांग का संबंध हैं कि धुलाई भत्ता बढ़ाकर 15.00 प्रतिमास किया जाए, दिल्ली नर्स संघ ने इस वृद्धि के औचित्य के बारे में और अधिक ब्यौरे और तथ्यपूर्ण आंकड़े प्रस्तुत करने का वचन दिया था ।
	वर्दी भत्ता
2. वर्दी भत्ते के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें उसी तारीख से लागू की जायेंगी, किन्तु इन से नर्स कर्मचारियों की सही मांगों की पूर्ति न होने के कारण तथा वर्दी भत्ते के मामले में यह कहा जाने के कारण कि किसी एक वर्ग और दूसरे के बीच भेद-भाव का कोई औचित्य नहीं है इस मामले को वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के फैंसले की घोषणा हो जाने के बाद उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुनरीक्षण करने के लिये उठाया जायेगा ।	इस मामले को वित्त मंत्रालय (कार्यान्वियन कक्ष) के साथ उठाया गया था । वित्त मंत्रालय ने कहा है कि तीसरे वेतन आयोग ने सभी विभागों में स्टाक नर्सों और नर्सिंग सिस्टरों के वर्दी भत्ते को बढ़ाकर 150.00 रुपये प्रतिवर्ष कर देने की सिफारिश की है। सरकार ने हाल ही में इस सिफाशि को मान लिया है ।
3. वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की कोई भी तारीख क्यों न हो, सरकार का जो फैसला अन्य वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के बारे में होगा वही नर्सिंग स्टाफ पर भी लागु होगा	इसे ध्यान में रखा जा रहा है ।
	मकानों की व्यवस्था
4. नर्सिंग स्टाफ के लिये मूलतः जितने क्वार्टर निर्धारित किये गये थे, यदि वे खाली पड़े ंगे तो वे तुरंत अलाट कर दिये जायेंगे ।	सभी निर्धारित मकान अलाट कर दिये गये हैं।
	अखिल भारतीय वायु विज्ञान संस्थान
	नर्सिंग स्टाफ के लिये कोई मकान निर्धारित नहीं किये गये थे और इसलिये इनके खाली पड़े रहने का सवाल ही नहीं उठता ।

1	2
5. दिल्ली नर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से इस आशय का आश्वासन मिलने पर कि वे शीघ्र ही हड़ताल समाप्त कर देंगे और अस्पताल की सेवाओं को सामान्य बनाये रखने के लिये वे अपना पूरा पूरा सहयोग देंगे। मन्त्री जी इस बात पर सहमत हो गये कि किसी को कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा और हड़ताल की अवधि को अवकाश के रूप में मान लिया जायेगा	किसी को कोई दण्ड नहीं किया गया ।
6. जहां तक अन्य अनिर्णित पड़े मामलों का प्रशन है अस्पतालों की सेवाओं के सामान्य हो जाने के बाद ही इन पर बातचीत शुरू की जायेगी ।	दिल्ली के अस्पतालों में काम कर रही नर्सों से सम्बन्धित अनिर्णित पड़े मामलों पर विचार विमर्श करने के लिये 6 सितम्बर, 1973 को आयोजित एक बैठक में दिल्ली नर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को बुलाया गया ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

1075. **श्री एस० एम० बनर्जीः** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विरोधी दलों के कुछ संशोधनों को सम्मिलित करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में और संशोधन करने की संभावना है,

(ख) यदि हां, तो क्या संशोधन लाये जाने की संभावना है, और

(ग) क्या संशोधन विधेयक चालू सत्र में संसद में प्रस्तुत किया जायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क): जी, नहीं ।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान संस्थान द्वारा आश्वासन दिया जाना

1076. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या करनाल स्थित केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान में संस्थान खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं के बारे में आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अनुसंधान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अनुसंधान से पता चला है कि क्षारीय भूमि भी अत्यधिक उपजाऊ बनाई जा सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान, संस्थान, करनाल अत्यधिक क्षारीय और विक्षारीय भूमि में कृषि उत्पादन बढ़ाने के विषय में अनुसंधान करता रहा है । अनुसंधान से पता लगा है कि सामान्य पद्धतियां अपनाकर गंगा के मैदानों की क्षारीय भूमि में धान और गेहूं की अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं । इनमें (क) भूमि समतलीकरण, (ख) जिप्सम आदि मृदा सुधारों की अभिवृद्धि करना, (ग) फसलों और किस्मों का उपयुक्त चयन करना, (घ) उपयुक्त जल प्रबन्ध, (ङ) पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टियों में उनकी पूर्ति करना, शामिल है ।

(ख) इस क्षेत्र में केन्द्रीय क्षारीय भूमि अनुसंधान संस्थान लगभग पिछले 3 वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा है ।

(ग) अनुसंधान से पता चला है कि अत्यधिक क्षारीय भूमि में अच्छी फसलें उगाई जा सकती हैं, परन्तु फसलों का चयन सीमित है । प्राम्भिक अवस्थाओं में मुख्यतः धान और गेहूं पर बल दिया जाएगा ।

काश्तकार कानूनों में समानता लाने में प्रगति

1077. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **कृषि** मंत्री काश्तकारों और बटाईदारों के लिये एक समान विधान से संबंधित 20 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्तकार कानूनों में समानता लाने संबंधी नीति के शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय सरकार के उत्साहजनक प्रयासों पर सम्बद्ध राज्य सरकारों की क्या ठोस प्रक्रिया है ;

(ख) सम्बद्ध राज्य सरकारों को समानता लाने के लिये क्या-क्या ठोस सुझाव दिये गये हैं ; और

(ग) क्या बटाईदारों को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों का बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में गैरकानूनी बेदखली आदि के जरिये खुले रूप से उल्लधन किया जाता है तथा यहां तक कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गैरकानूनी बटाईदारी जारी है ; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

कर्नाटक के लिये खाधान्न का मासिक कोटा

1078. **श्री सी० के० जाफरशरीफ** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्नाटक राज्य के लिये प्रति माह खाद्यान्न की कितनी मात्रा निर्धारित कर रखी है,

(ख) क्या राज्य को प्रत्येक महीने निर्धारित कोटा नियमित रूप से मिल रहा है, और

(ग) क्या कर्णाटक राज्य सरकार उसे सप्लाई किये जाने वाले कोटे से संतुष्ट है और यदि नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग): किसी राज्य के लिये खाद्यान्नों का निर्धारित मासिक कोटा नहीं है । मैसूर सरकार केन्द्रीय पूल से अधिकतर आवंटनों के लिये कहती रही है । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी वाले राज्यों की सापेक्ष जरुरत को ध्यान में रखकर मैसूर सरकार को खाद्यान्नों का आवंटन किया जा रहा है ताकि राज्य में सरकारी वितरण की उपयुक्त जरुरतें पूरी की जा सकें । पिछले तीन महीनों के दौरान सारी गेहूं की आवंटित मात्रा सप्लाई की गयी थी, जहां तक पाइलों का संबंध है, परिचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण सप्लाई में कुछ कमी रही है ।

पश्चिम बंगाल में खाद्यान्न के कोटे में की गई कटौती को समाप्त करना

1079. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने मांग की है कि राज्य के खाद्यान्न के कोटे में की गई कटौती को समाप्त किया जाये, और

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): राज्यों को प्रतिमास खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है । अधिक मात्रा के आवंटन के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार अनुरोध करती रही है । केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य को सरकारी वितरण प्रणाली की उचित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को यथा संभव अधिक से अधिक आवंटन किये जा रहे हैं ।

जिला मुख्यालयों और राज्य की राजधानियों में 'स्टेडियम, बनाने के लिय राज्यों की सहायता करने की योजना

1080. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला मुख्यालयों और राज्यों को राजधानियों में खेल-कूद 'स्टेडियम' बनाने में राज्यों की सहायता करने संबंधी सरकार की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है, और

(ग) किन स्टेडियमों के लिये भारत सरकार ने अनुदान दिये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) : जी, नहीं । राज्यों की राजधानियों या जिला मुख्यालयों के लिए विशेष-रूप से नहीं । "खेलों के विकास, राज्य खेल कूद परिषदों को अनुदान" की योजना के अन्तर्गत 50,000 रुपये की वित्तिय सहायता या स्टेडियम के निर्माण के लिये निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, दी जाती है । ऐसे स्टेडियमों के लिए स्थान के बारे में निर्णय संबंधित राज्यों द्वारा किया जाता है ।

(ग) अब तक भारत सरकार ने निम्नलिखित राज्यों में स्टेडियमों के निर्माण के लिए अनुदान दिए हैं :—

राज्य	स्टेडियमों की संख्या
(1) आन्ध्र प्रदेश	9
(2) असम	4
(3) बिहार	3
(4) गुजरात	3
(5) हरियाणा	2
(6) जम्मू व काश्मीर	2
(7) केरल	8
(8) मध्य प्रदेश	4
(9) महाराष्ट्र	7
(10) कर्नाटक	10
(11) उड़ीसा	2
(12) पंजाब	7
(13) राजस्थान	6
(14) तमिल नाडु	6
(15) उत्तर प्रदेश	8
(16) पश्चिम बंगाल	11

Blindness Among children in the Country

1081. Shri M.C. Daga:

Shri Hukam Chand Kachwai:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state;

(a) whether Government maintain any statistics about the number of children who become blind every year in the country;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in the Daily 'Hindustan' dated the 1st October, 1973 under the caption 'Ten thousand blind children in Tripura every year due to vitamin deficiency'; and

(d) if so, whether it is true; and the action being taken by Government to check this ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondaji Basappa): (a) and (b): While Government do not have any separate statistics about the number of children who become blind every year in the country, according to the data available at present, there are 1.88 blind persons per thousand population in the country.

(c) Yes.

(d) According to the information received from the Government of Tripura so far total number of blind children recorded is 560 during last 4 years. Night blindness cases are common. About 10 to 15 patients per day attend children's Out-patient Department at V.M. Hospital Agartala. They respond to Vitamin A which is given free in all Out-Patient Departments and Primary Health Centres.

National Trust for Safeguarding of national Treasures

1082. Shri M.C. Daga: Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have any scheme for safeguarding National Treasures in the country and, if so, the salient feature thereof; and

(b) whether the Central Government proposes to preserve our monuments in the same way as has been done in Britain by setting up a National Trust ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) There already exists an Act, namely, the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958, which *inter alia*, provides for the preservation of ancient and historical monuments and archaeological sites and remains of national importance.The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (No. 52 of 1972) has also recently been enacted. It provides for the compulsory acquisition of art treasures for preservation in public places.

(b) The matter is under consideration.

System of Distribution of Ration in Various States

1083. Shri M.C. Daga :

Shri Martand Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether 2Kgs. or more wheat was supplied in ration to people in villages from August, 1973 to October, 1973 and whether they have to face great difficulty in absence of the remaining quota of their ration; and

(b) whether ration is distributed in different ways in different States or uniform system is followed throughout the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b): Distribution of foodgrains through fair price shops within the State is the responsibility of the State Government. Quantum of foodgrains issued to card holders through the fair price shops depends on the demand, availability of foodgrains in the open market and with the State Governments and several other related factors. The quantum, therefore, varies from State to State and area to area within the State.

D.T.C. Buses burnt by students and chance to private bus operators

1084. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total number of Buses burnt by the students in Delhi during the last two years to express their resentment and the extent of loss D.T.C. suffered thereby; and

(b) the reasons for not giving a chance to the private bus operators in view of the fact that Government do not have the capacity to arrange for the requisite number of buses ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M.B. Rana): (a) Five buses were burnt by students during the relevant period. This resulted in a loss of about Rs. 1.8 lakhs to the Delhi Transport Corporation excluding the amount of revenue lost by the Corporation by the non-operation of the above five vehicles, following these incidents.

(b) The Corporation is already operating 179 private buses on hire. More shuc buses are also proposed to be engaged, as and when necessary.

राज्यों ारा धान की वसूली-मूल्य में परिवर्तन

1085. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने धान का वसूली-मूल्य निर्धारित किया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारें कीमत में परिवर्तन कर सकती हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के परामर्श से धान के अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती है । जहां राज्य सरकार द्वारा कानून के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित करना होता है, वहां भारत सरकार की पूर्व-अनुमति आवश्यक होती है ।

Rape of Girl students in Delhi University

1086. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Education, Social, Welfare** and **Culture** be pleased to state :

(a) whether the case regarding rape of a girl student in Delhi University Students Union Office some time back has since been decided; and

(b) if so, the facts thereof and the steps being taken by Government to check recurrence of such incidents in the premises of educational institutions ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b): Yes, Sir. Of the five persons accused in the case, four have been sentenced to undergo various terms of imprisonment and one has been acquitted.

So far as the University of Delhi is concerned, policemen both in uniform and plain clothes are being deputed for patrolling and keeping watch on the roads surrounding the University Campus. Appropriate steps will be taken by the authorities in respect of other educational institutions in acccordance with the needs of the situation.

Permission for celebration of Patel Jayanti in Red Fort

1087. Shri Hukam Chand Kachwai:

Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Education, Social Welfare** and **Culture** be pleased to state :

(a) whether Government had refused permission to the Conveners of Sardar Patel Jayanti, which was generally used to be celebrated at the Red Fort, to celebrate it in the Diwan-e-Am this year; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Education, Social Welfare and **Culture (Prof. S. Nurul Hasan)** : (a) Permission was not granted for holding Sardar Patel Jayanti Samaroha at Diwan-e-Am of Red Fort on 31-10-1973.

(b) In consideration of expert assessment of the wear and tear to which an important protected monument may be subjected if used for a public function, permission for such use is not granted, except on very special occasions.

Distribution of Vanaspati in Delhi on Diwali Occasion

1088. Shri Hukam Chand Kachwai :

Shri Chandulal Chandrakar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the arrangements made for distribution of vanaspati ghee in Delhi on the occasion of Diwali have been so unsatisfactory that a large nubmber of persons could not get vanaspati ghee;

(b) the reasons therefore; and

(c) the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir. In the context of the prevailing shortages arising from the closure of the factory of one of the major producers in Delhi, special arrangements were made by the Delhi Administration to obtain some supplies of vanaspati from alternative sources and distribute about 750 tonnes to the public on food cards at 2Kg or 4Kg. each (depending on the number of sugar units), through 627 retail points between the 21st and 27th October, 1973. These arrangements were found to have worked satisfactorily in the circumstances which prevailed at that time.

(b) and (c): Do not arise.

Annual Expenditure on Malaria Eradication

1089. Shri Hukam Chand Kachwai :
Dr. Govind Das Richharia :

Will the Minister of Health and Family Planning be pleased to state the expenditure incurred annually on the eradication of malaria during 1972-73 and 1973-74, so far, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : The required information is given in the enclosed statement. (Placed in Library See No. L.T. 5736/73)

Overtime allowance paid to the employees working in the Ministry of Works and Housing

1090. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the amount of Overtime allowance paid to the employees working in his Ministry in the financial year 1972-73 has considerably increased as compared to the amount of over-time allowance in the years 1970-71 and 1971-72;

(b) if not, the year-wise amount of expenditure incurred on Overtime allowance during the said financial years;

(c) whether Government propose to cut the estimated amount of overtime allowance during the financial years 1973-74 keeping in view the financial crisis; and

(d) Government's future policy and scheme in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir, in so far as the Ministry proper is concerned.

(b) Does not arise.

(c) and (d) : It is proposed to make the conditions under which this allowance is granted more stringent than now.

गेहूं पर से नियंत्रण हटाना

1091. **श्री अरविंद एम० पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गेहूं पर से नियंत्रण शीघ्र हटाने के बारे में विचार कर रही है चूंकि सरकार अपनी नीति में असफल रही है, और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं । यह सरकार का दृष्टिकोण नहीं है कि गेहूं का थोक व्यापार लेने की नीति असफल हो गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात में चीनी के कारखाने

1093. **श्री अरविन्द एम० पटेल**
श्री बेकारिया :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में चीनी के कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) जो कारखाने बन्द हो गये हैं उनकी संख्या और नाम क्या हैं; और

(ग) कारखाने बन्द हो जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) आठ।

(ख) कोई नहीं, आठ फैक्ट्रियों में से एक फैक्ट्री ने इस मौसम से उत्पादन प्रारंभ कर दिया है और शेष फैक्ट्रियां शीघ्र उत्पादन प्रारंभ कर देंगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मछुआ नावों का आयात और उनका राज्यों को आबंटन

1094. **श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :**
श्री बयालार रवि :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 50 मछुआ नावों का आयात करने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से कितनी मछुआ नावों को विभिन्न राज्यों को, विशेषकर गुजरात राज्य को, जिसका बहुत लम्बा समुद्र तट है और जिसके पास बहुत अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, आवंटित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) कुछ शर्तों के अन्तर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के 50 जलयानों के आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। उनमें से एक शर्त यह है कि जलयान का आयात करने वाली पार्टी को देशी यार्ड में निर्धारित डिजायन के एक जलयान के निर्माण की व्यवस्था करनी होगी। इस योजना की शर्तों के अन्तर्गत गहरे समुद्र के मीन-ग्रहण जलयानों को प्रारंभ करने वाली पार्टियों से सार्वजनिक विज्ञापन के द्वारा जून, 1973 में अभ्यावेदन आमंत्रित किये गये थे। राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। किसी विशेष राज्य के लिये जलयान नियत नहीं किये गये हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच की जा रही है और आवंटन करते समय सब उचित बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

गुजरात के लिये ग्रामीण सड़क कार्यक्रम का परिव्यय

1095. श्री **फतहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य क्षेत्र में "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत गुजरात के लिए ग्रामीण सड़क कार्यक्रम हेतु योजना आयोग ने कुल कितने परिव्यय का सुझाव दिया है;

(ख) इस संबंध में राज्य सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) प्रस्तावित राशि से कुल कितनी लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) "निम्नतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अन्तर्गत गुजरात में ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा सुधार के लिये गुजरात सरकार द्वारा, प्रस्तावित 45.92 करोड़ रुपये के परिव्यय में से अस्थायी रूप से योजना आयोग पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 25 करोड़ रुपये के परिव्यय के लिये सहमत हो गया है। योजना आयोग द्वारा सुझाये गये परिव्यय के अनुसार ग्रामीण सड़कों के लिये गुजरात सरकार को विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना है।

चालू रबी के मौसम में खाद्यान्नों का उत्पादन

1096. **श्री पीलू मोदी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू रबी के मौसम में खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या खाद्यान्नों की सप्लाई स्थिति रबी फसल के बाद किसी रूप में सुधरी है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(ग) यदि नहीं तो देश में पर्याप्त खाद्यान्न सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) 1972-73 के फसल मौसम के दौरान रबी खाद्यान्नों की कुल पैदावार पिछले वर्ष की पैदावार की तुलना में कम बतायी जाती है और यह पैदावार 379.72 लाख मीटरी टन के आस-पास होने का अनुमान है।

(ग) देश में खाद्यान्नों की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने और खाद्यान्नों की उपलब्धता सुधारने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पग उठाए हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि कर, सिंचाई संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग तथा ऋण की समय पर व्यवस्था कर खरीफ की फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए देशव्यापी विशेष प्रयत्न।

(2) खरीफ अनाजों के अधिप्राप्ति मूल्यों में वृद्धि करना और गेहूं के साहाय्य मूल्य बढ़ाना ताकि अधिक उत्पादन और अधिप्राप्ति के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके।

(3) खाद्यान्नों की सीमित मात्रा का आयात।

(4) सोवियत रूस सरकार से 20 लाख मी० टन गेहूं उधार रूप में लेना।

(5) नियामक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करना।

(6) अतिथि नियन्त्रण आदेश का कड़ाई से प्रवर्त्तन कर खाद्यान्नों की खपत पर रोक लगाना।

चावल का उत्पादन

1097. **श्री पीलू मोदी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में देश में चावल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चालू वर्ष में चावल का उत्पादन काफी कम हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों की अवधि में चावल उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान नीचे दिये जा रहे हैं :—

वर्ष	उत्पादन (दस लाख मीटरी टन)
1970–71	42.23 (संशोधित)
1971–72	43.07 (संशोधित)
1972–73	38.63

वर्ष 1972-73 में चावल के क्षेत्र में कमी होने और विशेषकर अनियमित तथा कम वर्षा होने के फलस्वरूप खड़ी फसल को अधिक हानि होने और देश के कई भागों में खरीफ मौसम के दौरान सूखे की परिस्थितियां उत्पन्न होने के कारण चावल के उत्पादन को काफी धक्का लगा है।

अभी चालू वर्ष (1973-74) की अवधि में चावल के उत्पादन के विषय में अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि चालू वर्ष के दौरान चावल का उत्पादन पिछले वर्ष से काफी अधिक होने की संभावना है।

मंगलौर बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश के विकास के लिए समिति

1098. **श्री पीलू मोदी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर सरकार द्वारा वर्ष 1971 में नियुक्त की गई समिति ने 'न्यू मंगलौर' बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश के विकास कार्य में कितनी प्रगति की है;

(ख) इसके क्या कारण हैं कि कृषि तथा सिंचाई समिति के गवर्नर श्री लोबो प्रभु द्वारा अप्रैल, 1973 में अपना प्रतिवेदन पेश किये जाने के बाद इस समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी; और

(ग) क्योंकि इस प्रतिवेदन में जिला स्तर पर आयोजना की बात कही गई थी तो योजना मंत्री ने, जिन्हें इस प्रतिवेदन की एक प्रति भेजी गई थी तथा जो निरन्तर यह कहते रहे हैं कि योजना का कार्य निचले स्तर के जीवन से आरंभ करेंगे, इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : कर्नाटक सरकार ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

(क) मंगलौर बन्दरगाह परियोजना के भीतरी प्रदेश की विकास समिति का 15-11-1971 को गठन किया गया। तबसे 18-2-1972, 11-7-1972 और 13-3-1973 को उसकी बैठकें हुई हैं।

(ख) श्री लोबो प्रभु की रिपोर्ट अप्रैल, 1973 को प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर विचार करने के लिए समिति की बैठक 23-5-73 और 26-9-1973 को होनी थी। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बैठकों को स्थगित करना पड़ा। समिति की बैठक नवम्बर, 1973 में करने का प्रस्ताव है जबकि श्री लोबो प्रभु की रिपोर्ट पर विचार किया जायेगा।

(ग) जिला नियोजन, राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न अंग है। दक्षिण कनाडा सहित सभी जिलों में जिला योजना समितियों का गठन किया गया है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्यक्रम तैयार करने के लिए जिला योजना समितियां स्थानीय आवश्यकताओं और साधनों को पहचानने का कार्य कर रही हैं। श्री लोबो प्रभु की कृषि संबंधी रिपोर्ट दक्षिण कनाडा के उपायुक्त के पास है, जो कि जिला योजना समिति के अध्यक्ष हैं। जिला योजना समिति इस बात पर विचार करेगी कि रिपोर्ट में दिये गये सुझाव किस सीमा तक दक्षिण कनाडा की जिला योजना में शामिल किये जा सकते हैं।

आवास परियोजना के लिए राज्यों को जीवन बीमा निगम के ऋणों में से आबंटन

1099. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को 1973-74 के दौरान आरंभ किये जाने वाले आवास परियोजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम के ऋण में से धन का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो बिहार और गुजरात राज्यों को कुल कितना धन दिया गया है;

(ग) क्या सभी राज्यों ने ऋण का उचित रूप से उपयोग किया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र ने राज्य सरकारों को दिए गए धन के उपयोग के बारे में कोई जांच की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) निर्माण और आवास मंत्रालय जीवन बीमा निगम ऋणों को, राज्य सरकारों को कतिपय सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए निगम द्वारा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध की गई निधियों में से आवंटन करता है। 1973-74 के दौरान अब तक बिहार तथा गुजरात सरकार को इस प्रयोजनार्थ दिए गये जीवन बीमा निगम ऋण क्रमशः शून्य तथा 80 लाख रुपये हैं।

अनुमोदित सामाजिक आवास योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों को ये ऋण उनकी इच्छानुसार दिये जाते हैं। इस मामले में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से विभिन्न योजनाओं पर जीवन बीमा निगम-ऋणों के उपयोग संबंधी आंकड़े मांगने के अतिरिक्त अन्य कोई स्थूल नियंत्रण नहीं रखती। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अधिकांश राज्य सरकारों से लिये गये ऋण का इस प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया है।

भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद्

1100. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त एक समिति ने दर्शनशास्त्र में अनुसंधान सुविधा को बढ़ावा देने हेतु भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद्, स्वायत्तशासी केन्द्रीय संगठन की स्थापना की हाल में सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) समिति ने सिफारिश की है कि "भारतीय दर्शनशास्त्र परिषद्" नामक एक स्वायत्त व्यावसायिक संगठन की स्थापना की जाए जो मोटे तौर पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् अथवा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् के आधार पर ही हो। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

श्री जगन्नाथ मंदिर, पुरी का मरम्मत कार्य

1101. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर के मरम्मत कार्य के व्यौरे की जांच करने के लिए हाल ही में गठित विशेषज्ञ समिति ने मंदिर का दौरा किया है, और

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ समिति ने खतरनाक दरारों की मरम्मत के लिए क्या सिफारिशें की हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां।

(ख) दरारों को भरने के लिए समिति की सिफारिशों का व्यौरा निम्नलिखित है :—

(1) मुख्य मंदिर के सिखारा सहित, बाहर की दीवारें मोटे संदर्यों प्लास्टर से ढ़क दी जाए। दरारें किस प्रकार की हैं तथा पत्थरों के क्षय का स्वरूप और यह किस हद तक हुआ है, यह सही ढ़ंग से जानने के लिए यह आवश्यक है कि इस प्लास्टर को हटा दिया जाए ताकि इन क्षेत्रों की पूरी तरह से जांच की जा सके तथा उपयुक्त संरक्षण संबंधी उपाय और आगे क्या कार्यवाही की जाए इसका निर्णय किया जा सके। तद्नुसार समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रारम्भ में कुछ स्थानों पर प्लास्टर विभिन्न सतहों पर उखाड़ना चाहिए।

(2) चिनाई की दरारें तथा कटावों को राल के घोल से खोदना चाहिए।

(3) जंग चढ़ी हुई लोहे की गिट्टके जो पत्थरों को अलग-अलग करने के बाद प्राप्त हों अथवा प्लास्टर को हटाने के बाद प्राप्त हों उन्हें जहां भी जरूरी हो ताम्बे अथवा स्टेनलेस स्टील की नई गिट्टकों से बदल दिया जाना चाहिए।

(4) प्लास्टर हटाने के बाद मंदिरों की पत्थर की धरातलों को घातक समुद्री-नमक से बचाया जाना चाहिए और इसके बाद उन्हें एकत्रित करके रसायनिक तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए।

(5) मुख्य मंदिर के **विमाना और मुखसाला** के संगम पर पानी कहां से टपकता है यह मालूम करने तथा इस टकराव को रोकने हेतु साधन और उपाय जुटाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि एक परीक्षण-उपाय के रूप में लक्ष्मी मंदिर जो कि आकार में छोटा तथा जिसमें टपकाव की ऐसी ही समस्या है, का प्लास्टर उखाड़ा जाए।

(6) मुख्य मंदिर के भोग-मण्डप को विभिन्न तरह की दरारें पड़ने, जोड़ खुलने तथा पत्थरों के बिखर जाने की वजह से क्षति पहुंची है। दरारों का कुल प्रतिरूप कुछ अन्य पहलुओं को भी निर्दिष्ट करेगा जो आसानी से दिखाई नहीं देते। सही स्थिति जानने के लिए यह निर्णय किया गया है कि सारे निर्माण कार्य की जांच केन्द्रीय भवन-निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की के किसी विशेषज्ञ निर्माण इंजीनियर द्वारा की जानी चाहिए।

(7) समिति ने विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा मंच, खोदने की मशीनों जैसे उपस्कर, और अन्य आवश्यक औजार और संयंत्रों को खरीदने की भी सिफारिश की है।

उड़ीसा में गेहूं का प्रति माह उपभोग किये जाने वाला कोटा

1102. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्रति माह उपभोग किये जाने वाले गेहूं का वास्तविक कोटा कितना है;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान कितना वास्तविक कोटा जारी किया गया; और

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा में गेहूं की गम्भीर कमी रही है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के लिए खाद्यान्नों का कोई निर्धारित मासिक कोटा नहीं है। केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, कमी वाले राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखकर कि उड़ीसा चावल के मामले में अधिशेष राज्य है, राज्य सरकार को पिछले 3 महीनों में गेहूं की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई की गई थी:—

	(हजार मीटरी टन में)
अगस्त, 1973	12.0
सितम्बर, 1973	17.7
अक्तूबर, 1973	8.3

कुछ राज्यों द्वारा कृषि के नये तरीकों का उपयोग न किया जाना

1103. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुछ राज्यों द्वारा अभी तक कृषि के नये तरीकों का उपयोग न किये जाने के लिए क्या क्या कारण और बातें उत्तरदायी हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने बारानी खेती के वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग तथा भूमिगत जल के संसाधनों के उपयोग के लिए कार्यक्रम तैयार करने में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कुछ राज्यों में नयी नीति अपनाकर कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि न कर पाने के मुख्य कारण ये हैं—कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध फसल प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धि अथवा उसके उन क्षेत्रों की भूमि, जल और वर्षा के उपयुक्त न होना, ऋण, विपणन और कृषि आदानों की सप्लाई के लिए संस्थागत ढांचे में कमियां और विस्तार तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रयासों की कमियां।

(ख) बारानी क्षेत्रों में नई प्रौद्योगिकी से लाभ उठाने के लिए चौथी योजना के दौरान 12 राज्यों में बारानी कृषि योजना के अंतर्गत 24 मार्गदर्शी परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। ये मार्गदर्शी परियोजनायें प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के रूप में हैं। इनसे प्राप्त निष्कर्षों का अधिकाधिक लाभ के लिए और बड़े क्षेत्रों मे विस्तार किया जायेगा।

कई राज्यों में सिंचाई के लिए भूमिगत जल को काम में लाने का कार्य भी चल रहा है। 1973-74 के अंत तक भूमिगत जल योजनाओं से लगभग 160 लाख हैक्टार क्षत्र को लाभ पहुंचने की संभावना है। 1978-79 के अंत तक इसे 205 लाख हैक्टार क्षेत्र तक बढ़ाया जायेगा।

देश में भूमिगत जल संसाधनों को पूरी तरह काम में लाने के लिए राजकीय भूमिगत जल संगठनों और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड को भी मजबूत किया जा रहा है।

पूजा के दिनों में पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की कमी

1104. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि दुर्गा पूजा के दिनों में पश्चिम बंगाल में सरसों के तेल की अत्यधिक कमी हो गयी थी; और

(ख) क्या सरसों की सप्लाई करने के बारे में राज्य सरकार ने कोई मदद मांगी थी और क्या राज्य में सरसों के तेल की कीमतें निर्धारित करने के बारे में कोई बातचीत की गयी थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल में अक्तूबर, 1973 के दौरान सरसों के तेल की कमी की रिपोर्ट मिली थी।

(ख) जी नहीं।

भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेंटों द्वारा भ्रष्टाचार

1105. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में फैले भारतीय खाद्य निगम के अधीन प्राइवेट संग्रहण एजेंटों के भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है और

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा कोई समन्वित प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

छात्रों में सांस्कृतिक ह्रास

1106. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात का पता है कि हमारे देश में छात्रों का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण दूर करने के लिए मंत्रालय ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) सांस्कृतिक परम्पराओं पर समय समय पर ऐसे लोगों द्वारा शंका व्यक्त की जाती है जो भिन्न-भिन्न सामाजिक आर्थिक प्रभावों के अन्तर्गत आ जाते हैं। इसकी अनुभूति केवल छात्रों को ही नहीं अपितु समस्त जनता को होती है। यद्यपि यह स्वाभाविक है कि युवकों में परम्परागत विचारों की ग्रहणशीलता अधिक होती है। इन परम्परागत मान्यताओं पर संदेह व्यक्त करने अथवा नयी मान्यताओं के स्वीकारने को सांस्कृतिक ह्रास की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

(ख) जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है, सरकार ऐसा नहीं समझती कि किसी प्रकार का सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है। स्वतन्त्र समाज में सरकार सांस्कृतिक मानदंड निर्धारित करने का प्रयास नहीं करती है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे उपाय अपनाने का होता है जिससे सांस्कृतिक परम्पराओं की पर्याप्त समझ-बूझ को प्रोत्साहन मिले और साथ ही उनमें वर्तमान सांस्कृतिक प्रभावों को सम्मिलित करने की क्षमता का विकास हो। इन उद्देश्यों के अनुसरण में सरकार पुरातत्वीय स्मारकों का अनुरक्षण, पुस्तकालयों और संग्रहालयों का विकास और समर्थन, प्लास्टिक और निष्पादित (अभीनीत) कलाओं को प्रोत्साहन, मित्र देशों के साथ सांस्कृतिक विनिमय के अवसर प्रदान करने आदि जैसे कदम उठाती है।

Expenditure on use of Jeeps, Mini-Buses and Cars of D.D.A.

1107. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) the total number of Jeeps, Min-buses and cars in possession of D.D.A. and the categories of officers who utilize them;

(b) the annual expenditure incurred by D.D.A. on these vehicles; and

(c) the total expenditure incurred thereon by D.D.A. during the last three years?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) 10 Jeeps, 1 Mini-bus and 4 *cars. All staff members of the Delhi Development Authority are permitted to use them for official purposes.

(b) Rs. 77,182.52 P. during 1972-73.

(c) Rs. 2,72,636.50 P.

Wrong Marking of Percentage of Nitrogen on Bags of Urea supplied to farmers of Rajasthan

1108. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the percentage of nitrogen marked on the bags of Poland urea supplied to peasants at various places in Rajasthan was not found to be cent percent correct, while the bags of Shri Ram Urea supplied there and marked as containing 46.6 per cent nitrogen were found to contain only 37.2 per cent of nitrogen; and

(b) if so, the action being taken against the guilty persons ?

*One car was disposed of in August, 1973.

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) In connection with the reply to a similar question the Rajasthan Government had, on 2nd March, 1973, reported that the percentage of nitrogen marked on the bags of Poland urea supplied to farmers in Rajasthan was found to be correct. The Rajasthan Government has also reported that the percentage of nitrogen in the bags of Shri Ram Urea supplied in the State has also been found to be correct except in 4 cases out of 211 samples drawn from different districts and analysed by the State Government. These four samples contained 45.9%, 45.8%, 45.5% and 34.2% nitrogen as against the prescribed 46%.

(b) In the first two cases the deficiency is within the permissible limits and so no action has been taken. In the third case a warning has been issued to the dealer concerned. In the last case instructions have been issued by the State Government to cancel the registration certificate of the dealer concerned.

Bridge on Chambal River near Dholpur

1110. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether the bridge on Chambal river near Dholpur continues to be in a damaged condition since long and it has not so far been reconstructed ;

(b) whether it is causing a great obstruction to the traffic on Bombay-Agra Road;

(c) whether it was stated by the Minister in reply to Unstarred Question No. 3732 on 20th August, 1973 that the reconstruction of the bridge would be completed shortly; and

(d) if so, the work done so far?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana): (a) Yes Sir, but since 24th February 1973 only.

(b) No Sir. The requirements of traffic were initially met by commissioning Army flying ferry service on 27th March, 1973. When the pontoon bridge was erected at site on 5th April, 1973, this ferry service was discontinued. The pontoon bridge had to be dismantled on 18th June, 1973 on account of anticipated floods in the Chambal river. This pontoon bridge is being now re-erected, for service during the present dry season. In addition RPL (Ramped Powered Lighter) barges for heavy traffic and marboats for light-traffic have been provided.

(c) No Sir.

(d) A Technical Committee of Experts has also been set up which *inter alia*, would make recommendations on whether the existing bridge can be retained and the four collapsed spans reconstructed or a new bridge is to be provided taking into account the various aspects including suitability, economies, etc.The Committee is expected to submit its report by 28th February, 1974. The question of repair/reconstruction of this bridge or construction of a new one would be examined by Government on receipt of the recommendations of the technical committee.

Cultivable Land in Possession of Union Ministers

1111. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of Ministers and Deputy Ministers in the Union Government who possess cultivable land; and

(b) the area of cultivable land in possession of each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

तमिलनाडू में निरक्षरता का उन्मूलन

1112. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री एम० कतानुतु :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में निरक्षरता का उन्मूलन करने में रत स्वयं-सेवी संगटनों की सहायता करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की योजनाएं क्या हैं;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए तमिलनाडू को कोई सहायता दी गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा, और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) केन्द्रीय सरकार तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में निरक्षरता के उन्मूलन सहित प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगटनों को वित्तीय सहायता देती है।

(ख) जी हां।

(ग) 1972-73 के दौरान; अविनाशी लिंगम विज्ञान कालेज कोयम्बटूर को प्रौढ़ शिा ा के लिए 6,432 रु० का अनुदान दिया गया है, जिसमें निरक्षरता का उन्मूलन भी शामिल है। यह तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के लिए दी गयी उस पर्याप्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त है जो कुछ सीमा तक इसी प्रकार का कार्य करती है।

सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट उपरि पुल

1114. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली के निकट उपरि पुल का निर्माण कार्य पुनः शुरू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस विलम्ब से लोगों को भारी कठिनाई हो रही है;

(घ) इस कार्य के पूरा होने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) इसके संशोधित अनुमान क्या हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) आशा है कि पुल अप्रैल, 1974 तक तैयार हो जायगा।

(ङ) प्राक्कलन के संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शेष कार्य पहले के ठेकेदारों के जोखिम तथा खर्चे पर निष्पादित किया जा रहा है और यदि कोई अतिरिक्त खर्च होगा तो उसे उनके नामे डाला जायगा और उनसे वसूल किया जायगा।

सरकारी भवनों के निर्माण तथा रख रखाव में

मितव्ययता बरतने के लिये अनुदेश

1115. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश भर में सरकारी भवनों की मरम्मत, सफेदी और निर्माण की तबदीलियों आदि में मितव्ययता बरतने के लिए कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार के अनुदेशों के होते हुए भी नई दिल्ली के कुछ घरों में मुख्य रद्दोबदल किये गये है तथा उन्हें फिर सजाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार ने वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति के सन्दर्भ में मितव्ययिता के तौर पर यह निर्णय किया था कि चालू वित्तीय वर्ष में, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर उन रिहायशी तथा गैर रिहायशी भवनों की सफेदी, मरम्मत तथा अनुरक्षण पर कोई खर्च नहीं किया जाय जिनकी सफेदी मरम्मत तथा अनुरक्षण गत वित्तीय वर्ष में किया गया था।

यह भी निर्णय किया गया था कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, भवनों के परिवर्धनों तथा परिवर्तनों पर कोई खर्चा नहीं किया जाय।

उपर्युक्त आदेशों में कुछ महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन, भारी वर्षा वाले अथवा तटीय क्षेत्रों में स्थित भवन तथा अस्पताल आदि के भवन शामिल नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। तथापि, विशेष परिस्थितियों में संरचनात्मक सुरक्षा, बचाव आदि जैसे कुछ अनिवार्य प्रकार के कार्य करने की अनुमति दी गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मैसूर के लिए अतिरिक्त माईलो

1116. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर सरकार द्वारा 10,000 टन माइलो के अतिरिक्त आवंटन के लिए अनुरोध किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य सरकार की ओर से माइलो के अतिरिक्त आवंटन के लिए कोई भी अनुरोध नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिय निर्धारित धनराशि में कटौती

1117. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लिए निर्धारित 112.58 करोड़ रुपये के परिव्यय मुकाबले उक्त कार्यक्रमों के लिए केवल 54.85 करोड़ रुपयें ही मंजूर किये जाने के तथ्य के बावजूद वर्ष 1973–74 के वार्षिक बजट के आवंटनों में 15 करोड़ रुपये की और कटौती की गई है;

(ख) क्या इसके प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रोत्साहन वाले विशाल पुरुष नसबन्दी कैम्प, जो बहुत सफल साबित हो रहे थे, बन्द कर दिये गये हैं ; और

(ग) क्या विभिन्न अत्यावश्यक परिवार नियोजन कार्यक्रमों को खटाई में डालने वाली ऐसी गम्भीर कटौती के परिणामों का इस मंत्रालय ने अध्ययन किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) से (ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 1973–74 के 54.85 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट आवंटन में 16 करोड़ रुपये की कटौती का प्रस्ताव किया गया था। तथापि ऐसी बड़ी कटौती के कारण कार्यक्रम पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जिसमें काफी मात्रा में स्टाफ की अनिवार्य छंटनी भी करनी पड़ती, विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि बजट में कटौती केवल 1.4 करोड़ रुपये तक सीमित रखी जाए। यह भी निर्णय किया गया है कि सामान्य कार्यक्रम के अर्न्तगत लूप पहनाने तथा नसबन्दी के लिए मुआवज़ा देने के लिए धन बिना किसी सीमा के वास्तविक कार्य के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। विशाल नसबन्दी शिविरों में अतिरिक्त प्रोत्साहन बन्द करने का निर्णय इसके अपने गुण-दोष के आधार पर, न शिविरों के वास्तविक अनुभव तथा कार्यक्रम के दीर्घकालीन हित पर विचार करने के पश्चात् किया गया है।

केन्द्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्था द्वारा राजस्थान रेगिस्तान को हरा-भरा करने में योगदान

1118. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्था ने राजस्थान में रेगिस्तान को हरा-भरा क्षेत्र बनाने में भारी प्रगति की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संस्था ने अपना कार्य आरम्भ करने से अब तक उक्त क्षेत्र को हरा-भरा करने में कितनी प्रगति की है; और

(ग) उक्त क्षेत्र को हरा-भरा करने पर किये गये अनुसंधान कार्य पर कितना व्यय हुआ ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर अनुसन्धान कार्य करने और मरुस्थल की समस्याओं को हल करने के लिए स्थापित किया गया है। इस संस्थान की स्थापना के समय से ही मूल संसाधन सर्वेक्षण संसाधन उपयोगिता, पशु विज्ञान, रेत के टीलों को स्थिर करने के लिए वृक्ष और घास उगाने, वायुरोधी पट्टी के क्षेत्रों में अनेक बहुमुखी अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

रेतीले टीलों को स्थिर करने, खेती न होने वाले मरुक्षेत्रों में भूमि को यथा सम्भव सुधारने के लिए अधिकाधिक वृक्ष और घास उगाने के सम्बन्ध में बहुमूल्य अनुसंधान सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की गई है। पिछले सालों में संस्थान ने सिवाना, सैला, अहोर, जैलोर, चौहतन और लूनी नामक छः विकास खण्डों में लगभग 12000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में भूमि जल तथा वनस्पति संसाधनों का समेकित सर्वेक्षण और 15000 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में अर्द्ध-विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया गया है। मरु क्षेत्रों में लागू करने के लिए पौदों के उत्पादन के लिए नरसरी तकनीकों को मानकीकृत किया गया है। शुष्क क्षेत्रों में उगाने के लिए एकासिस टरटिलिस, एकीलीपटस आदि शीघ्र उगने वाली किस्में उपयुक्त समझी गई हैं। एकासिया सेनेगल, कमीकोरा मुकुल और सलवाडोरा क्लीआइडस आदि किस्में मरु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त समझी गई हैं और उन्हें गम एराविक, गूगल गम तथा आयल बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। सैल्चरस सिलीआरिस, सैन्चरस, सेटीजरस लैसीरस सिन्दीकस आदि की उन्नतशील घास की किस्मों का चयन कर लिया गया है। पुनर्वीजन कार्यक्रम के लिए इन किस्मों के बीज बड़ी मात्रा में राज्य की विकास एजेन्सियों को सप्लाई किए गए हैं। कई स्थान बदलने वाले रेतीले टीलों को स्थिर करने के लिए स्थिरीकरण सम्बन्धी तकनीकों का विकास किया गया है और उसका प्रदर्शन किया गया है। बाडमेर, बीकानेर, चुरू और झुनझुनू के ज़िलों में परीक्षण स्थानों पर लगभग 842 हैक्टर क्षेत्र में स्थान बदलते रहने वाले टीलों को स्थिर कर दिया गया है। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, चुरू में 205 कि०मी० सड़क के किनारे-किनारे पौदारोपण का कार्य भी किया गया है और उड़ते रहने वाले रेत को नियंत्रित करने के लिए गादरा सड़क बनाई गई है। यह सड़क वायु-रोधक के रूप में काम आएगी। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां मुख्यतः मरुभूमि की समस्याओं के विषय में बहुमुखी अनुसंधान कार्य करने वाले केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान की है।

भूमि सुधार (जो एक विकासात्मक कार्यक्रम है) केन्द्रीय मरु क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मरु क्षेत्र सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं के सम्बन्ध में बहुमुखी अनुसन्धान कार्य करता है, अतः मरु क्षेत्रों में भूमि सुधार सम्बन्धी अनुसन्धान कार्य करने पर खर्च हुई राशि का ठीक-ठीक मूल्यांकन करना कठिन है। संस्थान की कुल वार्षिक प्लान तथा नानप्लान बजट में सभी कार्यों के लिए वर्ष 1973–74 में 20 लाख रुपये की राशि निधारित की गई है।

खरपतवार नाशक दवाइयों को उपलब्ध कराना

1119. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1973–74 के दौरान केवल रवी ऋतु में ही 1200 टन की खरपतवार नाशक दवाइयों को उपलब्ध कराने की योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं कि इस थोड़े से समय में यह वास्तव में किसानों तक पहुंच जाये?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार ने खासतौर पर खरपतवार के कारण होने वाली दुर्लभ उर्वरकों की क्षति कम करने की दृष्टि से राज्यों को लिखा है। इसमें 1973–74 के रबी/ग्रीष्म के दौरान कारगर ढंग से खरपतवार नियंत्रण

उपाय हाथ में लेनें की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। राज्य सरकारों और खरपतवार नाशक दवाओं के निर्माताओं से इनके प्रयोग के लिए विशेष अभियान शुरू करने का अनुरोध किया गया है तथा खरपतवार नाशी दवाइयों की खरीफ के लिए राज्यों को पर्याप्त माला में ऋण की उपलब्धि सुनिश्चित करने को कहा गया है। इस संबंध में भारत सरकार ने निर्माताओं से हर तरह की खरपतवार नाशी दवाइयों की उपलब्धि के संबंध में भी पता लगा लिया था जोकि 1973–74 के रबी मौसम के दौरान लगभग 1200 मीटरी टन होगी। यह सूचना राज्यों को भेज दी गई है।

कालेजों के लिए स्वायत्तता

1120. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :**

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ विश्वविद्यालयों को मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं जिसमें उनसे अपने कॉलेजों के लिये स्वायत्तता सिद्धान्त अपनाने के लिये कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति से क्या लाभ होगा और स्वायत्तता दिये जाने के लिये कालेजों के चयन की कसौटी क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वायत्त कालेजों को सहायता प्रदान करने के मानदडों, रूप रेखाओं और पद्धति के संबंध में विश्वविद्यालयों में एक नोट परिचालित किया है; इस नोट में स्वायत्त का दर्जा प्रदान करने के लिये कालेजों को चुनने हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं :–

(क) शैक्षणिक ख्याति तथा विश्वविद्यालय की परीक्षा में पिछला परिणाम तथा अन्य शैक्षिक सांस्कृतिक क्रिया-कलाप;

(ख) स्टाफ की शैक्षिक उपलब्धियां;

(ग) छात्रों तथा अध्यापकों को चुनने की प्रणाली अर्थात् क्या इस प्रकार का चयन किसी जाति, मत अथवा सामाजिक वर्ग का विचार किये बिना ही किया जाता है;

(घ) भौतिक सुविधाएं, अर्थात् पुस्तकालय, स्थान तथा उपस्कर;

(ङ) संस्थागत प्रबन्ध अर्थात् क्या यह (प्रबन्ध) शैक्षिक अथवा गैर शैक्षिक विचारधाराओं से प्रेरित और उनके प्रति अनुक्रियाशील है;

(च) संस्थान के विकास के लिये प्रबन्ध किन वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था कर सकता है;

(छ) कर्मचारियों और छात्रों के विचारों के प्रति प्रशासनिक मशीनिरी (ढांचे) को प्रतिसंवेदना;

(ज) प्रोन्नत छात्रवृत्ति, अनुसंधान और प्रयोग तथा शैक्षिक परिवर्तनों और सुधारों में भाग लेने के लिये कर्मचारियों को प्राप्त स्वतन्त्रता की सीमा।

सामान्यतः स्वायत्तता के प्रस्ताव विश्वविद्यालयों द्वारा प्रयोजित किये जायेंगे, किन्तु आयोग समय-समय पर विशेषज्ञ निकायों द्वारा की गई जांचपड़ताल के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय को इस योजना के अन्तर्गत किसी कालेज को शामिल किये जाने की संभावना के संबंध में सुझाव दे सकता है।

स्वायत्त कालेज को अपने अध्ययन पाठ्यक्रम तैयार करने, परीक्षाओं के आयोजन और मूल्यांकन की अपनी प्रणालियां तय करने, दाखिले के अपने सिद्धान्त तय करने, अध्यापकों को चुनने की अपनी क्रियाविधि तय करने आदि की स्वतन्त्रता होगी। इससे वांछित शैक्षिक विचारों का परीक्षण करने तथा पाठ्यक्रमों और शिक्षण की रूप-रेखा को व्यापक बनाने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि उन्हें कुशल कार्यकर्ताओं की स्थानीय और प्रादेशिक आवश्यकताओं के संदर्भ में और अधिक सार्थक और संगत बनाया जा सके।

परिवार नियोजन के बारे में विचार विमर्श करने हेतु जापानी प्रतिनिधि मंडल का दौरा

1121. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक्टरों, विशेषज्ञों डाईट के सदस्यों तथा प्रेस-संवाददाताओं से युक्त एक जापानी प्रतिनिधि मंडल ने देश में परिवार नियोजन कार्य की प्रगति के बारे में चर्चा करने हेतु भारत में अनेक स्थानों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या गर्भ-निरोधक गोली (पिल) जैसे नई किस्म के गर्भ-निरोधी साधनों को अपना कर परिवार नियोजन सम्बन्धी योजना को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में कोई उपयोगी सुझाव दिये गये थे?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री कोंडाजी बासप्पा) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय नियोजित पितृत्व संघ (इंटरनेशनल प्लान्ड पैरेन्टहुड) और जनसंख्या कार्यकलाप सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ निधि द्वारा पुरोनिधानित एक जापानी प्रतिनिधि मंडल परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रेक्षण करने के लिय 13 अक्तूबर से 17 अक्तूबर, तक भारत में अध्ययन विषयक दौरे पर आया था। प्रतिनिधि मण्डल द्वारा कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया है।

Demand for increase in Sugarcane Price

1122. **Shri Chandulal Chandrakar :**
Shri Bhagirath Bhanwar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received some suggestions and demands to increase the price of sugarcane;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) Yes, Sir.

(b) Higher cane prices ranging from Rs. 9/- to Rs. 20/- per quintal have been suggested due to higher cost of production, low recovery, non-availability of fertilizers at controlled price, disturbance of parity on account of recent increase in support prices for other crops etc.

(c) the minimum cane price for 1973-74 has already been fixed after careful consideration at Rs. 8/- per quintal linked to a recovery of 8.5% or below with a premium of 9.4 paise for every increase of 0.1% in recovery over 8.5% As in the last season (1972 73) the industry is expected to pay the cane-growers higher prices from the benefits accruing to it from the policy of partial control and excise rebates.

D.T.C. Buses Unserviceable

1123. Shri Chandulal Chandrakar : Will the Minister of **Shipping & Transport** be pleased to state :

(a) whether about 2000 buses of D.T.C. are absolutely unserviceable and are not brought on the road;

(b) the time since when these buses are out of use;

(c) the number of buses out of these which can be made serviceable after repairs; and

(d) the total expenditure likely to be incurred on their repairs ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana) : (a) to (c) The Delhi Transport Corporation has a fieet of 1559 buses. Out of these, 339 have out-lived their economical life and become due for scrapping. The remaining 1120 buses are serviceable and only need running repairs and routine maintenance from time to time. Some buses of the Corporation had to be taken off the road about 3/4 months ago because of the acute shortage of tyres and other essential spare parts. The Corporation has made all possible efforts to procure tyres and critical spares from all available sources, to see that the maximum number of buses were put on the road.

New type of meters in scooters and taxies in Delhi to regulate fare

1124. Shri Chandulal Chandrakar :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to instal new type of metres in scooters and taxis in Delhi in order to regulate the fares; and

(b) if so, the time by which the new arrangements are expected to be implemented ?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M.B. Rana) : (a) Yes, Sir, in replacement of metres which do not conform to approved specifications.

(b) 31st March, 1974.

Supply of Ghee Etc. to Halwais on Diwali occasion

1125. **Shri Chandulal Chandrakar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Delhi Administration urged upon the public that they should not buy sweets on the occasion of Diwali;

(b) whether the Delhi Administration could not provide the halwais with ghee and other materials in adequate quantity; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. The full requirement of Hydrogenerated vegetable oil could not be met due to short supply.

बहराईच उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में युक्लिपटस के वृक्षों का लगाना

1126. **श्री बी० भ्रार० शुक्ल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहराईच (उत्तर प्रदेश) में वन क्षेत्र के बड़े भू-भाग पर युक्लिपटस के वृक्ष लगाये गये हैं;

(ख) उनके उपयोग की योजना क्या है; भ्रौर

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली वैक्स घास जैसी उत्पादों का उपयोग करने के लिये जिले में एक कागज बनाने वाले कारखाने को स्थापित करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन

1128. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने सितम्बर, 1973 में एक चार दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष अच्छे किस्म के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने हेतु गेहूं तथा धान के अधिक उपज देने वाले बीज पैदा करने के लिये क्या सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सितम्बर में हुये क्षेत्रीय प्रबन्धकों के सम्मेलन में निगम ने अपने बीज उत्पादन कार्यक्रमों को अन्तिम रूप दिया और धान तथा गेहूं के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिये लक्ष्यों में काफी वृद्धि करने का निश्चय किया। कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये, समुचित उत्पादकों को संविदा के आधार पर आकर्षित करने के विचार से अधिप्राप्ति मूल्यों को तर्कसम्मत बनाने का निश्चय किया है और उर्वरकों के परिसंस्करण तथा संचयन की सुविधाओं से सम्बद्ध किया है और इसके कार्यान्वियन के लिये पर्याप्त कर्मचारी दिये गये हैं। निगम को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में विश्वास है।

चीनी उद्योग विकास परिषद् द्वारा चीनी उद्योग की लाईसेन्स क्षमता बढ़ाने सम्बन्धी दिये गये सुझाव

1129. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** :

श्री प्रभुदास पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग विकास परिषद जिसका दो दिन का अधिवेशन 18 अगस्त, 1973 को नई दिल्ली में हुआ था, ने यह सुझाव दिया था कि उद्योग की लाइसेंस क्षमता पांचवीं योजना की संभावित मांग को ध्यान में रखते हुये बढ़ा कर 70 लाख टन की जाये, और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग का विकास करने सम्बन्धी कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम की पुष्टि की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझाव स्वीकार कर लिये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी अभी नहीं।

राष्ट्रीय कृषि आयोग का प्रतिवेदन

1130. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग से अपना प्रतिवदन शीघ्र देने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन सम्भवतः कब तक पेश कर दिया जायेगा; और

(ग) क्या इस आयोग के सभी अन्तरिम प्रतिवेदनों को अब तक क्रियान्वित कर दिया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय कृषि आयोग अब तक विभिन्न विषयों पर 18 अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है। इसके अलावा कुछ और रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं। इन रिपोर्टों को तैयार करने में लगे समय और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुये आयोग ने मांग की है कि उसके कार्य की अवधि को 31-12-74 तक बढ़ा दिया जाये। यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा प्रस्तुत की हुई 18 अन्तरिम रिपोर्टों में से 17 रिपोर्टों पर कृषि मंत्रालय और रेशम उत्पादन सम्बन्धी रिपोर्ट पर उद्योग विकास मंत्रालय में विचार किया जा रहा है। इन सभी रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है और अधिकांश को स्वीकार कर लिया गया है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अन्य मंत्रालयों/राज्य सरकारों के विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

बड़े पत्तनों में शुष्क गोदी सुविधायें

1131. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :**
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन मंत्रालय ने योजना आयोग से यह प्रस्ताव किया है कि पांचवीं योजना के दौरान बड़े पत्तनों में शुष्क गोदी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये इसे 14.40 करोड़ रुपये आवंटित किये जायें;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है;

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या इस समय आठ में से केवल दो पत्तनें ही इतनी बड़ी हैं कि उनमें सभी आकार के जहाज आ सकते हैं?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पांचवीं योजना के दौरान बड़े पत्तनों में सूखी गोदी सहित सुविधाओं की व्यवस्था का प्रस्ताव योजना आयोग के परामर्श से अभी तक विचाराधीन है।

(घ) देश के आठ बड़े पत्तनों में से, बम्बई, कलकत्ता और विशाखापत्तनम पत्तनों में अपने सभी तिरते जलयानों को संभालने के लिये पर्याप्त आकार की सूखी गोदियां हैं। बम्बई और कलकत्ता की बड़ी सूखी गोदायों का प्रयोग सामान्यतः वाणिज्यिक पोतों द्वारा अपनी आवधिक ओवरहाल तथा मरम्मतों के लिये किया जाता है।

'व्हीटपरचेज सस्पेंडिड' शीर्षक से समाचार

1132. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 सितम्बर, 1973 के 'इक्नोमिक टाइम्स' में "व्हीट परचेज सस्पेंडिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी हां।

(ख) चल रहे मूल्यों, उपलब्धता आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखकर विदेशों से खाद्यान्नों की खरीदारी की जाती है। यह इसलिये किया जाता है ताकि यथासम्भव लाभकारी शर्तों पर खरीदारी की जा सके।

एल्लेप्पी पत्तन को कोचीन का एक सहायक पत्तन घोषित करने का प्रस्ताव

1133. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री एल्लेप्पी पत्तन को कोचीन का एक सहायक पत्तन घोषित करने के बारे में 12 मार्च, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2806 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस सम्बन्ध में निर्णय किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) और (ख) : मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् केरल सरकार को यह सूचित किया गया है कि भारत सरकार अलेप्पी को कोचीन की एक सहायक पत्तन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ है।

कन्ननूर में केन्द्रीय विद्यालय

1134. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रि** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कन्ननूर में, जहां सैनिक प्रतिष्ठान हैं तथा बहुत से केन्द्रीय कार्यालय स्थित हैं, केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या राज्य सराकार ने भी इस मामले में सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) मई, 1971 में केरल सरकार ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन से यह पूछा था कि क्या उनका विचार उक्त राज्य में निकट भविष्य में नए केन्द्रीय विद्यालय (केन्द्रीय स्कूल) खोलने का है, क्योंकि उन्हें केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रार्थनाएं प्राप्त हो रही थीं। उनका यह सुझाव था कि कोट्टायम, त्रिचुर और कन्नानौर, ऐसे विद्यालयों के लिए उपयुक्त स्थान समझे जा सकते हैं। राज्य सरकार को, नए केन्द्रीय विद्यालयों (केन्द्रीय स्कूलों) की स्थापना के बारे में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा निर्धारित नीति और मानदण्डों से अवगत करा दिया गया था। राज्य सरकार से, उपयुक्त स्थानों पर मुफ्त पर्याप्त भूमि उपलब्ध करने के बारे में भी निश्चित वचन देने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में राज्य सरकार से और कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि कन्नानोर में एक केन्द्रीय स्कूल खोलने के लिये केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। धन की कमी के कारण अभी तक कन्नानोर में स्कूल खोलना संभव नहीं हो सका है।

गृह-निर्माण ऋण

1135. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 अगस्त, 1973 के बाद से सरकार को गृह-निर्माण ऋणों के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) कुल कितनी राशि के ऋण की मांग की गई ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 13–11–1973 तक, 376 आवेदन जो 28 अगस्त, 1973 के बाद प्राप्त हुये थे, विभागाध्यक्षों को इस अनुरोध के साथ लौटा दिये गये कि उन्हें गृह-निर्माण अग्रिम पर लगे प्रतिबन्ध हटने के बाद दोबारा भेजा जाय।

(ख) चूंकि प्रतिबन्ध के कारण इन आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही थी, अतः मांगे गये ऋण का कोई हिसाब नहीं रखा गया।

सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण के बारे के प्रतिबन्ध

1136. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों की ओर से 28 अगस्त, 1973 से गृह-निर्माण ऋण पर लगाये गये प्रतिबन्धों के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) देश की अर्थव्यवस्था स्थिर करने के अल्पकालिक उपायों में से एक उपाय के तौर पर सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये अभिवेदन प्राप्त हुये हैं। तथापि, इस प्रतिबन्ध को हटाने के लिये अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

वर्ष 1973-74 में गृह-निर्माण ऋण देना

1137. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण देने के लिये वर्ष 1973–74 के बजट अनुमानों में कुल कितनी राशि की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) 28 अगस्त, 1973 तक कितनी राशि के ऋण ऐसे कर्मचारियों को दिये गये ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 6 करोड़ रुपये।

(ख) अब तक प्राप्त भुगतान के विवरण पत्रों के अनुसार 13–11–1973 तक 5.57 करोड़ रुपये की अदायगी की जा चुकी है।

सरकारी कर्मचारियों से गृह-निर्माण ऋण की सुविधाओं को वापस लेना

1138. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों से अवगत है जिनके सेवा-निवृत्त होने में दस वर्ष से कम रह रहे हैं लेकिन उन्हें गृह-निर्माण ऋण की सुविधा से वंचित रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) तथा (ख) जी, हां। देश की अर्थव्यवस्था स्थिर करने के अल्पकालिक उपायों में से एक उपाय के तौर पर सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण अग्रिम देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध जब और जैसे ही हटेगा, गृह-निर्माण अग्रिम देना फिर शुरू हो जायेगा।

पश्चिम बंगाल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के वितरण में कथित कदाचारों की जांच करने के लिये आयोग

1139. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के वितरण में कथित कदाचारों की जांच करने के लिये सरकार जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग गठित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल को सप्लाई की गई गेहूं के वितरण के मामले कदाचार का कोई विशिष्ट मामला सरकार को नहीं बताया गया है जिससे जांच आयोग अधिनियम के अधीन आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता हुई हो।

फसल सम्बन्धी आशाओं पर पानी फिरना

1140. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अक्तूबर, 1973 के इकोनोमिक टाइम्स में 'ऋण होप्स बिलाईड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) यह सही है कि असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर के कुछ भागों में बाढ़ों का खड़ी फसलों पर कुछ प्रभाव पड़ा है। तथापि, चालू वर्ष के दौरान

देश भर में मौसमी परिस्थितियां प्रायः अनुकूल रही हैं। खरीफ की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक उत्पादनशील किस्मों के क्षेत्र को बढ़ाने, सिंचाई की क्षमता का प्रभावशाली ढ़ंग से उपयोग करने, उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने और ऋण की व्यवस्था करने की दिशा में देशव्यापी विशेष प्रयास भी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, उन्नत पैकेज प्रणालियों को अपनाने में कृषकों को प्रशिक्षण देने एवं उनकी सहायता करने के लिये बिस्तार मशीनरी को भी पूरी तरह से मजबूत बनाया गया है। इन प्रयासों एवं मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के फलस्वरूप इस वर्ष खरीफ की फसलों के आसार सामान्यतः आशाजनक। परन्तु अभी उत्पादन के ठीक-ठीक अनुमान बताना संभव नहीं हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्यों की लागत

1141. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वृहत्त कलकत्ता, वृहत्त बम्बई, दिल्ली और मद्रास में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किये गये निर्माण कार्य की कुल लागत कितनी थी ;

(ख) क्या कुछ क्षेत्र इस संबंध में अन्य क्षेत्रों से पीछे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल के लिए अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति की सिफारिशें

1142. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल के लिये अन्तर्देशीय जल परिवहन की समिति की कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है;

(ख) स्वीकृत सिफारिशों की विशेषताएं क्या हैं ;

(ग) उन स्वीकृत सिफारिशों में से कौन सी सिफारिशें अब तक कार्यान्वित की जा चुकी हैं और उस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(घ) क्या इस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वियन की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) और (ख) चतुर्थ योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के रूप में भगवती समिति द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित दो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये स्वीकृति दी गई है :-

(1) गंगा-भगीरथी हुगली नदी पद्धति (1.10 लाख रुपये) के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य जांच ।

(2) सुन्दरवन में उतार सुविधाओं की व्यवस्था-राय डिघी में जेटी का निर्माण (2.08 लाख रुपये)।

राज्य सरकार से कुछ बातों का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर केन्द्रीय सरकार हुगली में फेरी सेवाओं के चलाने के लिये यात्री फेरी बेड़ा की अधिप्राप्ति और जेटियों के निर्माण संबंधी 104.94 लाख रुपयें की एक और योजना के लिये भी सहमत हो जायेगी।

(ग) से (ङ) : तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है और इस संबंध में राज्य सरकार आवश्यक अध्ययन कर रही है। 29-9-1973 को हाल ही में उपर्युक्त (2) से संबंधित योजना को स्वीकृति दे दी गई है। इन योजनाओं के निष्पादन पर होने वाले खर्च को राज्य सरकार पहले अपने ही साधनों से पूरा कर रही है और जिसके लिये पहले ही किये गये वास्तविक खर्च और/या खर्च करने के लिये प्रस्तावित रकम के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उसे ऋण दिया जाता है। इसके लिये राज्य सरकार को अभी तक कोई रकम नहीं दी गई है। परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति के अब संतोष-जनक ढंग से चलने की आशा है, क्योंकि राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और योजनाओं के निष्पादन के लिये अपने मौजूदा अन्तर्देशीय जल परिवहन नौचालन सेल को काफी अमले और उपकरण से मजबूत बनाने के लिये कार्यवाही की है।

दोषी रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्यवाही

1143. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन प्राधिकरण ने दोषी रिक्शा चालकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) मामला राज्य परिवहन प्राधिकारी और दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

(ख) अपराधिक मामलों वाले आटो-रिक्शा चालकों के चालान के बारे में पुलिस विभाग से रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 60 के अन्तर्गत राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा 99 परिचालकों को और, मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 15 (1) (बी) के अन्तर्गत मोटर लाइसेंस अधिकारी दिल्ली द्वारा 15 ड्राइवरों को 'कारण बताओ' नोटिस जारी किये गये हैं। मोटरगाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 15 (1)(बी) के अन्तर्गत 23 अन्य ड्राइवरों को भी नोटिस जारी किये जा रहे हैं।

Loss due to drought in Bihar

1144. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government has sent any memorandum to him regarding the losses suffered during the current year due to drought;

(b) if so, the main features thereof,

(c) whether the Govenment of Bihar have asked for assistance from the Centre to cope with these difficulties ; and

(d) if so, the main points thereof and the Government's reaction there to ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (d): The main features of the request of the Bihar Government in regard to the drought conditions are indicated below:—

(a) Due to the dry spell which started towards the end of June and continued till 24th of July, 1973, 13 Districts involving a population of 1.47 crore were affected by the drought conditions.

(b) The State Government apprehended losses to crops like maize, bhadai paddy and other bhadai crops and that a large number of agricultural labourers required to be given employment.

(c) The problem of drinking water supply was also reported to be acute in certain areas.

(d) All possible efforts were being made by the State Government to provide irrigation on an emergency basis.

(e) Request was made about additional allocation of food grains from the Central pool.

(f) The requirements of funds for meeting the drought situation for taking various relief measures was estimated at Rs. 51.61 crores.

The reaction of the Central Government is indicated below:—

(a) Minister (Agriculture) visited Patna in July 1973 in connection with the drought situation and held comprehensive discussions with the State Government representatives.

(b) A central study team visited some of the drought affected areas in Bihar in August 1973 for detailed assessment of the situation for recommending ceiling of central financial assistance. The report submitted by the team is under consideration.

(c) The question of release of central financial assistance would be considered on the basis of the progress of expenditure subject to the recommendations of the central teams.

(d) Reasonable quantities of foodgrains have been made available to Bihar Government having regard to the availability of stocks with the Central pool and the requirements of other State Governments.

Setting up of Central University in each State

1145. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government have declared a six-point formula to solve the present dispute of Andhra Pradesh;

(b) if so, whether there is a provision of setting up a Central University in Andhra Pradesh under this formula;

(c) if so, the difficulties being faced in setting up at least one Central University in each State as in Andhra Pradesh; and

(d) whether Government proposes to reconsider its previous policy in this regard and if not the reasons thereof ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and b) The six-point formula has emerged as the result of the discussions among the leaders of Andhra Pradesh and with the Central leaders. It contains a proposal for the establishment of a Central University at Hyderabad.

(c) and (d): Education being a state subject, it is constitutionally not possible for the Central Government to establish Central Universities in the States except in certain contingencies provided for in the Constitution of India. Even otherwise within the limited funds available for development of higher education, it is not possible to set up a Central University in each State.

Increase of Heart Disease Cases

1146. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether heart disease cases are on the increase in India day-by-day;

(b) whether the number of deaths as a result thereof has also greatly increased; and

(c) the action taken by the Government for curing this disease and the results thereof ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa): (a) & (b) Diseases of the heart cases are not registerable and as such no authentic figures are available as to the incidence or prevalence of heart diseases in India. However, reports from the Registrar General, Life Insurance Corporation's data, Employees State Insurance Corporation, School Surveys, Hospital Statistics and Autopsy data and Surveys conducted at the various medical colleges and research institutions show high prevalence rate of rheumatic fever and rheumatic heart diseases.

(c) Facilities for treatment of heart diseases are available in Medical College Hospitals, other big hospitals and most of the District Hospitals. These facilities are being improved further.

Financial Assistance to Cultural Institutions

1147. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether Government give financial assistance to cultural institutions every year,

(b) if so, whether many institutions have applied for financial assistance during 1973-74;

(c) if so, State-wise figure thereof; and

(d) the amount of assistance given to each institution ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D.P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Statements I and II giving the information are attached. [Placed in Library; See No. L.T. 5737/73]

सभी प्रस्तावित भवनों के निर्माण पर रोक

1148. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान सभी प्रस्तावित भवनों के निर्माण पर रोक लगाने हेतु निदेश देने वाला एक परिपत्र दिल्ली प्रशासन को भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) मितव्ययिता के उपाय के तौर पर सामान्य प्रतिबन्ध के एक अंश के रूप में ।

Central Grant to Kamla Nehru Memorial High School, Watnapali

1149. **Shri B.S. Chowhan** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a grant was sanctioned by Central Government to Kamla Nehru Memorial High School, Watnapali if so, the amount thereof;

(b) whether a case has also been filed in a Court of a Judge in Ernakulam against the said Institution; and

(c) whether this is being withdrawn by Government and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. Rs. 25,000 in two instalments of Rs. 10,000 and Rs. 15,000 respectively.

(b) Three office bearers of the school and the Manager of a firm have been charge sheeted. The case is now pending before the Court.

(c) Government have taken no such decision.

दिल्ली के बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल में एक डाक्टर द्वारा रोगी के रिश्तेदार के साथ कथित बलात्कार के बारे में जांच आयोग का प्रतिवेदन

1150. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के बाड़ा हिन्दूराव अस्पताल में एक डाक्टर द्वारा रोगी के एक रिश्तेदार के साथ कथित बलात्कार के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन में कुछ चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो अपराधी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जम्मू में गड्ढों में खाद्यान्नों का जमा किया जाना

1151. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** :
श्री राम कंवर :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने जम्मू में गोदामों के पास गड्ढे खोद कर बड़ी मात्रा में उनमें खाद्यान्न जमा किये थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के कारण क्या थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने जम्मू में लगभग 64 मीटरी टन खाद्यान्न ढेर में फैंक दिये थे। ये खाद्यान्न मानव/पशु उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाये गये थे। खाद्यान्नों को जम्मू ले जा रही गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने और भारी तथा लगातार वर्षा होने से सरकारी गोदामों में पड़े खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त होने से इन खाद्यान्नों की बर्बादी हुई थी।

"ग्रान प्राइसिज एण्ड फूड थ्री स्टेप्स बैक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1973 के "न्यू एज" (साप्ताहिक) में "आन प्राइसिज एण्ड फ़ूड थ्री स्टेप्स बक" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ग्रोर दिलाया गया है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) ग्रौर (ख) सरकार ने 28 अक्तूबर, 1973 के 'न्यू ऐज' (साप्ताहिक) में प्रकाशित समाचार को देखा है। सरकार समाचार पत्र में व्यक्त किये गए बिचारों से सहमत नहीं है क्योंकि ये लेखक के ग्रपने विचार हैं ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी में कालेजों के लिये भूमि का ग्रावंटन

1153. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **निर्माण ग्रौर ग्रावास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की स्वीकृति से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजधानी में कुछ कालेजों को रियायती दरों पर, जो अधिग्रहण की लागत से कम है, भूमि आंवटित की गयी थीं ; ग्रौर

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की ग्रोर से आवंटन के समय हुये समझौते तथा सहमति का उल्लघंन करते हुये निर्माण के बहुत समय के पश्चात कालेजों से अधिक धनराशि वसूल करने का प्रयास किया जा रहा है।

(ग) कालेज-स्थलों के ग्रावंटन के समय सरकार की नीति क्या थी ; ग्रौर

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण को वर्तमान कार्यवाही के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण ग्रौर ग्रावास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ग्रोम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) इन मामलों में किये गये पट्टा-करारनामों की धारा 5 के अनुसार भूमि के अर्जन की वास्तविक कीमत तथा न्यायालय के आदेशानुसार बढ़ी हुई कीमत लेने का एक प्रस्ताव है।

(ग) "दिल्ली में भूमि का बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा निपटान' की योजना के अन्तर्गत यह नीति थी कि मान्यता प्राप्त कालेजों को भूमि का आवंटन 5,000 रु० प्रति एकड़ प्रीमियम के तौर पर तथा उस पर 5% की दर से बार्षिक भूमि किराया की रियाअती दर पर किया जाएगा किन्तु शर्तं यह थी कि रियायती दर पर आवंटन की गई भूमि की पूरी कीमत उस क्षेत्र में, यह सम्भंव न हो, तो अन्य क्षेत्रों में पट्टे पर दी गई भूमि के पट्टाधारियों में बांट कर वसूल की जाय तथा अन्य मामलों में गैर रिआयती दरों पर आबंटन किया जायेगा।

(घ) सरकार मामले पर बिचार कर रही है।

37 L.S.S./73—9

नई दिल्ली के बंगलों की क्षेत्र भूमि को कम करने संबंधी कार्यक्रम का अध्ययन

1154. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली पुनर्विकास सलाहकार समिति ने नई दिल्ली के बंगलों की क्षेत्र भूमि को कम करने संबंधी कार्यक्रम के अपने अध्ययन को पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और अध्ययन का क्या परिणाम निकला ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि के स्थान पर फ्लैटों का आवंटन

1155. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि के स्थान पर फ्लैटों के आवंटन, यदि वे चाहे, प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया था कि सहकारी गृह-निर्माण समितियों को भूमि के बजाय फ्लैटों का आवंटन नहीं किया जा सकता ।

प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले जिलों के लिए सूखा संहिता का बनाया जाना

1156. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फसल बचाओ अनुसंधान और सूखा संहिता विकास" विषय पर हुई विचार गोष्ठी में प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले प्रत्येक जिले के लिये ऐसी सूखा संहिता का विकास करने का सुझाव दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं तथा संचालन पद्धतियों का उल्लेख किया गया हो ;

(ख) क्या उसी विचार गोष्ठी में शुष्क भूमि में उत्पादन को बढ़ाने और उसे स्थिर करने के बारे में एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम की सिफारिश भी की गई थी ; और

(ग) क्या सरकार ने सिफारिसों की जांच कर ली है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1973 में "फसल बचाओ अनुसंधान" के संबंध में भारतीय कृषि अनुसंधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास अनुसंधान केन्द्र, औटावा (कनाडा) द्वारा संयुक्त रूप से एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। गोष्ठी का उद्देश्य उन पद्धतियों का पता लगाना था जिनसे कृषि उत्पादन में स्थिरता लान तथा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों का सामना करने के लिये नीतियों का विकास करने में सहायता मिल सके। विचार गोष्ठी में सूखा संहिता के विकास की आवश्यकता पर भी विचार विमर्श किया गया था। गोष्ठी में सभी का मत था कि मौजूदा समय की जरूरतों को पूरा करने के लिये अकाल संहिता में संशोधन किया जाना चाहिये। अकाल संहिता रोजगार दिलाने का साधन है और कार्यवाही मुख्यतः उन सहायक कार्यक्रमों के संबंध में की गई जिनसे कोई स्थाई आधार नहीं बन सका। इस गोष्ठी ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन असफलताओं को रोकने के लिये योजना बनाई जानी चाहिये जो सूखा के वर्षों में शुरू होने वाले विकास कार्यों में, बाधक बन जाते हैं।

गोष्ठी ने वारानी क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिये एक 10 सूत्रीय कार्यक्रम की सिफारिश की थी जिसमें नमी की परिस्थितियों में उर्वरक को ठीक ढंग से प्रयोग में लाना, उचित खेती पद्धतियां, पर्याप्त फसलों का विकल्प, अर्न्तफसल की सम्भाव्यता, अधिकत्तम फसल, खरपतवार नियंत्रण भूमि संरक्षण आदि शामिल हैं।

गोष्ठी की कार्यवाही हैदराबाद में बारानी खेती के परियोजना निदेशक द्वारा तैयार की जा रही हैं।

सरकारी बस्तियों में झुगियां और झोंपड़ियां

1157. **श्री ई० वी० विखे पाटिल :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली की सरकारी बस्तियों के आवासीय खण्डों के बीच अभी तक भी झुग्गियां और झोपड़ियां मौजूद हैं;

(ख) क्या सरकार को इन बस्तियों को झुग्गियों को हटाने तथा उन झुग्गियों के निवासियों को फिर से बसाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन झुग्गियों को हटाने तथा उनके निवासियों को फिर से बसाने के लिये बस्तीवार की गई तथा की जाने वाली कार्यवाही क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन झुग्गी निवासियों का पुनर्वास करने के लिये कितना समय लिये जाने की सम्भावना है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) झुग्गियां और झोपड़ियां सरकारी कालोनियों के रिहायशी ब्लाकों के बीच में मौजूद नहीं हैं बल्कि रिहायशी ब्लाक समूहों के साथ लगी खूली भूमि पर बनी हैं।

(ख) से (घ) : सरकारी कालोनियों में क्वार्टरों के निकट झुग्गियों के अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी कुछ इक्की-दुक्की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन्हें सामान्य ढंग से निपटाया जायगा। ऐसी समस्त समस्याओं को पूर्णरूपेण हल किये जाने की कोई सही समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

शिक्षा-नीति का पुर्निर्धारण

1158. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की **कृपा** करेंगे कि :

(क) देश की शिक्षा सम्बन्धी नीति का पुर्निर्धारण करने के लिये मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ;

(ख) रोजगारोन्मुख शिक्षा ढांचे की दिशा में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय ले जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) से (ग) सरकार का विचार पांचवीं आयोजना में देश की शिक्षा पद्धति के पुनर्निर्माण के लिये व्यापक प्रयास करने का है। शिक्षा संबंधी योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति ने दिल्ली में 13 जून, 1973 को हुई अपनी बैठक में उसे मोटे रूप से अनुमोदित कर दिया है। आयोजना में माध्यमिक शिक्षा के और अधिक व्यावसायी-करण और विविधिकरण पर जोर दिया है।

योजना पर योजना आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थानों का दर्जा बढ़ाया जाना

1159. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण के लिये मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थानों का डिग्री स्तर तक दर्जा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रण प्रौद्योगिकी संस्थानों का कार्य संचालन

1160. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत में मुद्रण प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विभिन्न संस्थानों को केन्द्र द्वारा गत दो वर्षों में दी गई सहायतानुदानों की राशि तथा उनके चलाये जाने में असुविधाओं, कमियों तथा अन्य कठिनाईयों को दर्शाने वाला विवरण मंत्री द्वारा सभा-पटल पर रखा जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

विश्वविद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी

1161. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री छात्रों में असन्तोष के बारे में 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 920 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों में असन्तोष की बढ़ती हुई अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी को कम करने के लिये मंत्रालय का क्या कार्यक्रम है; और

(ख) छात्रों की हिंसात्मक अराजकता की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये मंत्रालय द्वारा प्रर्याप्त उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) पिछले वर्षों में अनेक प्राधिकारियों और समितियों ने छात्रों में असन्तोष के कारणों की जांच की है और उनकी सिफारिशें राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों को उनके विचारार्थ और कार्यान्वियन के लिये भेज दी गई हैं। छात्रों में असन्तोष को कम करने के लिये प्रभावी कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी मुख्यतया राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय की है। इस मामले में केन्द्रीय सरकार की भूमिका मुख्यतः सलाह देना है।

राष्ट्रीय खाद्य नीति

1162. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने का प्रयत्न छोड़ दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) यदि नहीं, तो उस नीति का सारांश क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) सरकार राष्ट्रीय खाद्य नीति का अनुसरण कर रही है, इस का मुख्य उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उत्पादक को लाभकारी मूल्य देना और उसी समय उचित मूल्यों पर खाद्यान्न सुलभ कर उपभोक्ताओं, विशेषतया समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा करना है। इन दोनो उद्देश्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार के पास खाद्यान्नों का पर्याप्त स्टाक तैयार करने और उसे बनाये रखने की भी नीति है।

खरीफ की फसल की वसूली कीमत निर्धारित करना

1163. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ की फ़सल की वसूली कीमत किस आधार पर निर्धारित की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों और राज्य सरकारों द्वारा अभिव्यक्त किये गए विचारों के आधार पर तथा आदानों के मूल्यों में वृद्धि उत्पादकों को प्रोत्साहन मूल्य देने और अधिप्राप्ति में वृद्धि करने की आवश्यकता जैसी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखने के बाद 1974-75 के लिये खरीफ की फसल के अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा की गई है।

पूर्वी क्षेत्र की सहकारी समितियों के कार्य के बारे में जांच

1164. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी क्षेत्रों में सहकारी समितियों के कार्य के बारे में जांच का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) 1. भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिमी बंगाल में सहकारी ऋण ढांचे का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल का गठन किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1972 में प्रस्तुत की और राज्य सरकार द्वारा उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

2. मेघालय राज्य में एक विशेषज्ञ दल ने संस्थागत ऋण प्रबन्धों का अध्ययन किया और 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह राज्य सरकार के विचाराधीन है।

3. भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार में स्थिति का अध्ययन किया है और सहकारी ऋण ढांचे को मजबूत बनाने के लिये एक वृहद योजना तैयार की है।

4. उड़ीसा में एक विशेषज्ञ दल द्वारा संस्थागत ऋण प्रबन्धों का ज़िलावार अध्ययन किया जा रहा है और अधिकांश ज़िलों के बारे में इसकी रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उनमें की गई विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये इन्हें राज्य सरकार को भेज दिया गया है। शेष ज़िलों के बारे में रिपोर्टों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

5. असम में संस्थागत ऋण प्रबन्धों का अध्ययन एक विशेषज्ञ दल कर रहा है।

6. अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मिजोरम में सहकारी आन्दोलन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन टोली गठित की गई है। यह अध्ययन टोली अल्प तथा मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, विपणन, विधायन, उपभोक्ता और कमजोर वर्गों की सहकारी सोसायटियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान ढांचे की जांच करेगी और उन्हें मज़बूत बनाने के लिये उपायों का सुझाव देगी। यह टोली इस बात का अध्ययन और सिफारिश भी करेगी कि इन राज्यों में सहकारी सोसायटियों का उचित आधार पर विकास करने के लिये किस किस्म की संस्थायें आवश्यक हैं।

पूर्वी क्षेत्रों में खरीफ की फसल का उत्पादन

1165. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में हाल ही में आये तूफान तथा अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल को कितनी क्षति पहुंची है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : सूचना संबंधित राज्यों से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

नडियाड, गुजरात में गन्ना उत्पादन के लिए किसानों को वित्तीय सहायता

1166 **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नडियाड (गुजरात) की भूमि गन्ने की फसल के लिये सर्वोत्तम है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां गन्ना उगाने के लिये किसानों को वित्तीय सहायता देने हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी है ; और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ऋण देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ग) क्या एक केन्द्रीय दल ने उक्त क्षेत्र का दौरा किया है और गन्ने की फसल के लिये उसका उपयोग किये जाने की सिफारिश की है ; और

(घ) यदि हां, तो नडियाड क्षेत्र के किसानों को केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) नडियाड की भूमि गन्ने की खेती के लिये उपयुक्त है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कृषि मंत्रालय में गठित केन्द्रीय दल ने 1973-74 के लिये कृषि उत्पादन कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने के लिये मई, 1973 में गुजरात राज्य का दौरा किया। इस दल ने नडियाड में गन्ने की खेती के बारे में कोई ख़ास सिफारिश नहीं की।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फसलों के रख-रखाव संबंधी जानकारी का प्रसार

1167. **श्री प्रभुदास पटेल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने अधिकाधिक कृषि उत्पादन का लक्ष्य पूरा करने के लिये देश में फसलों के रख-रखाव सम्बन्धी ज्ञान तथा तकनीक का समुचित प्रसार करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या फसलों के रख-रखाव सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण अनेक क्षेत्रों में उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों को क्या सहायता प्रदान की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) गत वर्षों के दौरान क्षेत्र विस्तार कार्यकर्ताओं और कृषकों को कृषि की नई तकनौलोजी से परिचित करने की सुविधाओं में पर्याप्त रूप से विस्तार हुआ है । देश के प्रत्येक राज्य के कृषि विभाग तथा मंत्रालय में केन्द्रीय स्तर पर सुव्यवस्थित कृषि सूचना प्रसार सेवाओं की व्यवस्था है । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि सूचना प्रसार एककों, आकाशवाणी के केन्द्रों, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थाओं, बैंकों तथा सरकारी व गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों द्वारा भी समन्वित रूप से कृषि की नई तकनोलोजी का प्रसार किया जा रहा है । तकनोलोजी के प्रसार के लिये 100 कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों, राष्ट्रीय प्रदर्शनों, किसान मलों आदि का भी उपयोग किया जा रहा है । इसके

अतिरिक्त मेगजीनों, पत्रक, पत्रिकाओं, इश्तहारों, बुलेटिनों, प्रेस विज्ञप्तियों, विज्ञापनों, रेडियों, टेलीविजन, अनुदेशात्मक फिल्मों, स्लाइडों तथा चार्टो, फिल्म स्ट्रिपों तथा प्रदर्शनियों आदि प्रसार के समस्त साधनों से नई तकनीकों का प्रचार किया जा रहा है, शामिल हैं। वैयक्तिक रूप से जानकारी प्रदान करने के अवसर बढ़ाने के लिये विशेष विकास के क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी क्षेत्र विस्तार सेवा को सुदृढ़ करने हेतु योजनाएं तैयार की जा रही हैं ।

(ग) कृषि संबंधी जानकारी का प्रसार करना उन अनेक आदानों में से एक हैं जिनका उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है । यह पता लगाना कठिन है कि किसी क्षेत्र में अकेले एक घटक से उत्पादन में कितनी कमी होती है ।

(घ) पिछड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों, सूखाग्रस्त क्षेत्रों या छोटे कृषकों/सीमान्त कृषकों के क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में नगरों के विकास के लिए अलग क्षेत्र

1168. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मंत्री ने मांग की है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नगरों के विकास के लिये अलग क्षेत्र होना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाएगा तथा उसे पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप दिये जाने पर उसमें शामिल कर लिया जायेगा ।

भारतीय खाद्य निगम के आसाम स्थित गोदामों से चावल की चोरी

1169. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से 1 लाख क्विंटल चावल गुम था ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : भारतीय खाद्य निगम के जांच के अधीन स्टाक में कमी के मामले किसी गबन या चोरी होने के कारण नहीं है बल्कि कुछ वर्षों से अनुमेय क्षति को ध्यान में न रखने के कारण मासिक विवरणों में गलत सकल शेष बताने के कारण है ।

पब्लिक स्कूल

1170. **श्री पी० वेंक्टासुब्बया** . क्या **शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति मंत्री** प्राइवेट/पब्लिक स्कूलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में 29 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1023 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पब्लिक स्कूलों को समाप्त करने अथवा अन्य सरकारी अथवा प्राइवेट संस्थानों को इसी स्तर पर लाने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं, और

(ग) देश में सब विद्यार्थियों को समान अवसर देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) से (ग) पब्लिक स्कूलों सहित सभी विशेष स्कूलों के संबंध में सरकार का दृष्टिकोण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) के संकल्प में बता दिया गया है, अर्थात् :

> "पब्लिक स्कूलों सहित सभी विशेष स्कूलों को योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को दाखिल करना होगा और सामाजिक वर्गों में अलगाव को दूर करने के लिए निर्धारित अनुपात में नि-शुल्क छात्रवृत्तियां भी प्रदान करनी होंगी, लेकिन, इससे, संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।"

सामाजिक वर्गों में अलगाव को दूर करने की उपरोक्त नीति के अनुवर्तन में भारत सरकार पहले ही, उन व्यक्तियों के बच्चों को, जिनकी मासिक आय 500 रुपये से अधिक नहीं है, पब्लिक/आवासी स्कूलों में शिक्षा का लाभ देने के लिए प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तियां प्रदान कर रही है । 1973–74 के दौरान 500 छात्रवृत्तियां और 1974–75 में और उसके बाद और अधिक संख्या में छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव है । अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जन-जातियों के लिए 5 प्रतिशत छात्र-वृत्तियों के आरक्षण की भी व्यवस्था है ।

पांचवीं योजना के लिये खाद्यान्नों के लक्ष्य

1171. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों के लक्ष्यों की केन्द्रीय मंत्रा-लय की योजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित कृषि योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय का यह विचार है कि पांचवीं योजना में कृषि के लिये 4.2 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त हो सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अणासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । इस समय कृषि मंत्रालय के परामर्श से योजना आयोग पंचम पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में लगभग 1400 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के कृषि विकास संबंधी प्रस्तावों की मुख्य बातों में अधिक उत्पादन शील किस्मों के खेती के क्षेत्र को बढ़ाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना रासायनिक उर्वरकों सुधारे बीजों व कीटनाशक औषधियों के उपयोग में पर्याप्त वृद्धि करना, कमान्ड क्षेत्र का विकास करना, समस्या उन्मुखी अनुसंधान को तीव्र करना, विस्तार-कार्य सुदृढ़ करना तथा ऋण, विपणन एवं आदानों की सप्लाई के लिये संस्थागत व्यवस्था करना शामिल है । पांचवीं योजना में छोटे तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों और सूखे क्षेत्रों आदि के लाभ के विशेष कार्यक्रमों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा ।

(ग) इस समय कृषि तथा पशुपालन, मीन-उद्योग तथा वानिकी के समस्त क्षेत्रों के लिये 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के विषय में विचार किया जा रहा है ।

हजरा में पोत निर्माण कारखाने की स्थापना की जांच करने संबंधी दल

1172. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बड़े पोत निर्माण कारखाने को स्थापित करने हेतु स्थल की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय तकनीकी आर्थिक दल ने दक्षिण गुजरात में हजरा का दौरा किया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उसने अपनी सिफारिशें संघीय सरकार को भेज दी हैं,

(ग) यदि हां, तो संघीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और कब तक अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की संभावना है, और

(घ) क्या राज्य सरकार ने पोत निर्माण कारखाने के लिये हजरा के दावे के सम्बन्ध में एक विस्तृत मामला संघीय सरकार को भेजा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । तकनीकी आर्थिक कार्य दल की रिर्पोट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) जी, हां । गुजरात सरकार ने हजीरा के दावे का पूरा केस तकनीकी आर्थिक दल के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

पांचवीं पंचवषीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण जनता को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने की व्यवस्था

1173. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गरीब जनता को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करने के लिए योजना आयोग की अनुमति से लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्री ने कृषि सम्स्याओं के बारे में सितम्बर, 1973 में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है;

(ग) क्या विभिन्न विशिष्ट कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने वाले लोगों में अधिकतर लोग छोटे और सीमान्त किसान तथा कृषि श्रमिक होंगे; और

(घ) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 1,000 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क), (ग) तथा (घ) अभी पांचवीं योजना के योजना वार वित्तीय आवंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । तथापि, पांचवीं योजना में अधिक वित्तीय व्यवस्था करके, ग्रामीण गरीब-जनता को अधिक रोजगार प्रदान करने के विशिष्ट कार्यक्रमों को बढ़ाया जायेगा । लघु कृषक विकास एजेन्सी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक आदि विशेष योजनाओं के अंतर्गत की जाने वाली अधिक व्यवस्था के अलावा, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा कमान्ड क्षेत्र विकास जैसे क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में लघु तथा सीमान्त कृषकों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता करने के लिए व्यवस्था की जायगी । न्यूनतम आवश्यकताओं के कार्यक्रमों में भी पर्याप्त परिव्यय की व्यवस्था की जायेगी और ये कार्यक्रम रोजगारोंन्मुखी होंगे । कृषि तथा सिंचाई कार्यक्रमों में विनियोजन करने से भी रोजगार के अवसर बढ़ने की संभावना है । आशा है विशिष्ट कार्यक्रमों से बहुत से छोटे तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे ।

(ख) अगस्त, 1973 में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया गया था ;

गुजरात में दुग्ध चूर्ण की कमी और देश में दूध का वितरण

1174. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य में दुग्ध चूर्ण की भारी कमी है:

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार से शीघ्र दुग्ध चूर्ण सप्लाई करने की अपील की गई है ;

(ग) क्या देश में दुग्ध चूर्ण की भारी कमी है; यदि हां, तो क्या देश में दुग्ध चूर्ण की अधिक मांग होने के कारण गाय का दूध लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में पर्याप्त नहीं है: और

(घ) देश में दुग्ध के वितरण में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । गुजरात में बाढ़ के बाद सूखे की स्थिति के कारण दूध के उत्पादन में काफी कमी हुई है । इससे आनन्द और मेहसाना स्थित दो महत्वपूर्ण सहकारी डेरियों में दुग्ध चूर्ण के उत्पादन पर काफी असर पड़ा है ।

(ख) जी हां । दुग्ध वितरण कार्यक्रमों को बनाए रखने की दृष्टि से कुछ दुग्ध योजनाओं ने अतिरिक्त मात्रा में स्किम दुग्ध चूर्ण के लिए अनुरोध किया । इसे आयातित स्किम दुग्ध चूर्ण से अंशतः पूरा किया गया है ।

(ग) जी हां । कुछ दुग्ध उत्पादक क्षेत्रों में लगातार सूखे की स्थितियों के बाद सख्त बाढ़ आ जाने के कारण दुग्ध उत्पादन में कमी हुई है । पशुओं के दाने और चारे के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण भी गाय या भैंस के औसत उत्पादन पर असर पड़ा है । इसके अतिरिक्त देश में खाद्य तेलों की कमी के कारण तरल दूध का घी बनाने के लिए अधिक मात्रा में उपयोग किया गया है । यहां तक कि देहाती क्षेत्रों में भी किसानों ने दूध से घी बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि आजकल इससे काफी ऊंची कीमत मिल जाती है । खाद्य तेलों की कमी के कारण घी की मांग की वजह से दूध और दुग्ध उत्पादों के मूल्यों पर असर पड़ा है । जो कि कुछ समय तक संगठित क्षेत्र के जरिए एक स्तर तक बनाए रखे गए । संयुक्त राज्य अमेरिका से यूरोप के देशों को सोया और धान्य के तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण संसार की मण्डियों में भी दुग्ध चूर्ण और बटर आयल की सख्त कमी है ।

इसके कारण अभाव और मूल्य वृद्धि की समस्या पैदा हो गई है और इससे भारत उस हद तक स्किम दुग्ध चूर्ण का आयात नहीं कर पा रहा है : जितना की सामान्यतः उसे करना चाहिए । ऐसा कर पाने से दूध की सप्लाई बढ़ाने और इसके मूल्यों को स्थिर रखने में सहायता मिलती है ।

(घ) दूध की सप्लाई देहात के उत्पादन पर निर्भर करती है, पूरे देश में ही दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय किये गए हैं और अब भी किये जा रहे हैं । हाल ही के वर्षों में इस दिशा में एक जो प्रमुख कदम उठाया गया है, वह गहन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना है । यह विकास परियोजनाएं शहरों में स्थित विभिन्न डेरी संयंत्रों के दुग्ध क्षेत्रों में स्थित है । अन्य महत्वपूर्ण पशु विकास परियोजनाएं जिनका दुग्ध उत्पादन पर सीधे असर पड़ता है, इस प्रकार है :—

1. अखिल भारतीय आदर्श ग्राम योजनाएं
2. संकर प्रजनन योजना
3. चारा तथा दाना विकास कार्यक्रम
4. गोशाला विकास योजनाएं
5. पशुधन फार्मों की संख्या बढ़ाना और उनका विस्तार
6. बछड़ा पालन योजना
7. पशु प्रदर्शनिया और दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिताएं
8. रोग नियंत्रण कार्यक्रम :

(क) पशु-चिकित्सालयों और औषधालयों की संख्या में वृद्धि

(ख) पशुमारी उन्मूलन की योजना

(ग) टीकों और सैरा के उत्पादन के लिए जीव-विज्ञान उत्पाद प्रयोगशालाओं का विस्तार ।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता से डेरी विकास के लिए बड़े पैमाने पर यह कार्यक्रम हाथ में लिया गया है । विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास) के अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के चार महानगरों में अधिकांश उपभोक्ताओं को समुचित मूल्यों पर अच्छा दूध सप्लाई करने का विचार है । इसके लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम से पांच वर्षों की अवधि के दौरान 1 लाख 26 हजार मीटरी टन स्किम दूध चूर्ण और 42 हजार मीटरी टन बटर आयल प्राप्त होगा । इस परियोजना के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा दिये गये पदार्थों की बिक्री से जो राशि प्राप्त होगी इससे इन चार महानगरों में स्थित डेरियां अपनी वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिए उपयोग करेगी और अतिरिक्त दुध वितरण के लिए नये संयंत्र भी स्थापित किए जायेंगे । इस राशि का 10 राज्यों और दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपयोग किया जायेगा । ये क्षेत्र इन चार महानगरों में स्थित दुग्ध क्षेत्र हैं ।

New Building to meet demand of accommodation in Parliament House

1175. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether lack of space is being felt in Parliament house due to increasing volume of work;

(b) if so, whether any new building is being constructed; and

(c) if so, the time by which the new building would be ready ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of works and Housing (Shri Om Mehta): (a) Yes .

(b) Yes.

(c) The portion of the building to accommodate the offices is likely to be completed by the 31st December 1973. The entire building is expected to be complete by the 30th April, 1974.

Exhibition in U.S.A. of Idols stolen from Nalanda Museum

1176. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education , Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether 12 rare bronze idols of Lord Buddha, which were stolen from the Nalanda Museum in 1961-62, are now being exhibited in the Bostan Museum of U.S.A.; and

(b) if so, how the said idols reached there and the steps taken by the Government of India for their restoration ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (b) Government have no information about the reported exhibition of 12 bronzes from Nalanda in the Boston Museum in U.S.A. The C.B.I. has been asked to investigate in the matter.

Opening of offices in foreign countries for purchase of wheat

1177. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any separate Offices have been opened in foreign countries for the purchase of wheat; and if so, the location thereof; and

(b) the number of Indian Officers who went abroad for purchasing wheat in foreign countries along with the names of the countries and the total expenditure incurred on their T.A. and D.A. ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No separate offices have been opened in the foreign countries recently for the purchase of wheat or other foodgrains. However, a Food Cell has been in existence in the Indian Embassy, Bangkok (Thailand) for some time, while the recent purchase of wheat and sorghum in the America was organised through the India Supply Mission, Washington.

(b) No Officer has been recently deputed abroad from the country for purchasing wheat in the foreign countries. However, in 1972, the then Food Secretary, who had gone abroad in connection with some international Conference also visited the USA, Canada and Argentina, to explore the possibilities of importing foodgrains. During these visits, he was associated with the foodgrain purchases made during the months of November and December, 1973.

The provisional estimate of the expenditure on his TA/DA for the visit is Rs. 43,276/-

चीनी कारखानों के विस्तार की योजना

1178. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चीनी कारखानों के विस्तार की कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और इस सम्बन्ध में राज्यवार प्रगति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां । चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15.32 लाख मी० टन चीनी की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के लिए 63 नई चीनी फैक्टिरियां लगाने और मौजूदा 30 फैक्ट्रियों का विस्तार करने के लिए आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं । इससे चीनी उद्योग की लाइसेंसशुदा क्षमता बढ़ाकर 55.47 लाख मी० टन हो गयी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त क्षमता के राज्यवार दिए गए लाइसेंस और अब तक उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति इस प्रकार है :—

	अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंस (लाख मीटरी टन)	कार्यान्वित क्षमता (लाख मीटरी टन)
1. महाराष्ट्र	6.29	1.38
2. गुजरात	2.09	0.55
3. गोआ	0.20	—
4. मैसूर	1.82	0.35
5. तमिलनाडु	1.45	0.14
6. आन्ध्रप्रदेश	1.37	—
7. उत्तरप्रदेश	1.24	0.02
8. बिहार	0.13	—
9. पंजाब	0.04	—
10. हरियाणा	0.40	—
11. जम्मू तथा कश्मीर	0.17	—
12. असम	0.12	—
	15.32	2.44

चीनी उद्योग की लाइसेंसशुदा क्षमता बढ़ाकर 70 लाख मी० टन करने का विचार है ताकि पांचवीं योजना के अन्त तक 60 लाख मी० टन वार्षिक उत्पादन क्षमता प्राप्त कर लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ।

टाइम कैपसूल (कालपात्र) में दबाए गए ऐतिहासिक दस्तावेजों का पाठ

1179. **श्री मोहम्मद शरीफ** :
श्री मोहन राज :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री द्वारा गत स्वतंत्रता दिवस पर 'कालपत्र' में दबाए गए ऐतिहासिक दस्तावेजों के पाठ को प्रकाशित करने से मंत्रालय ने इन्कार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार दस्तावेजों का पाठ सभा-पटल पर रखेगी ;

(घ) इस दस्तावेज को तैयार करने के लिये नियुक्त की गई एजेंसी का नाम क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (घ) ऐतिहासिक प्रलेखन तैयार करने का उत्तरदायित्व भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का था। अपनी परिसीमाओं के अन्तर्गत अपने समय का एक अधिप्रमाणित अभिलेख भावी पीढ़ी के लिये सुरक्षित रखने के लिये यह तैयार किया गया था। इस विचार को ध्यान में रखते हुए समकालिक प्रकाशन का प्रश्न अथवा प्रलेखों की विषय-वस्तु को सभा पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

कोयम्बतूर में पेय जल की कमी

1180. **श्री मोहम्मद शरीफ**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** कोयम्बतूर में पेय जल की कमी के बारे में 2 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5544 के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस संबंध में क्या प्रगति हुई है: और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र ने तमिलनाडु को क्या सहायता दी है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) सिरुवानी स्त्रोत से कोयम्बतूर नगर को जल की सप्लाई बढ़ाने के लिए तमिलनाडु तथा केरल सरकारों के बीच समझौता होना अपेक्षित था। तमिलनाडु सरकार ने इस सम्बन्ध में आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मन्दिर मार्ग नई दिल्ली सैक्टर 'डी' में आवश्यक वस्तुओं के लिए दुकानों तथा कम्युनिटी हाल का निर्माण

1181. **श्री मोहम्मद शरीफ**: क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के सैक्टर 'डी' के टाईप II के क्वार्टरों के निवासियों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एसोसिएशन ने टाइप II और टाइप III के बीच स्थान में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों एवं कम्युनिटी हाल के निर्माण के लिये प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और सरकार ने उसकी शीघ्र व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) एसोसिएशन ने अनुरोध किया है कि मंदिर मार्ग के सेक्टर 'डी' में टाईप II और टाईप III के क्वार्टरों के बीच के स्थान, जो एक पेट्रोल पम्प के लिए निश्चित है, में आवश्यक वस्तुओं के कुछ दुकानों तथा समाज सदन की व्यवस्था की जाय। उक्त अनुरोध विचाराधीन है।

मालवन पत्तन (महाराष्ट्र) को स्टीमर सर्विस का बन्द किया जाना

1182. **श्री मधु दण्डवते**: क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोहिनी स्टीमर के डूब जाने के बाद से महाराष्ट्र में मालवन पत्तन की स्टीमर सर्विस बन्द कर दी गई है, और

(ख) यदि हां, तो इस पतन का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि नष्ट जहाज के चारों ओर बोये जला दिये गये हैं तथा उन्होंने अपनी दिनांक 3 नवम्बर, 1973 की अधिसूचना द्वारा भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 31 के उपबन्धों के अन्तर्गत मालवन पत्तन को कनहारी पत्तन घोषित किया है । पत्तन में शीघ्र ही स्टीमर शुरू हो जाने की सम्भावना है ।

बंगलौर पैलेस को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

1183. **श्री डो०बो० चन्द्र गोडा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर पैलेस को अपने नियंत्रण में लेकर इसे बंगलौर स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भारतीय उद्यान-विकास, अनुसंधान संस्थान को सौंपने का है; और

(ख) क्या सरकार बंगलौर के सौन्दर्य में वृद्धि करने पर भी विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) जी नहीं । इस समय भारत सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) बंगलौर शहर की सुन्दरता को बढ़ाने के मामले का सम्बन्ध कर्नाटक सरकार से है ।

भारतीय खाद्य निगम के पटना स्थित गोदाम से सड़े हुए गेहूं का लापता होना

1184. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 अक्तूबर, 1973 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि मानवीय उपयोग के अनुपयुक्त 376 क्विंटल सड़ा हुआ गेहूँ भारतीय खाद्य निगम के पटना स्थित केन्द्रीय गोदाम से हाल में लापता हो गया ;

(ख) क्या सड़े हुए गेहूँ को नष्ट किये जाने के लिए निश्चित आदेशों के बावजूद इसे उस गोदाम में रखा गया जो बाद में रहस्पूर्ण ढंग से लापता हो गया तथा दोषी व्यक्तियों का अभी तक पता नहीं लगाया गया; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर दुकानों को हाल में सप्लाई किये गये गेहूँ में पर्याप्त मात्रा में सड़ा हुआ गेहूँ सप्लाई किया गया है और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कार्यवाही की है कि क्या लापता गेहुँ उचित दर की दुकानों पर पहुँच गया है तथा उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां । तथापि, रिपोर्ट सही नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

यमुना पार क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम बस सेवा

1185. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि यमुना पार क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की सेवा अपर्याप्त है,

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र के लिए सेवाओं में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों के लिए कुल कितनी बसें दी गई हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) (क) से (ग): दिल्ली परिवहन निगम ने यमुनापार कालोनियों के लिए विभिन्न मार्गों पर परिचालनार्थ 132 बसें लगाई हुई हैं । इसके अलावा 49 बसों का विशेष फेरों के लिए उपयोग किया जाता है जोकि प्रातःकाल तथा अपराह्न में भारी यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चलाई जाती हैं। शाहदरा में एक बस डिपो पहले से ही चालू कर दिया गया है। उसी जगह एक और डिपो तैयार होने वाला है । जब यह भी चालू हो जायेगा तो इस क्षेत्र के लोगों को और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विधि अध्ययन के लिए प्राईवेट पाठ्यक्रम आरम्भ किया जाना

1186. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार विधि अध्ययन के लिए प्राईवेट पाठ्यक्रम आरंभ करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) भारत की बार परिषद् , विधि में प्राईवेट पाठ्यक्रमों की अनुमति नहीं देती है ।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अचानक जांच

1187. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली परिवहन निगम की बसों में अचानक जांच शुरु करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि भ्रष्टाचार रोका जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) और (ख) : दिल्ली परिवहन निगम की बसों में बिना टिकट यात्रा की रोक थाम के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं में निगम के सादे कपडों में भेष बदले हुए चेकिंग स्टाफ और अधिकारियों द्वारा आवधिक जांच भी शामिल है।

Ban on Sale of Kesari Dal

1188. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government of Himachal Pradesh have imposed a ban on the sale of Kesari Dal and its products;

(b) whether similar steps have been taken by other States also; and

(c) the reasons for imposing such bans on it?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c): Information is being collected from the State Governments etc. and will be laid on the table of the Sabha.

37 L.S.S./73—10

Cut in Wheat Quota for Bihar

1189. **Shri G.P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Centre has effected a cut in the wheat quota for Bihar by 10 thousand tonnes in the month of September; and

(b) if so, the remedial steps proposed to be taken by Government for drought and flood affected Bihar and the steps being taken to meet the shortage in Bihar?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) & (b): Keeping in view the overall availability of foodgrains in the Central Pool and the relative needs of various States, monthly allocations are made by the Centre to States/ Union Territories to meet the reasonable requirements of the public distribution. Though the Government of Bihar was allotted 35,000 tonnes wheat for September, 1973 as against 45,000 tonnes allotted for August, the State Government was allotted 25,000 tonnes of wheat as an advance allocation in May for storage in areas likely to become inaccessible due to heavy rains.

The State Government are responsible for the distribution of the foodgrains allotted through fair price shops.

State Government's Demand for increase in Procurement price of Rice

1190. **Shri G.P. Yadav:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the names of the State Governments which have made a demand to increase the procurement price of rice;

(b) whether Government are prepared to meet the farmers and hold talks with them on the question of fixation of procurement price of rice before this price is fixed; and

(c) if so, the gist thereof?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) (a) to (c): The rice prices are fixed mainly for collection of levy on the millers/traders while the farmers are mainly concerned with paddy prices. Madhya Pradesh Government had asked for a revision in the price of standard variety of rice.

उत्तर प्रदेश के हरिजनों को भूमि सुधार का लाभ

1191. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतन्त्रता के पश्चात् से भूमि सुधार संबंधी कानून को पूरे उत्साह से लागू न करने के कारण उत्तर प्रदेश के एक करोड़ 8 लाख 50 हजार हरिजनों को भूमि सुधारो का लाभ नहीं मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में हरिजनों को भूमि सुधारो का लाभ देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के परिणामस्वरूप प्राप्त तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को आवंटित करने के लिये नियत की गई भूमि में से 50 प्रतिशत से अधिक भूमि हरिजन समुदाय के सदस्यों को 1 अक्तूबर, 1966 और 30 सितम्बर, 1971 के मध्य वितरित की गई । वितरण की सामान्य योजना में हरिजनों को अत्यधिक अत्युच्च दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भूमि जोत अधिनियम, 1960 को लागू करने के फलस्वरूप प्राप्त की गई अधिशेष भूमि के वितरण से जिन लोगों को लाभ हुआ है उनमें अधिकांश हरिजन हैं। हाल के भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून में संशोधन करने से और अधिशेष भूमि वितरण के लिए प्राप्त होने की संभावना है, जिसके वितरण में हरिजनों को अत्यधिक प्रायमिकता दी जाएगी ।

Ancient incense Burners found near Hastinapur, M.P.

1192. **Shri G.P. Yadav:** Will the Minister of **Education, Social Walfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether ancient incense-burners have been found at the time of repairs to the Maharishi Vishwamitra Yajnashala falling under village Panchayat Hastinapur, 23 Kilometres from Gwalior; and

(b) if so, whether Government propose to treat these incense-burners and the Yajnashala as monuments of archaeological importance and make proper arrangements for their preservation?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof S. Nurul Hasan) (a) and (b): No Sir. The objects recovered from the ruins of the compound wall of the Yajnashala consist of nine pieces of **chilams** (terracotta funnels), one red-ware pot and a iron pair of tongs. These are of recent origin and therefore, Government do not propose to protect them.

Plot for Landless Labourers

1193. **Shri Shrikrishna Agrawal:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) the progress made in respect of total assistance provided to the State so far under the scheme to allot plots to landless labourers;

(b) whether project reports have been received from all the States in this regard; and

(c) if so, whether project report from Madhya Pradesh has also been received and if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of state in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta). (a) A statement giving the requisite information is attached.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir. It has not so far been possible to sanction any of the project proposals received from the Government of Madhya Pradesh due to the following considerations:-

(i) The State Government have not yet enacted the legislation about conferment of home-stead rights on landless workers, who have built houses/huts on private land. This is one of the essential conditions to be fulfilled for drawal of Central assistance under the Scheme.

(ii) As a measure of economy, the Budget provision of Rs. 5.00 crores for 1973-74 for implementation of the Scheme throughout the country has been reduced to Rs. 3.5 crores. The reduced provision of Rs. 3.5 crores is conridered to be inadequate compared to the spill-over commitment of about Rs. 12 crores in respect of projects approved during 1972-73. In view of this, it has not been considered advisable at this stage to enter into fresh commitments under the Scheme by sanctioning fresh projects of any State Government including Madhya Pradesh, during 1973-74.

Statement

Statement showing projects sanctioned and funds released so far under the Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas.

S. No.	Name of State	No. of projects sanctioned	No. of house-sites	Approved Cost	Central financial assistance released
				(Rs in lakhs)	
1.	Bihar	39	23,872	45.82	11.45
2.	Gujarat. .	85	1,62,676	306.58	76.65
3.	Haryana . . .	1	053	0.08	0.02
4.	Himachal Pradesh .	5	430	0.64	0.16
5.	Kerala . .	960 Panchayats	96,000	677.76	205.44
6.	Maharashtra . .	83	1,08,962	164.56	41.14
7.	Mysore .	109	1,72,597	239.38	59.84
8.	Orissa .	2	3,349	8.40	2.10
9.	Punjab .	3	12,082	31.68	7.92
10.	Rajasthan	20	8,141	11.24	2.81
11.	Tamil Nadu .	36	33,692	75.51	18.88
12.	Uttar Pradesh	27	19,808	30.85	7.71
13.	West Bengal .	12	11,166	19.39	4.85
	Total : .	1,382	6,52,828	1,611.89	438.97

Committee for Providing Technical and Professional know-how for the Development of Gardens in Delhi

1194. **Shri Shrikrishan Agrawal:** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state:

(a) whether his Ministry have constituted a Special Committee under which Horticulture Directorate has been asked for providing technical and professional know-how for the development of gardens in Delhi and on subjects of the water problem; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) (a) & (b): A Committee was appointed in December 1971 to, (i) examine the set up of the Horticultural Directorate of the C.P.W.D., (ii) to suggest ways and means to improve the horticultural operations in Delhi, (iii) to assess the adequacy or otherwise of water supply for horticultural operations and (iv) to examine the functioning of the government nurseries.

The Committee has submitted its report on the 4th October, 1973. The recommendations of the Committee are under examination.

नदियों द्वारा भूकटाव के परिणामस्वरूप हानि

1195. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में नदियों द्वारा भू-कटाव के परिणामस्वरूप फसलों की कितनी क्षति हुई ;

(ख) इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ; और

(ग) इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) चालू वर्ष के दौरान नदियों द्वारा भूमि के कटाव के कारण फसलों की हुई क्षति की माता मालूम नहीं है। तथापि, 1973 के मानसून के दौरान बाढ़ के कारण फसलों को लगभग 364.47 करोड़ रुपये की क्षति हुई है।

(ख) और (ग) देश की 21 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में कटाव रोधी उपाय शुरु किए गए हैं। बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत भी संबंधित राज्य सरकारें नदियों द्वारा कटाव से फसलों और सम्पत्ति की रक्षा के लिए उपाय करती है। ऐसे उपायों में नदियों में प्रशिक्षण तथा कटाव रोधी निर्माण-कार्य जैसे स्पष्ट और पुश्ता लगाना आदि शामिल होते हैं। जहा भी ये उपाय किए गए हैं आमतौर पर इनसे संतोषजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं ।

Bogus ration cards at fair price shops in Delhi

1196. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether six lakhs bogus ration units and more than 500 bogus ration cards have been detected at fair price shops by the Delhi Administration as reported in the "Nav Bharat of 31st August, 1973; and

(b) if so, the action taken against the persons concerned?

The Minister of state in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) and (b): In order to eximinate bogus cards/units, special checking drive was launched by Delhi Administration in February/March, 1973. In all 9 circles out of old 15 circles of the Union Territory involving 6015525 cereal unit were checked and as a result 318057 cereals unit and 192482 sugar unit were detected as unverified/bogus. On revarification a large number of these units was restored. Further rechecking and revarification are in progress. Disciplinary proceedings have been initiated by the Administration against some of the inspectors of fair price shops.

Number of Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic Research Centres

1197. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the number of Allopathic, Ayurvedic and Homoeopathic Research Centres in the country at present together with the number of employees therein and the annual expenditure thereon, separately; and

(b) the steps taken for the development of research in Ayurveda?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Prof A.K. Kisku) (a) and (b): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Refixing of Original Teeth Instead of Artificial Teeth by Foreign Dentists

1198. **Shri Mahadeepak Singh Shakya:** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the Dentists in foreign countries refix the very original teeth instead of fixing artificial teeth in the original form and the Dentists in India do not get such education; and

(b) if so, whether Government of India would send dentists abroad for getting this special knowledge?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Prof. A.K. Kisku) (a) There is no arrangement for refixing original teeth instead of artificial teeth. Researches are, however, being carried out on the results of replantation or implantation of teeth in India and abroad.

(b) Does not arise.

Production cost of Food-Grains in States

1199. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) per quintal production cost of wheat, rice, pulses, jawar, peas and gram in each State according to various surveys conducted; and

(b) the steps taken to encourage their production, the outcome thereof and the prospective planning in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahed P. Shinde): (a) Under the Comprehensive Scheme for Studying the Cost of Cultivation of Principal Crops in India launched by the Ministry recently, estimates of cost of production have become available in respect of wheat crop for the years 1970-71 and 1971-72 for Haryana, Punjab and West U.P. These estimates are indicated below:

(Rs. per quintal)

State	1970-71	1971-72
Haryana	48.10	49.53
Punjab	61.04	59.71
West U.P.	—	49.68*

*Estimate based on part of the sample and is provisional.

Under the Farm Management Studies sponsored by the Ministry in selected districts/regions in different States from time to time on ad hoc basis, some data, *inter alia*, in respect of cost of production of different crops have also been collected. However, as these studies were not oriented particularly towards the estimation of cost of production of individual crops and each such study had only a limited coverage, the cost data compiled under these studies are not representative of the States in which these studies were carried out.

(b) A New Strategy for Agricultural Development was initiated in 1966-67 for increasing the production of foodgrains in the country. The main components of this strategy include the cultivation of high-yielding varieties, extension of area under multiple cropping, development of minor irrigation for intensive cultivation, organised provision of inputs like fertilizers and pesticides, timely provision of liberal credit facilities including institutional finance, strengthening of arrangements for extension, farmers education and training and intensified during the Fourth Plan period. The high-yielding varieties programmes have been taken up in respect of cereal crops, including wheat, rice and jowar. In the case of pulses, an Intensive Pulses District Programme, which aims at adoption of package of practices, has been recently undertaken. Efforts are also being made to increase the area under pulses by introducing pulse crop as a catch crop and through inter-cropping and mixed cropping with cereals and other crops. Further, efforts are being made under the coordinated Research Projects to evolve new high yielding varieties of different crops, work out the agro-techniques and prepare schedules for controlling harmful pests and diseases, which will help in increasing the production of these crops.

The following table shows the production of rice, wheat, jowar, pulses and gram during 1968-69 and the various years of the Fourth Plan upto 1972-73:

(Mi lion tonnes)

	1968-69	1969-70	1970-71	1971-72	1972-73
Rice	39.76	40.43	42.23	43.07	38.63
Wheat	18.65	20.09	23.83	26.41	24.92
Jowar	9.80	9.72	8.11	7.72	6.44
Gram	4.31	5.55	5.20	5.08	4.47
Pulses . . . . . . (excluding gram)	6.11	6.14	6.62	6.01	5.02
Total foodgrains .	94.01	99.50	108.42	105.17	95.20

The production of foodgrains rose during the first two years of the Fourth Plan, but declined during 1971-72 due to adverse seasonal conditions in some areas, and further during 1972-73, due to wide-spread drought conditions over large parts of the country as also shortage of fertilizers and powers. A production target of 115 million tonnes of foodgrains is envisaged under the Annual Plan of 1973-74.

The various developmental programmes carried out under the New Strategy will be further intensified during the Fifth Plan period. A target of about 140 million tonnes of total foodgrains production is being envisaged for the final year of the Fifth Plan.

Madhya Pradesh Government's Dis-Satisfaction Regarding Price of Rice Fixed by Central Government

1200. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government is dissatisfied with the price of rice fixed by the Central Government;

(b) if so, the price list of rice issued to other States; and

(c) the price which was requested to be fixed by the Madhya Pradesh Government and the difficulties in the way of Government to accept that request ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : On the basis of uniform price of paddy for standard variety (short bold for Madhya Pradesh) fixed at Rs. 70/ per quintal and other relevant factors, the procurment price of rice for short bold variety in Madhya Pradesh has now been revised to Rs. 110/ per quintal. Prices for short bold varieties of rice fixed in other States areas under:—

Name of State	Procurement price (Rs. per quintal)
Andhra Pradesh	104.73
Bihar	119.00
Haryana	115.00
Madhya Pradesh	110.00
Punjab	115.00
U.P.	110.00
West Bengal	112.20

इन्टरनेशनल डिवलपमेंट एसोसिएशन से किसानों को ऋण

1201. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक से सम्बद्ध-इन्टरनेशनल डिवेलपमेंट एसोसिएशन ने अभी हाल ही में भारत में किसानों को अधिक संस्थागत ऋण देन का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उसके सम्भावित परिणाम क्या हैं ; और

(घ) भारत में कार्य संबंधी कार्यक्रम से कितने राज्यों को लाभ होगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (घ) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

हाल के वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ भारत में कृषकों को संस्थागत ऋण देकर कृषि विकास कार्यों में सहायता देता रहा है। संघ ने अब तक 10 कृषि-ऋण-संबंधी परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और वह इन परियोजनाओं के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत रूप से लघु सिंचाई, भूमि सुधार तथा फार्म यंत्रीकरण के विकास के लिये ऋण प्राप्त करता है। 10 परियोजनाओं का कुल परिव्यय और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ की सहायता का विवरण नीचे दिया जा रहा है :—

राज्य का नाम, जहां अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की परियोजना स्वीकृत की गई है	योजना का उद्देश्य	कुल परि-व्यय (करोड़ रुपयों में)	अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता की धनराशि (दस लाख डालरों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. गुजरात	लघु सिंचाई तथा फार्म यंत्रीकरण	49.48	35.00
2. आंध्र प्रदेश	लघु सिंचाई, भूमि विकास तथा फार्म यंत्रीकरण	33.80	24 40
3. हरियाणा	लघु सिंचाई तथा फार्म यंत्रीकरण	33.39	25.00
4. तमिल नाडु	लघु सिंचाई , भूमि विकास तथा फार्म यंत्रीकरण	46.76	35.00
5. मैसूर	लघु सिंचाई, भूमि विकास तथा फार्म यंत्रीकरण	54.90	40.00
6. महाराष्ट्र	लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	38.15	30.00
7. उत्तर प्रदेश	लघु सिंचाई	54.38	38.00
8. मध्य प्रदेश	लघु सिंचाई तथा भूमि विकास	45.22	33.00
9. बिहार	लघु सिंचाई	45.00	32.00
10. पंजाब	फार्म यंत्रीकरण	26.82	27.50

उपर्युक्त परियोजनाओं के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ संस्थागत ऋण के माध्यम से 4.8 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गुजरात की मही कदना सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ भूमि को समतल करने, भूमि का सुधार करने तथा किसानों के खेतों में पानी की नालियों, आदि के निर्माण के लिये भी वित्तीय सहायता दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अन्य अभिज्ञात सिंचाई कमाडं क्षेत्रों, भूमि समतलन व सुधार की योजनाओं, और कृषकों के खेतों में पानी की नालियों के निर्माण के लिये वित्तीय सहायता देना सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है। कृषकों को ऐसी सहायता संस्थागत ऋण के माध्यम से दी जायेगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

घनबाद के निकट सिजुआ कोयला खान में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप पांच मजदूरों की मृत्यु का समाचार

Shri Hukum Chand Kachwai (Morena): Sir, We have not received the Statement of the hon. Minister

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई०) : मेरे सहयोगी श्री हंसदा मौके पर अध्ययन करके आज ही रात लौटे हैं, मैं उनसे आज ही सवेरे मिला हूं, ताकि सभा के समक्ष यथासंभव तथ्य रखे जा सकें, मैं यह वक्तव्य कुछ ही देर में आपके समक्ष रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ सकते हैं,

Shri Hukum Chand Kachwai:- Sir, I call the attention of the Minister of Heavy Industry and Steal and Mines to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon.

"Reported death of five labourers due to Police firing at Sijua coal mine near Dhanbad"

भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री टी० ए० पाई): मुझे इस बात का बहुत दुख है कि 15 नवम्बर 1973 को केन्द्रीय औद्योगिकसुरक्षा बल के जवानों को, जिन्हें भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक तथा सिजुआ के निकटवर्ती क्षेत्र में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था, एक सशस्त्र तथा हिंसा पर उतारू भीड़ पर गोली चलानी पड़ी जिससे 6 आदमियों की जाने चली गई जिनमें एक स्त्री थी। मुझे विश्वास है कि यह सदन इस दुखद घटना पर अत्यन्त दुख और शोक व्यक्त करने और संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करने में मेरे साथ हैं।

हिन्द मजदूर सभा के नेतृत्व में कुछ मजदूर सिजुआ, अगरपाथरा, लोयाबाद मुदिडीह घार्सलिटंड और दूसरी कोयला खानों के डिब्बों में लदान का काम करने वाले अनियत तथा आकस्मिक मजदूरों को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की स्थायी सिब्बन्धि में लिए जाने के प्रश्न को कुछ समय से आंदोलन कर रहे थे। इन मजदूरों का काम बिल्कुल आकस्मिक तथा अस्थायी प्रकार का है और उनकी स्थायी सिब्बन्धि में लेने से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की, जिस में पहले ही आवश्यकता से अधिक श्रमिक हैं, स्थायी सिब्बन्धि में कर्मचारियों की संख्या अनावश्यक रूप से बढ़ जाएगी। इसके बावजूद भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधक इस मामले तथा अन्य संबंधित मामलों पर इस आन्दोलन का नेतृत्व करने वाले मजदूर संघ के नेताओं से बातचीत कर रहे थे। यहां तक कि 9 नवम्बर 1973 को भी क्षेत्रीय महाप्रबंधक की इन मजदूर नेताओं से बातचीत हुई थी और उन्होंने यह कहा था कि जब तक कोई संतोषजनक समझौता नहीं हो जाता तब तक बातचीत जारी रहेगी।

तथापि 14 नवम्बर, 1973 की सुबह हिन्द मजदूर सभा के कुछ स्थानीय नेता एक बड़ा जलूस लेकर, जिस में 2,000 से भी अधिक लोग थे सिजुआ में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय पर पहुंच गये। ये लोग भड़काने वाले नारे लगा रहे थे और अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। क्षेत्रीय महाप्रबंधक निकटवर्ती लोयाबाद कोयला खान में 9 नवम्बर से चल रही हाजिर-हड़ताल का हल ढूंढने के लिए वहां गए हुए थे। क्षेत्रीय महाप्रबंधक को उन के कार्यालय में न पाकर ये नेता उस जलूस को, जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था और धमकियां दे रहा था, क्षेत्रीय महाप्रबंधक के बंगले पर ले गए। 14 नवम्बर, 1973 अपराह्न तक ऐसा चलता रहा। इस के पश्चात् यूनियन के नेताओं ने जलूस में शामिल लोगों से भारत कोकिंग कोल लि० की सभी कोयला खानों तथा कार्यालयों में अगले दिन से काम बन्द कर देने तथा अगले दिन सुबह क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने फिर इकट्ठा होने को कहा।

15 नवम्बर की सुबह को मुदिडीह धासलिटंड और अंगरपापरा कोयला खानों के मजदूर, जो लाठियों, भालों और तीर कमानों से लैस थे, भिन्न भिन्न रास्तों से होकर क्षेत्रीय महाप्रबन्धक के कार्यालय के सामने इकट्ठे हो गए। क्षेत्रीय महाप्रबंधक उस दिन की सुबह भी अनिर्णीत मामलों पर यूनियन के लोगों से बात-चीत करने लोयाबाद की कोयला खानों में गए हुए थे। तथापि सिजुआ में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय में पहुंचे जलूसों के नेताओं ने जलूस में शामिल भीड़ को वापिस चले जाने के लिए कहने के बजाए उन्हें भड़काना आरम्भ कर दिया। जबकि ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट तथा पुलिस की एक टुकड़ी और जोगटा थाने का थानेदार क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने इकट्ठी हुई भीड़ से निबट रहे थे, एक दूसरी भीड़ ने, जो लाठियों, भालों और तीर कमानों से लैस थी, निदेशक के बंगले की ओर से होकर बलपूर्वक अंदर घुसने की कोशिश की। जब उन्होंने देखा कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ जवान उन का रास्ता रोके खड़े हैं तो वह भीड़ हिंसा पर उतर आई और उन्होंने पत्थर फैंकने और लाठियां चलानी शुरु कर दीं। यहां तक कि तीर कमान भी इस्तेमाल किए गए। कुछ ही देर में स्थिति काबू से बाहर हो गई और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के मुट्ठी भर जवानों पर भीड़ ने लगभग गलवा पा लिया। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने लाठियों की सहायता से भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की परन्तु लाठी-चार्ज के बाजजूद भी भीड़ ने हिंसा जारी रखी और आगे बढ़ती रही। चूंकि भीड़ निदेशक के बंगले तथा क्षेत्रीय महाप्रबंधक के कार्यालय में घुसने ही वाली थी और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों की जानों को भी भारी खतरा था, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सहायक कमान्डेंट ने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए बार-बार चेतावनी दी परन्तु जब इसके बावजूद भी भीड़ न हटी तो उन्होंने जवानों को कुछ हवाई फायर करने का आदेश दिया। परन्तु इसका भी कुछ वांछनीय प्रभाव नहीं हुआ और भीड़ आगे बढ़ती ही गई। उसके पश्चात् केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने गोली चलाई। गोली चलाने के परिणामस्वरुप 3 व्यक्ति वहीं मर गए और 3 की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। 15 व्यक्ति घायल हुए जिनको अस्पताल में दाखिल किया गया। इनमें 5 औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान और 10 अन्य व्यक्ति थे। भीड़ में से घायल 3 व्यक्तियों की बाद में मृत्यु हो गई और 2 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। शनिवार की रात्रि को जिस समय मेरे सहयोगी श्री सुबोध हंसदा ने धनबाद का दौरा किया उस समय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 5 जवान और 5 मजदूर अभी अस्पताल में ही थे।

चूंकि अभी पुलिस द्वारा जांच का काम जारी है, इसलिए इस समय इस विषय पर बहस करना और किसी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। कानूनी कार्रवाई चलती रहेगी और कानून के उल्लंघन के बारे में उचित कार्रवाई की जाएगी। इस समय मुझे केवल यही कहना है कि यह बड़े खेद की बात है

कि नौबत गोली चलाने तक पहुंचने दी गई और इतनी अमूल्य जानें चली गईं। जबकि मेरे मंत्रालय तथा भारत कोकिंग कोल लि० की यह नीति रही है कि मजदूर संघों को बढावा दिया जाए, और भारत कोकिंग कोल के प्रबंधक सभी स्तरों पर मजदूरों की शिकायतों के बारे में उनके नेताओं के साथ बैठ कर बातचीत करने को सदा तैयार हैं; मजदूर संघ का नेतृत्व संभालने के लिए आपसी होड़ यहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए कि अनुचित मांगें की जाएं और यहां तक कि हिंसा के लिए लोगों को भड़काया जाय। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कानून और व्यवस्था की सामान्य स्थिति से स्थानीय प्राधिकारियों को विवश होकर 3 नवम्बर से दण्ड संहिता की धारा 144 लागू करनी पड़ी। जब यह धारा लागू थी मजदूर संघ के कुछ विशिष्ट नेताओं ने न केवल 14 नवम्बर को, बल्कि उस के अगले दिन भी लोगों को और यहां तक कि सशस्त्र लोगों को भारी संख्या में एकत्र कर लिया और भड़काने वाले भाषण दिए। कानून की यह खुल्लम-खुल्ला अवहेलना और मेज पर बैठ कर आपस में बातचीत करने के रचनात्मक तरीके की ओर घृणास्पद रवैया अपनाने से अवांछनीय प्रभाव होना अनिवार्य था। जैसा कि हम देखते हैं जबकि नेतागण, जिन्होंने हिंसा को अंतिम वारदातों से थोड़ा पहले ही इतने जोरदार भाषण दिए थे बिल्कुल सुरक्षित हैं परन्तु दूसरे 6 लोगों को अपनी जानें देकर इस की कीमत चुकानी पड़ी है।

पिछली चली आ रही प्रथा के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० को इस दुखद घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी करने के अनुदेश दे दिए गये हैं। संतप्त परिवारों के प्रति मैं पुनः अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करता हूं और मेरी प्रार्थना है कि जो घायल व्यक्ति अब भी अस्पताल में हैं, जल्दी से जल्दी ठीक हो जायें। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं वह मामला अब कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों के हाथ में हैं और मामले की जांच चल रही है. फिर भी मैं उन सभी लोगों से जिन का कोयला क्षेत्र के मजदूरों में प्रभाव है, अपील करता हूं कि वे अपने उत्तरदायित्व तथा देश में औद्योगिक शांति बनाए रखने और अधिक उत्पादन से सामाजिक न्याय लाने के अपने उत्तरदायित्व को समझें। हिंसा के लिए उकसाने से ऐसे आंदोलनों को निर्दिष्ट उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है और देश में उस चीज की कमी रहती है जो अर्थ-व्यवस्था के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसलिए कोयला क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना देश के प्रत्येक राजनैतिक दल और यूनियन के प्रत्येक नेता का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिए।

Shri Hukum Chand Kachwai:- The hon. Minister has only repeated the report given to him by his Colleague who had been sent their to make on the spot study. I want to know whether you would at least appoint a retired judge to inquire into the desirability of firing? There is every doubt of partiality in the inquiry being conducted by the Police.

The healthy trade Union movement should be encouraged. You want that only those Unions should work who comform with your thinking. There cannot be two opinions that your Union is in the hands of employees. The main reason of the trouble is that you do not entertain other Unions.

May I know whether it is true that about twenty thousand employees are working as casual labourers? I also want to know what prompted the workers to resort to demonstration? What were their objectionable slogans and in what way the leaders provoked them? I want to inform you that it is customary for the people of that area to keep lathis, spears etc. with them.

I also want to know the number of persons who got the compensation and the quantum thereof. How many rounds, the Police fired and whether any warning was given before the firing? The hon. Minister only reproduced the versions given by the Government officials. We have no faith on this. Are you prepared to appoint a Committee of members of Parliament who would ascertain the facts? The Government should answer all these points.

श्री टी० ए० पाई : माननीय सदस्य ने कहा है कि हमें केवल यूनियनों से ही बात नहीं करनी चाहिए, हम प्रबंधकों की भी बातें सुनते हैं और अन्य यूनियनों को भी ऐसा करना चाहिए।

हमने संयुक्त परामर्शदात्री समिति को स्थायी आधार पर कोयला श्रमिकों की कठिनाइयों के संबंध में परामर्श देने को कहा है और इसमें सभी प्रमुख कार्मिक संघों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में ऐसे बड़ी संख्या में नैमित्तिक श्रमिक हैं जिनका कार्य वैगनों में कोयला भरना होता है। यह अस्थायी काम है। इसलिए मैं उनके बारे में यह नहीं कह सकता हूं कि उन्हें स्थायी तौर पर रख लिया जायेगा। फिर भी हम उनके मामलों पर विचार करेंगे।

किन्हीं माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि कार्मिक संघ की उचित मांगों के साथ इस प्रकार का सलूक किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस प्रकार के हथियारों से लैस होकर अपनी मांगें मनवाना उचित है? यदि कार्मिक संघ आंदोलन मिलकर बैठकर बात करने के बजाए अपनी ताकत के प्रदर्शन पर विश्वास रखता है, तो उसे असफलता ही हाथ लगेगी। उन्होंने धारा 144 का उल्लंघन करके जलूस निकाला। यह कार्मिक संघों के लिए उचित नहीं है। मेरे लिए यह कहना कठिन है कि कितनी गोलियां चलानी पड़ीं। माननीय सदस्य समझते हैं कि इस संबंध में मुझे बिहार सरकार से प्राप्त जानकारी सही नहीं है। वे ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि यह कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न है और राज्य सरकार ही ऐसी स्थिति से निबटना जानती है। मेरे पास जानकारी यह है कि चवालीस बार गोलियां चलाई गई और गोली चलाने से पूर्व भीड़ को तित्तर बितर होने के लिए बार-बार चेतावनी दी गई थी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उन्हें पर्याप्त चेतावनी दी थी। धनुष तथा बाण का लाया जाना खतरनाक इरादे को बताता है क्योंकि उससे आहत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एक जवान अस्पताल में अभी भी आहत पड़ा है, अतएव इन परिस्थितियों में किसी को उत्तरदायी ठहराना मेरे लिए कठिन है।

इस संबंध में यह आदेश जारी कर दिए गए हैं कि प्रत्येक प्रभावित कर्मचारी को अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिया जाना चाहिए। गोली चलाए जाने से भीड़ में गोली किसी को भी लग सकती है। मुझे इस समूची घटना पर दुख है।

Shri Hukum Chand Kachwai:- May I know whether the hon. Minister would constitute a committee to look into it?

श्री टी० ए० पाई : मेरी माननीय सदस्यों से अपील है कि हर घटना के लिए वे संसदीय समिति गठित करने के बारे में जोर न डालें। कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। यदि हम विभिन्न अधिकारियों की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ओट लें तो मेरे लिए यह कहना हास्यापद होगा कि इसके लिए समिति की नियुक्ति की जाए।

Shri Hukum Chand Kachwai:- What are their demands?

श्री टी० ए० पाई : उनकी मांगे नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने के बारे में है।

श्री सी० के० चन्द्रधन (तेल्लिचेरी) : मंत्री महोदय ने सिजुआ में हुई घटनाओं को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्वीकार किया है। वे रोग के लक्षणों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु रोग की जड़ें बहुत गहराई तक पहुंची हुई हैं। तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय श्री मोहन कुमारमंगलम ने सदन में इस क्षेत्र में भी काम पर अस्थायी तौर पर श्रमिकों को रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना को लागू करने का आश्वासन दिया था परन्तु सरकार इसमें असफल रही है।

श्रमिकों ने 20,000 नैमित्तिक श्रमिकों को स्थायी करने की मांग की थी। मंत्री महोदय का यह कहना है कि इन नैमित्तिक श्रमिकों को खपाना कठिन है परन्तु समस्या यह है कि सरकार ने एक भी श्रमिक को खपाने की योजना नहीं बनाई है, इसी से ऐसी उत्तेजनात्मक स्थिति पैदा हो गई है, मंत्री महोदय इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वहां दिए गए उत्तेजनात्मक भाषणों से श्रमिक हिंसा पर उतारू हो गए थे। मैं उनको बताना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काम पर अस्थायी तौर पर श्रमिकों को रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना को लागू करने के आश्वासन को पूरा न करने में असफलता से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

इन परिस्थितियों में मैं चाहूँगा कि सरकार कम से कम यह आश्वासन दे कि कोयला खानों में अस्थायी तौर पर श्रमिकों को रखने की प्रथा समाप्त करने की योजना यथाशीघ्र लागू की जाएगी, दूसरी बात, मंत्री महोदय पुलिस के व्यवहार की बात करते हैं, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करते समय हमें सावधानी से बात कहनी चाहिए। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मंत्री महोदय इस बारे में अदालती जांच क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या इसमें कोई संदिग्ध बात है।

कुछ समय पूर्व कानपुर में गोली चलाने की, जिसमें एक व्यक्ति मारा गया था, अदालती जांच कराने का आदेश मुख्य मंत्री ने दिया था, इसी प्रकार अन्य स्थानों में भी ऐसा हुआ है, मंत्री महोदय यहां यह कह देते हैं कि पुलिस अथवा मजिस्ट्रेट जांच कार्य कर रहे हैं। इस तरह से वे हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यहां एक समिति नियुक्त करने का आश्वासन देंगे अथवा कम से कम राज्य सरकार को अदालती जांच करने के लिए कहेंगे।

आपको संभवतः मालूम ही होगा कि 21 तारीख को समूचे कोयला खानों में सभी यूनियनें हड़ताल कर रही हैं। यदि सरकार ने इसी प्रकार पुलिस रवैया अपनाया, तो अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं, क्या मंत्री महोदय सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बातचीत करेंगे ताकि हड़ताल को टाला जा सके?

श्री टी० ए० पाई: मैं नहीं जानता हूं कि वे हड़ताल किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं जबकि मजूरी परामर्शदात्री समिति उन यूनियनों के साथ बात चीत कर रही है इस समिति ने कोयला खानों में अंतरिम मजूरी भुगतान योजना का सुझाव दिया है जिसे स्वीकार कर लिया गया है, यदि वे इसके अतिरिक्त किन्हीं अन्य मुद्दों पर बातचीत करना चाहते हैं तो निश्चय ही मैं उनसे मिलने को तैयार हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): उनकी मांग अदालती जांच कराने के संबंध में हैं, क्योंकि इस कांड में आठ व्यक्ति मारे गये हैं।

श्री टी० ए० पाई: मेरे पर दोषारोपण किया जा रहा है कि मैं गृह मंत्री की भाषा बोल रह हूं मैं अदालती जांच कराने के बिहार के मुख्य मंत्री के अधिकारों को नहीं लेना चाहता हूं। मैंने यह नहीं कहा कि पुलिस को जांच कार्य का आदेश मैंने दिया था, यह कार्य राज्य सरकार का है, मेरा काम यह निर्णय देना नहीं है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, मैं बिहार सरकार को अदालती जांच कराने के लिए नहीं कह सकता हूं, मुझे आशा है कि बिहार सरकार यहां माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखेगी।

इस्पात उद्योग में अस्थायी तौर पर श्रमिकों को काम पर रखने की प्रणाली समाप्त करने के लिए प्रबंधकों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत चल रही है। मैंने मजूरी परामर्शदात्री समिति और कोयला मंत्रालय को भी इसी प्रकार की बाचचीत करने को कहा है। यदि बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं तो उन्हें अन्यत्र खपाये जाने का प्रबंध किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हड़ताल आरम्भ होने से पूर्व कार्मिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री टी० ए० पाई : मैं हडताल के बारे में उनसे बातचीत करने को तैयार हूं ताकि कोई समझौता हो सके।

जे० के० आर्गेनाइजेशन के सचिव द्वारा जारी किया गया प्रेस वक्तव्य

Question of Privilege

विशेषाधिकार का प्रश्न

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये ने 5 सितम्बर, 1973 को जे० के० आर्गेनाइजेशन, कानपुर के सचिव द्वारा समाचार-पत्रों को दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में, जो 1 सितम्बर, 1973 को **हिन्दुस्तान टाइम्स** में छपा था, विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था।

श्री मधु लिमये ने यह मामला सभा में उठाते हुए यह कहा था कि मैंने लोक-सभा में कभी भी जे० के० आर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। मैंने केवल 'जे० के० ग्रुप', कम्पनियों का जिक्र किया था श्री मधु लिमये ने यह आरोप लगाया है कि समाचार-पत्रों में वक्तव्य छपवा कर जे० के० आर्गेनाइजेशन ने एक भ्रामक वक्तव्य ही नहीं दिया है बल्कि उस पर आक्षेप भी लगाए हैं।

मैंने उसके बाद कहा कि मैं पहले जे० के० आर्गेनाइजेशन से अपने विचार प्रकट करने के लिए कहूंगा।

मेरे यह पूछे जाने पर कि इस सम्बन्ध में उन्हें क्या कहना है जे० के० आर्गेनाइजेशन, कानपुर के सचिव ने 17 अक्टूबर, 1973 के अपने उत्तर में कहा है कि 25 अगस्त, 1973 के "नेशनल हेरल्ड" में छपे समाचार के आधार पर मैंने एक निराकरण करने वाला वक्तव्य समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया है। उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है :

> "......ऐसा लगता है कि "नेशनल हेरल्ड" में छपा समाचार गलत और भ्रामक था।...... प्रत्येक जन-साधारण के समान मैंने भी "नेशनल हेरल्ड" में श्री मधु लिमये के लोक-सभा में किए गए कथन को सही माना और उसी आधार पर आगे की कार्यवाही की...... समाचार-पत्रों को वक्तव्य मैंने इस सत्यनिष्ठ विश्वास के साथ दिया था कि "नेशनल हेरल्ड" में छपा समाचार सही है।"

"अन्त में मैं जे० के० आर्गेनाइजेशन की ओर से इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं, यदि इस सम्बन्ध में श्री लिमये को कोई असुविधा अथवा गलतफहमी हुई हो। मैं उन्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों में वक्तव्य जे० के० आर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा के बचाव के विचार से सद्भावना से दिया गया था तथा इसके पीछे श्री लिमये की प्रतिष्ठा को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही यह विचार था कि इससे किसी प्रकार के विशेषाधिकार का प्रश्न उठेगा।"

जे० के० ग्रार्गेनाइजेशन के सचिव के स्पष्टीकरण तथा खेद प्रकट करने को ध्यान में रखते हुए इसे समाप्त माना जाए ।

Shri Madhu Limaye (Banka):- I have nothing to say in regard to your judgement. But there is no substance in their clarification. If the Secretary, J.K. Organisation had confined his press statement to what had appeared in the National Herald the position could be understood. But why had he referred in his statement to the Cheques drawn on banks? When they said that they had no account in the Bank of Baroda and no cheque of theirs had bounced, why should they have offered clarifications on behalf of those companies whose cheques had bounced? Was it not sufficient for the Secretary of the J.K. Organisation to say that they had no account, that none of their cheques had bounced and that the report in the National Herald was incorrect? He could have written a letter to the Editor of the paper who would have certainly issued a clarification. I have nothing to say about whatever decision he may take in the matter but he would like that the J.K. Organisation may be asked why they should give carification on behalf of those companies whose cheques had bounced. He should at least pull up them for this episode.

ग्रध्यक्ष महोदय : मैंने इसें सभा पटल पर रख दिया है, इसे स्कीकार कर लेना चाहिए ग्रौर मामले को यहीं समाप्त कर देना चाहिए।

सदस्य पर ग्राक्रमण के बारे में

Re. Assault on 'Member

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं यह ग्रनुरोध करना चाहता हूं कि सदन को इस बात को देखना चाहिये की पश्चिम बगांल के लोगों ने सरकार की ग्रार्थिक नीतियों के प्रति विरोध प्रकट किया है। 17 तारीख को सम्पूर्ण बंद हुग्रा । केन्द्रीय सरकार की गलत ग्रार्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों की सप्लाई में दरी हुई है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इस सदन के एक सदस्य पर कलकत्ता में प्रहार किया गया । मुझे नियम 377 ग्रथवा किसी ग्रन्य नियम के ग्रधीन यह मामला उठाने की ग्रनुमति दी जाये ।

ग्रध्यक्ष महोदय : श्री समर गुह वहां पर सदन के किसी कार्य से नहीं थे । वह वहां पर एक सभा में भाषण कर रहे थे ग्रौर वहां पर यह घटना ई । किसी अन्य सामान्य नागरिक के समान उनके साथ भी व्यवहार होना चाहिये । इस प्रकार के मामले को विशेषाधि कार का मामला बनाने के लिये यह सिद्ध करना होगा कि वह वहां पर सदन के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। हमें सदन में इस प्रकार के मामले भी नहीं उठाने चाहियें जो कि बाद में पूर्वोदाहरण के रूप में उद्धृत किये जायें।

प्रो० मधुदंडवते : में इस बारे में कुछ निर्देश चाहता हूं जिससे कि भविष्य में व्यर्थ के मामले सदन में न उठा सक। मान लिया कि किसी सदस्य पर प्रहार किया गया ग्रौर उसके परिणामस्वरूप वे सदन में उपस्थित नहीं हो सकते तो क्या यह मामला विशषाधिकार मामला बन सकता था ?

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : यदि सदन का कोई सदस्य किसी सभा में भाषण करता है ग्रथवा कोई राजनैतिक कार्य करता है तो वह ससंद सदस्य के रूप में कार्य करता है। ग्रतः यदि हम उसके कार्यों में ग्रन्तर लाकर यह कहेंगे कि एक कार्य ससंद सदस्य के रूप में है ग्रौर दूसरा सामान्य नागरिक के रूप में तो वह संसद सदस्य के रूप में प्रभावी ढंग से कैसे कार्य कर सकता है।

ग्रध्यक्ष महोदय : जैसा कि मैंने कहा है मैं इस प्रकार की बातों का समर्थन नहीं करता परन्तु हम ग्रपने ग्राप को नियमों से ऊपर भी नहीं रख सकते ।

संसद संदस्य नागरिक भो हैं। विशेषाधिकार का प्रश्न तभी उठता है जब वह वहां पर सदन के सदस्य के रूप में हों।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मांत्रियों के लिये सुरक्षा के प्रबंध किये जाते हैं जो कि अनावश्यक हैं।

अध्यक्षक्ष महोदय : यदि आप यह चाहते हैं कि सदस्य का हर कार्य संसद सदस्य के रूप में है तो में इसे स्वीकार कर सकता हूं। परन्तु कई ऐसे अवसर आ जायेंगे जहां पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकेगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यदि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जांऊ और सरकार मुझे रोके तब आपका क्या दृटिकोण होगा ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : यह ईश्वर की कृपा है कि में आज यहां पर उपस्थित हूं। एक सभा में भाषण करते समय एक सौ से अधीक व्यक्तियों ने मुझे मंच से उतार कर मेरे ऊपर प्रहार किया और 2½ घंटे तक मुझे वे घेरे रहे और अतं में मैं भाषण कर सका।

में आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संसद संदस्यों को भी मौलिक अधिकार का प्रयोग करने से बलपूर्वक रोका जा रहा है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the table

केन्द्रीय भाण्डागार निगम और भारतीय खाद्य निगम के वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (II) के अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे तथा तत्संबंधी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5726/73]**

(2) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी 5727/73**

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का वार्षिक प्रतिवेदन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 1973

शिक्षा, समाज, कल्याण मंत्रालय और संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5728/73]

(2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 25 की उप धारा (3) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सदस्यों की अनर्हता, सेवा निवृत्ति और सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा०सा०नि० 1006 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या ए एल टी 5729/73]

सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई

Arrest and Release of Member

श्री अजित कुमार साहा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे अतिरिक्त सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, बांकुरा सदर, जिला बाकुंरा से दिनांक 17 नबम्वर 1973 को एक निम्नलिखित बेतार संदेश प्राप्त हुआ हैं :

श्री अजीत कुमार साहा,सदस्य, लोक सभा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन डाकघर के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाने के कारण 17 नवम्बर, 1973 को लगभग 10.25 बजे गिरफ्तार किया गया था । सदस्य को अतिरिक्त सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, वांकुरा सदर जिला बांकुरा के न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें हिरासत से छोड़ दिया गया ।".

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

Committee on Subordinate Legislation

नवां प्रतिवेदन

श्री विक्रम महाजन (कांगडा): में अधिनस्थ विधान संबंधी समिति का नवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपतिय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक

Presidental and Vice-Presidential Elections (Amendment) Bill

(एक) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य दक्षिण) : मैं राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपत्तीय निर्वाचन (संशोधन) विधेयक 1972 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

दो साक्ष्य

श्री एस० ए० कादर (बम्बई-मध्य-दक्षिण) : मैं राष्ट्रपतीय और उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन आधीनियम 1952 का संशोधन करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं ।

समिति के लिये निर्वाचन

Election to Committee

पशु कल्याण बोर्ड

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिह) : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं पर निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, ऐसी रीति

से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाले अगले कार्यकाल के लिए चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि पशुओं पर निर्दयता निवारण, अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (एक) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य, निर्वाचन की तारिख से आरम्भ होने वाले अगले कार्य काल के लिये चुनें ।"

*****प्रताव स्वीकृत हुआ**

The Motion was adopted

*****प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक**

Press Council (Amendment) Bill

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मै प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि प्रेस परिषद अधिनियम, 1965 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

*****प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

The Motion was adopted

श्री आई० के० गुजराल : में विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

*****प्रेस परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1973 के बारे में वक्तव्य**

Statement Re. Press Council (Amendment) Ordinance, 1973

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : में लोक सभा के प्रक्रिया के तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम-71 (1) के अन्तर्गत प्रैस परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1973 द्वारा तुरन्त विधान बनाने का कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*****[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5730/73]**

*****नियम 377 के अन्तर्गत मामले**

Matters under Rule 377

*****एक भारतीय खाद्य निगम में कुछ कर्मचारियों की छंटनी**

श्री वयालर रवि (चियियकलि): मै सरकार का ध्यान भारतीय खाद्य निगम में 8000 कर्मचारियों की छंटनी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई चिंताजनक स्थिति की और दिलाना चाहता हूं। इन कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था और इन्हें आशा नहीं थी कि उनकी छंटनी होगी। भारतीय खाद्य निगम में आने के समय ये लोग अपनी पहली नौकरियां छोड़ कर आये थे। प्रबन्धक मनमाने निर्णय कर रहे हैं। तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार को इस बारे में वक्तव्य जारी करना चाहिये।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : यह बात ठीक नहीं है कि लगभग 4000 व्यक्तियों की छंटनी की जा रही है। वास्तव में गेहूं की वसूली के समय कुछ लोगों की भरती पूर्णतया अस्थायी आधार पर की गई थी और उन व्यक्तियों को ही निकाला जा रहा है। हमें इसकी बहुत चिन्ता है।

(दो) विमान इंधन की भारी कमी के कारण उड़ानों का रद्द किया जाना।

Shri Madhu Limaye (Banka): May I draw the attention of the Minister of Tourism and Civil Aviation to the reported cancellation of most of the Flights of I.A.C. due to scarcity of Aviation Fuel. Sir, this is also one aspect of Petroleum shortage. So for this House has not been taken into confidence about the availability of crude oil from Saudi Arabia and other Arab countries. It has been stated by the Minister of External Affairs that the matter has been discussed and it has been stated by Saudi Arabia that India being a friendly country the cut in supplies would not apply on it. But even then the Esso Refinery has cut its production by 25%. Burmah Shell and Caltex are also reported to have taken the same decision. I would like to know the correct position about the availability of crude oil. Why Esso, Caltex and Burmah Shell have made such a large cut in crude oil Supplies? Why crude oil meant for India is being diverted to other countries? I would also like to know from Minister why 'Sagar Samrat' has been deployed in an area other than Bombay High?

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : कच्चे तेल के आयात में कटौती का प्रश्न पहले भी उठाया गया था और हमने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि हमें बताया जाये कि क्या इन विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है। वास्तविक समस्या यही है। जब तक यह नहीं किया जाता तब तक ये कम्पनियां हमें दबाती ही रहेंगी।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरूआ) : आज के समाचार पत्रों में इस बारे में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं, वह ठीक नहीं हैं। बम्बई के भण्डार स्थलों, सान्ताक्रुज हवाई अड्डे, तेल शोधन शालाओं तथा तेल कम्पनियों के अन्य प्रतिष्ठानों में भारतीय एवं विदेशी हवाई कम्पनियों को विमान ईधंन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त स्टाक है। इसके अधार पर अभी तक एक विमान की उड़ान रद्द नहीं की गई है। वास्तविकता यह है कि इंडियन एयरलाइन्स से अनुरोध किया गया है कि ऐसी आपातकालीन योजना तैयार की जाये जिसे स्थिति के बिगड़ने की दशा में कार्य रुप दिया जा सके।

श्री मधु लिमये द्वारा जो अन्य विषय उठाये गये हैं उन पर इस सभा में तथा राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है। यदि यह सुझाव है कि और चर्चा की आवश्यकता है तो....

Shri Madhu Limaye: My points have not been answered.

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। यह मामला केवल नियम 377 के अधीन उठाया जाना था

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक--जारी

Homoeopathy Central Council Bill—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब श्री ए० के० किस्कु द्वारा 16 नवम्बर, 1973 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी :

> "कि होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बज कर पन्द्रह मिनट म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till a quarter past Fourteen of the Clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बज कर बीस मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at twenty minutes past Fourteen of the Clock

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

***श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी)** : देश में होम्योपैथी के विकास के लिए विधेयक प्रस्तुत करने में केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने 25 वर्ष का समय ले लिया है। कांग्रेस सरकार ने 20 वर्ष तक तमिल नाडु में होम्योपैथी के विकास एवं होम्योपैथी चिकित्सकों के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। परन्तु डी०एम०के० सरकार ने शासन संभालते ही होम्योपैथी परिषद विधेयक पारित किया और अब परिषद का गठन किया गया है।

तमिलनाडु में लगभग एक लाख होम्योपैथी चिकित्सक हैं। तमिल नाडु में राज्य परिषद अथवा होम्योपैथी कालेज के न होने के कारण इन सभी चिकित्सकों ने बिहार राज्य बोर्ड अथवा आन्ध्र राज्य बोर्ड के साथ अपना पंजीकरण कराया। इस विधेयक की दूसरी अनुसूची से पता चलता है कि बिहार राज्य बोर्ड और आन्ध्र राज्य बोर्ड के साथ 1971 से पंजीकरण करने वाले चिकित्सक ही इस विधेयक के अनुसार तैयार किये जाने वाले केन्द्रीय रजिस्टर में अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। यह 1971 से पूर्व अपना पंजीकरण कराने वालों के साथ अन्याय है। तमिल नाडु होम्योपैथी मेडीकल प्रेक्टीशनर्स एसोसियेशन ने संयुक्त समीति को अभ्यावेदन दिया था कि अनुच्छेद 13 और 21 तथा विधेयक की दूसरी अनुसूची में इस प्रकार का संशोधन किया जाये कि वे भी केन्द्रीय रजिस्टर के सदस्य बन सकें। यह भी सुझाव था कि विकल्प के रूप में तमिल नाडु होम्योपैथी परिषद् अधीनियम को अन्य राज्यों के आधिनियमों के समान माना जाये जिससे कि वे केन्द्रीय राजस्टर में अपना पंजीकरण करवा सकें। यह बहुत ही दुख की बात है कि सयुंक्त समिति ने उनके सुझाव स्वीकार नहीं किये। मेरा अनुरोध है कि इन सुझावों से स्वीकार करके तमिल नाडु होम्योपैथी मेडीकल प्रेक्टीसनर्स की स्मस्याओं को हल किया जाये।

माननीय मंत्री ने पांचवी पंचवर्षीय योजनावधी में आल इंडिया इन्स्टीट्यूट आफ होम्योपैथी मेडीकल रिसर्च' की स्थापना का उल्लेख किया है। मेरा अनुरोध है कि इसकी स्थापना पांचवी योजना में अवश्यंभावी रूप से की जाये। मेरा यह भी अनुरोध है कि देश के सभी राज्यों में कम से कम एक होम्योंपैथी मेडीकल कालेज की भी स्थापना की जाये।

दूसरी अनुसूची के अनुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम वाले होम्योपैथी चिकित्सकों एंव डी० डी० एच० एस०, डी० एच० वी० तथा सी० एच० पी० डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र धारी चिकित्सकों को एक

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil

समान स्तर पर रखा गया है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् के 40 प्रतिशत सदस्यों को केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाना है और शेष 60 प्रतिशत का चुनाव किया जाना है। संभव है कि डिप्लोमा और प्रमाणपत्र धारी बहुमत में आ जावें। ऐसे अवसर पर होम्योपैथी चिकित्सा में शिक्षा के स्तर में एक समान स्तर लाने के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। इससे स्नातक पाठ्यक्रम वाले चिकित्सकों में भी असन्तोष उत्पन्न होगा। इसके परिणामस्वरूप होम्योपैथी के विकास के स्थान पर राजनीति का ही विकास होगा। अतः सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri M. C. Dade (Pali) : I welcome this Bill.

Under the definition of Hemoeopathy you have stated Homoeopathy means the Homoeopathic system of medicine and includes the use of Biochemic remedies.

You have neglected those Homoeopathists who have got their Education in accordance with the principle of Dr. Honeyman, the founder of the Homoeopathic system of medicine. You have given another definition.

recognised medical qualification" means any of the medical qualification in Homoeopathy, included in the second or the third schedule;

You have made the scope practice very narrow. What are the qualifications prescribed for inclusion in 3rd Schedule? It seems that it is done with vested interest.

In India the position in regard to obtaining cure and justice is very difficult. There are certain doctors who are interested to earn money. Provision has been made for Diploma holders. What about those who have been practising for the last 10-15 years.

It has been provided "No person other than a practitioner of Homoeopathy who possesses a recognised medical qualification is enrolled". I suggest the use of the word 'on' in place of "and"

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The purpose of the Bill is to popularize Homoeopathy so that most of the people may be benefited by it. Would the Government give instructions to the State Governments to do likewise? If they do not, would their grants be reduced?

There is no uniformity in the syllabus. In some places it is for 2 years while in others it is for 4 years.

A Doctor registered at one place may be given option to practise in any of the States.

The Government employees who get treatment through Homoeopathic system may be given the facility to get their expenses re-imbursed.

It is not stated in the Bill as to how many big Hospitals (Homoeopathic) are proposed to be opened. What is the Government's proposal for the near future? Send Homoeopathic Doctors to the villages where the Allopathic Doctors do not prefer to go.

Arrangements may also be made for supply of medicines. The emoluments of Homoeopathic Doctors should be equal to those of allopathic doctors. There should be no discrimination between the two.

Dr. Sankata Prasad (Misrikh) : I want to congratulate the government for bringing forward Homoeopathy Central Council Bill. I was a member of the Select Committee for the Bill. The proposals which were submitted to us, were thoroughly examined. I feel there is no scope for any amendment, especially in the matter of registration.

The Government should set up research centres for the promotion and expansion of Homoeopathy. Further a Homoeopathy Faculty should be opened at least in one university in every State. Rural people can be served better by this system of medicine. With these words I support the Bill.

श्री रण बहादुर सिंह (सिद्धि) : यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। इस बारे में कोई दो मत नहीं हैं कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में होम्योपैथी पद्धति का बड़ा महत्व है।

जहां तक रजिस्ट्रेशन का प्रश्न है पांच वर्ष से अधिक से प्रैक्टिस करने वालों के लिये खण्ड 3 में व्यवस्था की गई है।

इस विधेयक के माध्यम से प्रशिक्षण में एकरूपता लायी जा सकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विधेयक जनता के हित में है।

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

हम एक ओर तो होम्योपैथी पद्धति को व्यावहारिक और मानक बनाना चाहते हैं और दूसरी ओर अन्य पद्धतियों को भी उचित स्थान देना चाहते हैं।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस देश में तथा सम्पूर्ण विश्व में चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में एलोपैथी को व्यापक महत्व प्राप्त है। अपने देश की जलवायु तथा लोगों के स्वभाव को देखते हुए हमें चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों को प्रोत्साहन देना चाहिए और उनमें होम्योपैथी का विशेष महत्व है।

कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़ी कठिनाई से पहुंचा जा सकता है और जहां चिकित्सा की आधुनिक सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, अतः ऐसी स्थिति में उन्हें होम्योपैथी आयुर्वेदिक, यूनानी तथा अन्य प्रकार की देशी चिकित्सा प्रणालियों की सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की स्थापना के साथ-साथ हमें जनता को इस चिकित्सा प्रणाली की जानकारी भी देनी चाहिए। इसके साथ ही अर्हताप्राप्त डाक्टरों की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। एलोपैथी के डाक्टरों का स्तर बहुत ऊंचा होता है परन्तु ग्राम जनता के प्रति उनका जो व्यवहार होता है उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देशी चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हम सब जानते हैं कि एलोपैथिक डाक्टरों का होम्योपैथी के बारे में क्या दृष्टिकोण है। परन्तु यह भी सच है कि हमारे देश में होम्योपैथी के अनेक डाक्टर हैं और वे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं और वास्तव में कुछ मामलों में देखा गया है कि जहां एलोपैथी असफल रही वहां होम्योपैथी ने कमाल कर दिखाया। हमारा देश गरीब है और इस चिकित्सा प्रणाली की औषधियां बहुत सस्ती हैं। अतः यह प्रणाली ग्रामीणों और गरीब जनता के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रयोजन के लिए सर्वप्रथम मान्यताप्राप्त डाक्टरों, दूसरे उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था और तीसरे समस्त देश में अनुसंधान केन्द्र, स्थापित करने की आवश्यकता है। इस विधेयक में किसी अस्पताल की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार को देश के विभिन्न भागों में प्रयोग के तौर पर होम्योपैथी के अस्पताल खोलने चाहिए। उचित प्रकार की औषधियां उपलब्ध करने के लिए भी सरकार को कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आजकल हमें जर्मनी या अमरीका में निर्मित औषधियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उपरोक्त देशों में इस चिकित्सा प्रणाली को बहुत मान्यता मिली हुई है। इसीलिए वहां अच्छी किस्म की औषधियां भी मिल जाती हैं। भारत में इनके निर्माण पर

भी कोई नियंत्रण रखा जाना चाहिए। वस्तुतः सरकार को स्वयं इन औषधियों के निर्माण के लिए निर्माता कम्पनियां स्थापित करनी चाहिएं। इस विधेयक को प्रभावी बनाने के लिए ये सब बातें बहुत आवश्यक हैं।

Shri Chandulal Chandrakar (Durg) : I would like to point out that definition of Homoeopathy should not be changed and it should remain the same as included in the original Bill of 1971. Otherwise a number of cheap medicines will not be recognised under this system of medicine which are otherwise beneficial and economical for the poorer section of our society. There should not by any haste just because select committee has gone through it and Rajya Sabha has passed it. I would request the Government to agree to change the definition included in this Bill.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कू) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है और इस विधेयक का समर्थन किया है। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्यों ने बड़े परिश्रम से काम किया है और इसी कारण हम इस विधेयक को लोक सभा में इतनी जल्दी ला सके हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली विज्ञानसम्मत है और लोकप्रिय भी है। इस प्रणाली को वैधानिक मान्यता दिलवाने के लिए वर्ष 1937 से प्रयत्न किये जा रहे हैं। वर्ष 1948 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने आवश्वासन दिया था कि मान्यता के प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। वर्ष 1968 में इंडियन कौंसिल फॉर इंडजिनस मैडिसिन्स एण्ड होम्योपैथी विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। बाद में पता चला कि देशी चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी भिन्न-भिन्न है। इसलिए अब यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है जिसे हम आज पास करने वाले हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाये। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यह प्रणाली ग्रामीण जनता के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिये होगी। कुछ माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार आधुनिक चिकित्सा प्रणाली और देशी चिकित्सा प्रणाली के बीच भेदभाव करती है। यह ठीक है कि अब तक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को अधिक प्रश्रय दिया जाता रहा है परन्तु अब हम हर स्थान पर सभी लोगों के लिए चिकित्सा व्यवस्था करना चाहते हैं। अतः हम सभी देशी संसाधनों/चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब देश में 300 औषधालय और 30 अस्पताल हैं जहां होम्योपैथी चिकित्सा प्रणाली है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के तीन होम्योपैथिक औषधालय हैं। अब हम अन्य शहरों में भी होम्योपैथिक औषधालय खोलने वाले हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : (कानपुर) : कानपुर में औषधालय स्थापित किया जाना था परन्तु ऐसा नहीं हुआ। एक डाक्टर को नियुक्त किया गया था परन्तु उसे कानपुर नहीं भेजा गया क्योंकि वहां कोई पद नहीं था।

श्री ए० के० किस्कू : अब ऐसी कोई बात नहीं होगी। अब हर शहर में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत होम्योपैथी और देशी चिकित्सक प्रणाली वाले औषधालय स्थापित किये जायेंगे।

देश में 77 होम्योपैथिक मैडिकल कालेज हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में एक होम्योपैथिक संकाय भी है। लगभग 12,000 चिकित्सक, जोकि होम्योपैथी में प्रशिक्षण प्राप्त हैं, देहातों में जाने के लिये तैयार हैं। हम एक प्रायोगिक परियोजना स्थापित कर रहे हैं जिसमें बहुत ही वैज्ञानिक ढंग

से यह पता लगाया जायेगा कि देशी चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी को किस रूप में ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद पांचवीं योजना में इसको और भी व्यापक रूप दिया जा सकेगा।

होम्योपथिक दवाइयों की किस्म सुधारने के लिए कलकत्ता में एक अनुसंधान केन्द्र खुला हुआ है और मानक औषधि कोष तैयार हो जाने पर इनका स्तर बेहतर हो जाएगा।

विभिन्न राज्य सरकारों में पृथक् निदेशालय के बारे में डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की शिकायत के उत्तर में मैं बताना चाहता हूं कि कुछ राज्यों में ऐसे निदेशालय हैं और सभी राज्यों में ऐसे निदेशालय बनाने के लिए ही यह विधेयक लाया गया है।

मैं डा० केलाश और श्री हल्दर का विधेयक का पूर्ण समर्थन करने के लिए आभारी हूं। यह आशंका उचित नहीं है कि होम्योपैथी आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के प्रभाव मे दब जाएगी क्योंकि समय ने हमें बताया है कि अपनी उपयोगिता के बल पर ही होम्योपैथी आगे बढ़ी है और अधिकाधिक लोकप्रिय हुई है और होती जाएगी।

जहां तक भारत सरकार का संबंध है दूसरी योजना से लेकर अब तक होम्योपैथी के लिए अधिकाधिक धन रखा जाता रहा है और जो दूसरी योजना में 10.7 लाख से बढ़कर पांचवीं योजना में 15.1 लाख रुपये कर दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खण्ड 17 और 18 के निरीक्षक और 'विजीटर' के कर्तव्यों के बारे में शंका है।

श्री ए० के० किस्कू : इस समय तो मैं इतना ही बता सकता हूं कि कि 'विजीटर' की रिपोर्ट 'गोपनीय' होती है जबकि निरीक्षक की रिपोर्ट परीक्षा लेने वाले विश्वविद्यालय बोर्ड आदि को भेजी जाएगी और गोपनीय नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही कार्य के लिए दो पदों की क्या अवश्यकता है ? खैर, यह मामला सभा और मंत्रालय द्वारा निपटाया जाना है ।

श्री धामनकर (भिवंडी) **:** मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्यों और विश्वविद्यालयों के लिए पांचवीं योजना में अधिक धन की व्यवस्था करेगी ताकि राज्यों में कम-से-कम एक विश्वविद्यालय में होम्योपैथी संकाय स्थापित किया जा सके?

उपाध्यक्ष महोदय : ये बातें इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आती हैं।

प्रश्न यह है :

"कि होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा तत्संबद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास कये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे (मंदसौर) **:** मैं संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) **:** मैं संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं।

Dr. Laxmi Narain Pandeya: Sir, it is a well-known fact that Homoeopathy is a separate branch of treatment, but even if it has been included in the Bill alongwith biochemy, it shall be so mentioned in Bill.

I, therefore, hope that the House shall accept my amendment.

श्री मूलचन्द डागा : मेरे संशोधन का आशय उन सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी शामिल करना है जिनके नाम दूसरी और तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं हैं परन्तु केन्द्रीय अथवा राज्यों के रजिस्टरों में दर्ज हैं।

श्री ए० के० किस्कू : संयुक्त प्रवर समिति ने इन सभी बातों पर विचार किया है और ये विधेयक में शामिल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य महोदय की जानकारी में किन्हीं संस्थाओं को शामिल नहीं किया गया है तो अनुसूची में संशोधन करके उन्हें शामिल किया जा सकता है परन्तु इस तरह का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अब मैं यह संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment No. 3 and 4 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा क्या आप अपना संशोधन संख्या 5 पेश कर रहे हैं?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या डा० पाण्डेय अपना संशोधन संख्या 6 पेश कर रहे ?

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे : मैं अपना संशोधन संख्या 6 पेश करता हूं।

When biochemic is included in Homoeopathy, it is useless to retain the words "or other related medicines". Hence my amendment may be accepted.

श्री ए० के० किस्कू : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 में डा० पाण्डेय का संशोधन सभा द्वारा स्वीकार किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 3 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4 से 14

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 4 से 14 आते हैं। इनमें कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 14 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 4 से 14 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 4 to 14 were added to the Bill.

खंड 15 से 25

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री डागा खण्ड 15 पर अपने संशोधन संख्या 7 और 8 पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 से 25 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 15 से 25 विधेयक में जोड़े गये।

Clauses 15 to 25 were added to the Bill.

खंड 26

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : मैं अपना संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं।

The purpose of my amendment is to enable a medical practitioner to have his practice in a state other than the one in which he is so registered. I, therefore, hope that my amendment shall be accepted.

श्री ए० के० किस्कू : क्योंकि इस खण्ड में कानूनी उपबन्ध है, अतः यह शर्त नहीं हटाई जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment No. 9 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खंड 26 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 26 was added to the Bill.

खंड 27 से 33 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 27 to 33 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई ।

The First Schedule was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची

संशोधन किया गया

पृष्ठ 14, पंक्ति 34 'मैसूर' **के स्थान पर** 'कर्नाटक' **प्रतिस्थापित किया जाये** । (संख्या 1)

(श्री ए०के० किस्कु)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

द्वितीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ी गई ।

The Second Schedule, as amended, was added to the Bill.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मैं अपना संशोधन संख्या 2 पेश करता हूं ।

I hope my amendment would be accepted as in fact the position has been accepted in the Bill.

श्री ए० के० किस्कु : मैं इस संशोधन का बिरोध करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 मदतान के लिए रखता हूं ।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 2 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए।

Clause 1, The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री ए० के० किस्कू : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

Code of Civil Procedure (Amendment) Bill.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

संविधान के 33वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 133 के संशोधन के परिणामस्वरूप इस संहिता की धारा 109 का संशोधन करना पड़ा है और धारा 110 का लोप करना पड़ा है और साथ ही 45वें आदेश, नियम 3 का संशोधन तथा नियम 4 और 5 का लोप करना भी अपेक्षित हैं।

अतः आशा है कि सभा इसे सर्वसम्मति से समर्थन देगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : गत वर्ष संविधान का संशोधन करने वाले विधान को लाते समय विधि मंत्री ने हमें वचन दिया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन किए जयेंगे परन्तु ऐसे फजूल के संशोधन विधेयक लाकर जनता को मूर्ख बनाया जाता है और हमारा समय नष्ट किया जाता है।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि नई संहिता कब सभा में लाई जाएगी?

हमें विधि आयोग की 10 मास पुरानी सिफारिशें आज मिली हैं। इन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

सरकार एक ओर तो गरीबों की शुभचिन्तक होने का दावा करती है और दूसरी ओर उन्हें राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। गरीब लोग उच्चतम न्यायालय में जाना तो दूर अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए किसी भी न्यायालय से न्याय की मांग करने का साहस नहीं कर सकती--ऐसे झूठे वचन फिर क्यों दिए जाते है ? मैं जानना चाहता हूं कि कानूनी सहायता संबंधी विधान कब लाया जाएगा ? ·

अन्त में मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि ऐसे विधान लाने के बजाय व्यापक विधेयक लाया जाये जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के लिए किया जा रहा है फिर भी मैं इस विधेय का समर्थन करता हूं क्योंकि अनुच्छेद 133 के संशोधन के बाद यह अनिवार्य ही है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए श्री चटर्जी के विचारों का भी समर्थन करता हूं। 1908 के बाद से सामाजिक स्थितियों और समय में इतना अधिक परिवर्तन आया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन करना भी अनिवार्य हो गया है। फिर नई संहिता क्यों नहीं बनाई जाती ?

यह ठीक है कि इस विधान से अनेक अनावश्यक अपीलों की आवश्यकता नहीं रहेगी, फिर भी सरकार को गरीबों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। सिविल मामलों में जैसा कि सभी को विदित है कई पीढ़ियों तक मुकदमे चलते रहते हैं और तब कहीं फैसला होता है—यह तथ्य सामाजिक न्याय दिलाने में बाधक हैं। अतः पूरी संहिता को बदलना अनिवार्य है।

दूसरे जनसाधारण को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्याय मांगने की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मैं सरकार से यह अपील भी करता हूं कि वह ऐसे उपाय करे जिससे न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जाने में कम से कम समय लगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

Mr. Chairman: Shri R.R. Sharma. I will not allow your amendment as it has not reached me in time.

Shri R.R. Sharma (Banda): Mr. Chairman, Sir, our Government speaks of socialism and progress while making speeches but ignores these things while bringing forward any legislation. The civil Procedure code, 1908 is still continuing as it is though social environment has undergone a great change. Today Government has introduced a Bill to amend Section 109 and in this context it is being pleaded that the right of appeal be curtailed in view of the over work with the Supreme Court, so that appeal in large number may not be filed in the Supreme Court. I oppose this Bill in principle. There is nothing in this Bill which goes to help the poor and ordinary people in securing the justice, Court fees have been increased and no steps have so far been taken by Government to provide legal aid to the poor so that he may be exempted from paying the Court fees. The whole Civil Procedure code needs amendment in the changed circumstanees. Moreover, there is a provision in 109 (1) which says that the permission for appeal will be given if 'the case involves a substantial question of law of general importance', I suggest that the words of general importance' should be deleted from it otherwise no High Court shall give permission for making appeal because it will be very difficult to prove the matter to be 'of general importance' after proving that it involves 'substantial question of law'. I request the hon. Minister to accept this suggestion.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : सभापति महोदय, मैं उन सदस्यों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने विधेयक का समर्थन किया है। जहां तक "न्यायालय शुल्क" का संबंध है, वह राज्य का विषय है, केन्द्र का नहीं। यदि माननीय सदस्य यह चाहते है कि 'न्यायालय शुल्क' कम हो, तो उन्हें राज्य सरकारों को इसके लिए राजी करना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि यह विधेयक पूर्ण नहीं है और अपर्याप्त है। इस संबंध में यह निवेदन है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का मामला विधि आयोग को सौंपा गया था और विधि आयोग ने 54वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो सभा-पटल पर रख दिया गया था। विधि आयोग ने अपना 55वां प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है और वह छप रही है। आयोग का 54वां प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण और वृहद् दस्तावेज है। उसका विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। इस बारे में जैसे ही निर्णय लिया जायेगा, तैसे ही सिविल प्रक्रिया संहिता को संशोधन करने हेतु एक वृहद् विधेयक लाया जायेगा। किन्तु इस कार्य में समय लगेगा जहां तक जरूरतमंद लोगों को कानून की सहायता देने का संबंध है, इस प्रश्न पर नियुक्त समितियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदनों का अध्ययन किया जा रहा है। श्री वी० आर० कृष्णा अय्यर, उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। उसने 400 पृष्ठ का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। न्यायमूर्ति भगवती ने बम्बई सरकार को 'कानून संबंधी सहायता' के बारे में एक प्रतिवेदन दिया था। उसके आधार पर केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को एक परिचाय भेजा था जिसमें उनसे जरुरतमंद लोगों को कानून की सहायता देने को कहा गया था। इन प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श पूरा हो जाने पर उसके कुछ सुझावों को केन्द्र द्वारा लागू किया जायेगा और उसको कुछ सिफारिशों का राज्य सरकारों के क्रियान्विति हेतु भेज दिया जायेगा। यह प्रयास किया जायेगा कि जरूरतमंदों को कानून की सहायता दी जायेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप, म विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 4, खंड 1

सभापति महोदय : इनके बारे में कोई भी संशोधन नहीं है। अतः मैं सभी खंडों को मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है।

"कि खंड 2 से 4, खंड 1 अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 4, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 4, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

Motion *re*. Annual Reports of University grants Commission.

सभापति महोदय : सभा में अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के प्रतिवेदनों पर विचार किया जायेगा।

शिक्षा, समाज कल्यान और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 1970-71 और 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 1 जून 1972 और 13 अगस्त 1973 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करती है।"

मैंने 19 नवम्बर, 1971 को एक ऐसा ही संकल्प पेश किया था, किन्तु मैं माननीय सदस्यों के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के बारे में सुझावों और मार्गदर्शन का लाभ उस समय नहीं उठा सका था।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं इस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सभा में गणपूर्ति नहीं है और ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर सभा में गणपूर्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय : गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जा रही है........अब सभा में गणपूर्ति है।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मंत्रालय को आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1970—71, मई 1972 में मिला था। तब से मैंने हर सत्र के आरंभ में उस पर विचार के लिए नोटिस दिये हैं, किन्तु उसके लिए सभा समय नहीं दे सकी। इसलिए उक्त आयोग के दो प्रतिवेदनों पर विचार एक साथ किया जा रहा है। सबसे पहले मैं डा० डी० एस० कोठारी की सराहना करना चाहता हूं। उन्होंने उच्च शिक्षा का हित साधन बड़ी निष्ठा से किया है। साथ ही मैं आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ऐसे कठिन समय में भी बड़ी कुशलता पूर्वक कार्य किया है कि एक ओर तो छात्रों, कालेजों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढती जा रही है और दूसरी ओर सरकार आयोग को पर्याप्त राशि नहीं दे पा रही है। इस समय मैं माननीय सदस्यों के विचार और सुझाव सुनना चाहता हूं और चर्चा के अंत में अपने विचार रखूंगा।

***श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हमारी मातृभाषाओं के विकास के लिए समुचित निर्देशन तथा मार्ग दर्शन करने में असफल रहा है। हमारे देश के लोगों को अतिरिक्त विश्व के सभी देशों में वहां के लोगों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अपनी मातृ भाषाओं को प्रयोग

*बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर

Summarised translated version based on English translated of speech delivered in Bengali.

करने का अधिकार प्राप्त हो । वे लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मातृ भाषा के माध्यम से अनुसंधान कर रहे हैं लेकिन हमारे देश जिसे अपनी प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक परम्परा पर इतनी गर्व है में वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में अपनी मातृभाषा के माध्यम में प्रगति करने के अवसर प्राप्त नहीं हैं। सरकार ने इस संबंध में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है ।

हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमारे लोगों को शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करने में सहायक सिद्ध नहीं हो रही हैं । इस प्रणाली की स्थापना ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने समाज में एक ऐसा वर्ग बनाने के उद्देश्य से की है कि जो वर्ग उनके हितों को पूरा करें तथा विभिन्न भाषा बोलने वाले वर्गों को दबाए वही शिक्षा प्रणाली आज भी चल रही है और उसी प्रकार आज समाज में विभिन्न वर्ग बनाए जा रहे हैं । विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों को अपनी मातृ भाषाओं के माध्यम से अध्ययन करने के लिए अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी भी सरकार द्वारा पूरी तरह उपेक्षा की गई है ।

हमें गर्व है कि कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई है । कला विज्ञान और वाणिज्य में शिक्षा देने के लिए 744 और 45 नए मेडिकल कालेज खोले गए हैं । किन्तु नए कालेजों की स्थापना के बावजूद भी विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग उच्चतर शिक्षा के लिए उत्सुक नहीं हुए हैं । दूसरी ओर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पाने और शिक्षा पूरी हो जाने के प्रश्चात् प्रगति के अवसर प्राप्त करने के मामलों में बहुत अराजकता है । शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति करने और शिक्षा के लिए एक स्वस्थ वातावरण तैयार करने के बजाय हम देखते हैं कि दिन प्रति दिन सभी शैक्षणिक संस्थाओं में अराजकता और असंतोष व्याप्त हो रहा है । यदि शिक्षा सुदृढ और सुविचारित आधारों पर होती, तो छात्र पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं को नष्ट भ्रष्ट करके अपने भविष्य को खराब करने का मार्ग न अपनाते । वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करके छात्रों को निराशा का सामना करना पड़ाता है । यदि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को जड़ से पुनर्गठित करने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो निकट भविष्य में स्थिति विस्फोटक बन जाएगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है कि अधिक छात्रावासों के निर्माण के लिए कालेजों तथा विश्वविद्यालयों को अधिक धनराशि का आवंटन किया जा रहा है । कलकत्ता में कई ऐसे छात्रावास हैं, जिनकी दशा अत्यंत शोचनीय है, वह किसी भी समय गिर सकते हैं ।

विभिन्न शेक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश पाने की समस्या भी बड़ी जटिल है । प्रवेश पाने के मामले में वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत केवल धनी लोगों के बच्चों को ही प्रवेश के योग्य समझा जाता है किन्तु निर्धन लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश देने से इन्कार कर दिया जाता है । चाहे वह कितने ही होशियार क्यों न हो ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए छात्रों का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है । यह बहुत अच्छी सलाह है किन्तु इसे ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है । जिन छात्रों की विचारधारा प्राधिकारियों के समान है उन्हें ही विश्वविद्यालय के प्रशासन में हिस्सा लेने दिया जाता है । शिक्षा के प्रत्येक चरण पर जैसे पाठ्यक्रम तैयार करना, पुस्तकें निर्धारित करना, आवास की व्यवस्था करना छात्रों के परामर्श से किया जाना चाहिए । इससे छात्रों में व्याप्त असंतोष काफी हद तक कम हो जाएगा प्रवेश समितियों में छात्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

अध्यापकों कीं नियुक्ति के लिए उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए । शिक्षा नीति में कुछ मूल परिवर्तनों की आवश्यकता है । अभी तो मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासनों को क्रियान्वित नहीं किया गया । मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस ओर ध्यान दें ।

हमारे क्षेत्र त्रिपुरा , जो कि एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, की अपनी कुछ समस्याएँ हैं । त्रिपुरा के कालेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं । यदि त्रिपुरा के कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा दे दिया जाए और विज्ञान के विषयों में शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी उपकरण जुटाए जाएँ तो इससे कई छात्र लाभान्वित हो सकते हैं । किन्तु इस प्रकार की कोई सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है । त्रिपुरा में चिकित्सा तथा विधि शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । खेद की बात है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं की है । जब तक वर्तमान शिक्षा प्रणाली को जड़ से पुनर्गठित नहीं किया जाएगा, हमें निकट भविष्य में विस्फोटक स्थिति का सामना करना पड़ेगा । इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

Shri Sudhakar Pandey (Chandani): I appreciate the work that has been done by the commission in the field of education. Education is a national problem. Although U.G.C. has considered the question of educational policy but has not mentioned any steps to bring about revolutionary changes. Whenever there is proposal to effect economy in expenditure, the axe falls on education.

Last time when the matter was being discussed, I had spoken for open Universities. I am happy that the Ministry is working on it but the progress is very slow. I had also spoken for Workers University. There is hardly a country in the world that has greater need for workers University than India but nothing has been done so far in this regard.

The rules for giving grants to educational institutions in backward and in developed areas in the same and this is not fair. The backward areas should be relieved from the various restrictions imposed by the rules of allocations of funds to them.

It is very surprising that even the Ph. D's., are teaching primary classes. Educational degrees should be delinked with the qualifications prescribed for recruitment in service. It is essential to bring about reforms in the present system of education. Students get crushed under the heavy load of vast courses of studies prescribed for their examinations with the result that the quality of education had deteriorated. This burden of heavy syllabus should be reduced and the standard as well as the quality of teaching should be improved.

The cheap education of the books are being published in our country which are printed in foreign Countries but the price of our own publications are rising day by day. Why don't you get their cheap edition? Proper opportunities should be given to the people speaking different languages to progress in varions fields of technical and scientific studies through their own mother tongue.

Discrimination is being made between the teachers of affiliated colleges and university teachers. 90 per cent of students read in affiliated Colleges as against Universities but these Colleges are given 15 per cent of the total grant allocated for higher education. The teachers of colleges affiliated to B.H.V. are not getting the same grades as B.H.U. teachers. They are being given the U.P. Government grades which are much lower. Such discriminations should be removed. The affiliated Colleges should be given all encouragement.

Then there are **'Deemed Universities'.** The state Government should be asked to make them full fledged Universities. At least the word **'deemed'** should be dropped from their names.

More and more autonomous Colleges should be opened which can award their own degrees.

It is an injustice that affiliated Colleges of Delhi University only are given a grant of Rs. 3 Crores and 6 lakhs whereas the rest of the Colleges in the entire Country get Rs. 9 crores. No reduction in the grant for education should be made at any cast.

श्री सुरेंद्र महन्ती (केन्द्र पाड़ा) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1971-72 की रिपोर्ट को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस पर निराशा सी छाई हो। प्रतिवेदन में एक स्थान पर कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में कुछ संस्थानों में छात्रों द्वारा हिंसा पुलिस के साथ मुठभेड़ तथा बसों आदि जलाने की कुछ वारदातें हुई हैं और इसके लिए कई कारण जिम्मेवार हैं जिनमें से शिक्षित बेरोजगारों का अंधकारमय भविष्य, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में अच्छे सम्बन्धों का अभाव तथा विश्वविद्यालय में व्याप्त सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां मुख्य हैं । इन सभी बुराइयों को दूर करने तथा शैक्षणिक जीवन को नई दिशा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अस्तित्व में आया पर मुझे खेद है कि आयोग ने अपने किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की है । यदि हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी कोई संस्था रखना चाहते हैं तो फिर इसे अवश्य ही अपना लक्ष्य पूरा करना चाहिए । आयोग के सदस्यों ने शिकायत की है कि कनाडा के अकेले विश्वविद्यालय के हाथ में जितनी निधि है, भारत में सारे देश के लिए बने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के एक प्रतिवेदन के अनुसार उनकी विश्वद्यालयों के लिए एक द्विभाषी माध्यम योजना है । मैं डिग्री कालेजों में भी मातृभाषा को माध्यम बनाने के पक्ष में हूँ किन्तु साथ-साथ अंग्रेजी भी पढ़ानी चाहिए, नहीं तो दूसरे राज्य में नौकरी प्राप्त करने में दिक्कत होगी । आयोग ने इस सम्बन्ध में काफी कार्यवाही की है ।

तत्पश्चात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्तमान परीक्षा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया था। इसके लिए छात्रों द्वारा किए गए कार्यों की निरंतर निगरानी और उनके सही मूल्यांकन को आधार माना गया । क्या इस दिशा में कोई कदम उठाया गया है ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वायदा किया था कि पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम 10 प्रतिशत कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जाएगा । क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ? विश्वविद्याश्लय अनुदान आयोग ने एक और भी वायदा किया था कि शैक्षणिक प्रणाली को स्वयं को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार ढालना चाहिए । क्या उसमें बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन हुआ है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आश्वासन दिया था कि एक 'क्वश्चन बैंक' बनाया जाएगा । वह 'क्वश्चन बैंक' कहां है ?

यह भी कहा गया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाएगा किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन सुधारों के बारे में कुछ भी नहीं बताया । इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि अत्यधिक विकसित क्षेत्रों तथा राज्यों में उच्च शिक्षा के मामले में विलम्ब किया जाएगा और जो आर्थिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनकी ओर अधिक ध्यान दिया जाएगा । उड़ीसा के लोगों के लिए यह प्रतिवेदन निराशाजनक है । विचाराधीन अवधि के दौरान उड़ीसा में विज्ञान आदि क्षेत्र के उच्च शिक्षा के लिए एक भी केन्द्र की स्थापना नहीं की गई है । पिछड़े हुए क्षेत्रों तथा राज्यों के साथ शिक्षा के तथा अन्य मामलों में भी अपेक्षित रवैया अपनाया जा रहा है। कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अपने ही विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हेतु पहले ही एक विधेयक पेश कर लिया है । उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री कमला पति त्रिपाठी ने खुले रूप से यह विचार व्यक्त किया था कि राज्य में उच्च शिक्षा की देखभाल के लिए वहां एक विश्वविद्यालय अनुशासन आयोग होना चाहिए । ऐसी स्थिति में जब प्रत्येक राज्य यह सोचकर कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विभिन्न राज्यों में उच्च शिक्षा की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकता, अपना ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित कर रहा है, तो फिर केन्द्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या आवश्यकता है । या तो केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकार को अपने ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने से रोके या फिर केन्द्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में परिवर्तन किया जाए ।

विश्वविद्यालयों की संख्या 1950 में 90 थी और 1972 में वह बढ़कर 4000 हो गई है । विद्यार्थियों की संख्या भी 4 लाख से बढ़कर 1972 में 13 लाख हो गई पर उच्च शिक्षा के नाम पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा का स्तर क्या है ?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपने प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तरों में व्याप्त विषमता को दूर करने की ओर भी ध्यान देना चाहिए था तथा विभिन्न राज्यों में फैले हुए उच्च शिक्षा केन्द्रों को स्थापित करने की दिशा में भी ध्यान देना चाहिए । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अतीत में दिए गए वचनों को कार्यान्वित करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों का भी उल्लेख करना चाहिए था । मैं आशा करता हूँ कि आगामी वर्षों में बेहतर रिपोर्ट पेश की जाएगी ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना): सभापति महोदय, मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वर्ष 1970-71 और 1971-72 के दोनों प्रतिवेदनों का स्वागत करता हूँ और मैं आयोग के द्वारा पिछले 16 वर्षों में किए गए कार्यों की भी प्रशंसा करता हूँ ।

कुछ लोगों को इस निकाय के स्वरूप के बारे में ठीक-ठीक मालूम नहीं वह इसे अनुदान देने वाला निकाय समझते हैं जब कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य समूचे देश के विश्व-विद्यालयों के कार्य में समन्वय स्थापित करना तथा शिक्षा स्तर को बनाए रखना है । इन उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हमारी विश्वविद्यालय प्रणाली को सुदृढ़ किया और वहां की इमारतों और उपकरणों में सुधार किया । कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों के वेतनमान तथा छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में वृद्धि की है ।

इस समय हमारे देश में 95 विश्वविद्यालय और 32,62,000 विद्यार्थी हैं । विद्यार्थीयों की संख्या 13 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमान लगाया गया है कि अगले 5 वर्षों में कालेज में दाखिला लेने वालों की संख्या 16 लाख होगी और हो सकता है कि संख्या इससे भी अधिक हो जाए ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नए विश्वविद्यालयों को खोलने के लिए स्वीकृति देने में रूढ़ि-वादी रहा है । 23 जुलाई , 1973 को मंत्री महोदय ने बताया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन 12 प्रस्ताव हैं पर तब से आज तक एक भी नया विश्वविद्यालय नहीं खुला। विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है । उदाहरण के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय को लीजिए।

इसके छात्रों की संख्या 2,46,000 है। यह इतना बड़ा विश्वविद्यालय है कि कोई भी कुलपति चाहे वह कितना भी योग्य रहा हो, इस विश्वविद्यालय पर नियंत्रण नहीं रख सकता, जिसके फलस्वरूप हम देखते हैं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में रोज मोर्चे, जुलूस और हर प्रकार की गुण्डागर्दी होती है। यही दशा मद्रास, केरल तथा बम्बई विश्वविद्यालयों की भी है। यदि हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय अध्यापक तथा छात्रों का एक समुदाय हो, तो उन्हें इनकी आकार, सीमा निर्धारित करनी चाहिए। जिसके उपरान्त इसे और अधिक नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि शिक्षा मंत्री और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर गम्भीरता से विचार करेगा।

उच्च शिक्षा के मार्ग में दूसरी गम्भीर समस्या परीक्षाओं की है। हम अब भी परीक्षाओं की पुरानी पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं जिसमें बाह्य परीक्षा के कारण परीक्षार्थियों पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षाओं में सुधार को सबसे अधिक महत्व दिया है। सेमिस्टर पद्धति के अपनाने से छात्र अपनी पढ़ाई में पूरी अवधि ध्यान देंगे और शिक्षक भी पाठ्य-क्रम पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। आज स्थिति यह है यदि कोई छात्र 59 प्रतिशत अंक प्राप्त करता है तो उसे द्वितीय श्रेणी तथा 60 प्रतिशत अंक पाने वाले को प्रथम श्रेणी दी जाती है। मेरा सुझाव है कि अमरीका के समान 'ग्रेडिंग' पद्धति को अपनाया जाय।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परीक्षा पद्धति में सुधार पर एक रिपोर्ट दी है जिसपर कार्य-वाही की जानी चाहिए।

द्वितीय श्रेणी में एम० ए० अथवा एम० एस० सी० परीक्षा पास करते ही व्यक्ति प्राध्यापक नियुक्त हो सकता है जबकि स्कूल में शिक्षक नियुक्त होने के लिए बी० एड० की डिग्री आवश्यक है। इसलिये नये प्राध्यापकों को नियुक्ति से पूर्व एक आरिएन्टेशन कोर्स रखा जाना चाहिए।

वर्ष 1970-71 में 3896 सम्बद्ध कालेज थे जिनमें विश्वविद्यालयों एवं कालेजों के 87.3 प्रतिशत छात्र पढ़ते थे। सम्बद्ध कालेजों में 1.16 लाख शिक्षक थे जबकि विश्वविद्यालयों में 22,842 शिक्षक थे। संबंध कालेजों पर कुल 9 करोड़ रुपए व्यय होते हैं। ये संस्थाएं मात्र 9 करोड़ रूपया पर 87% छात्रों का भार उठाती हैं। मेरा सुक्षाव है कि संस्थाओं के भरण-पोषण अनुदान सीधे मंत्रालय द्वारा दिये जायें।

[श्री एस० ए० कादर **पीठासीन** हुए]

[Shri S.A. Kader in the Chair]

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) मैं सरकार से आग्रह करता रहता हूं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यों पर वर्ष में कम से कम एक बार चर्चा की जाया करे। पिछले सत्र में समय न दिये जाने के कारण आज हमें दो प्रतिवेदनों पर विचार करना पड़ रहा है।

इन दोनों प्रतिवेदनों में विविध उपयोगी जानकारी दी गई हैं। परन्तु इन दोनों प्रतिवेदनों को एक साथ देखने से पता चलता है कि उनके पैराग्राफों, शीर्षकों आदि में पूरी तरह एक रूपता है। यह प्रतिवेदन प्रतिवर्ष रूढ़िगन रूप से तैयार किया जाता है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिये मैं आयोग को धन्यवाद देता हूं । आयोग एक स्वतंत्र संस्था है । ब्रिटेन की तरह इस आयोग को सरकार एवं सरकारी उपकरणों से यथासंभव संभव कार्य करना चाहिए। बेशक देश में अधिकाधिक स्कूल-कालेज खोले जा रहे हैं परन्तु उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषप्रद नहीं है । नये नये विश्वविद्यालय कालेज खोले जा रहे हैं । देश में कुल 3604 कालेज हैं और इस वर्ष खोले गये कालेजों की संख्या 307 थी । नये कालेजों की संख्या शिक्षकों एवं अन्य सुविधाएं समुचित रहीं हैं ।

परन्तु हमारी संस्थाओं में वातावरण अनुकूल नहीं है । इन रिपोर्टों में छात्रों के असंतोष, शिक्षकों की कठिनाइयों आदि का कम ही उल्लेख मिल पाता है ।

मेरा सुझाव है कि छात्रों के असंतोष पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए । इन रिपोर्टों में विश्वविद्यालयों में छात्र असंतोष एवं विश्वविद्यालयों की राजनीति का उल्लेख नहीं मिलता । प्रबंध में छात्रों के योगदान को दृढ किया जाना चाहिए। 1971-72 की रिपोर्ट में इस बारे में कुछ उल्लेख तो है परन्तु क्रियान्विति का कोई प्रश्न ही नहीं । आज भी हम देखते हैं कि छात्र-शिक्षक सम्पर्क का सर्वथा अभाव है। हम देखते हैं छात्रों को भाषण तो दिये जाते हैं परन्तु उन्हें विश्वास में लेने के यत्न नहीं किये जाते हैं । छात्रों के योगदान से सुखद वातावरण का निर्माण होगा, इसका मुझे विश्वास है ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को शिक्षकों की कार्य कुशलता एवं उनके वेतनों एवं अन्य सुविधाओं में सुधार पर यत्न करना चाहिए । आयोग ने राधाकृष्णन आयोग 1949 का हवाला देते हुए शिक्षकों को शिक्षा का मुख्य स्तम्भ बताया है परन्तु व्यवहार में उनकी सर्वथा उपेक्षा की जाती है । उचित वेतनों, आयोग की सुविधाओं के अभाव में श्री खुराना जैसे वैज्ञानिकों को विदेश जाना पड़ा । इस प्रकार प्रतिभा का पलायन जारी रहता है ।

वर्ष 1970-71 के प्रतिवेदन में 21 राष्ट्रीय प्राध्यापकों का उल्लेख किया गया है जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाकर भाषण करने को कहा परन्तु विश्वविद्यालयों द्वारा उनके नामाकन किया जाना उचित नहीं । उनका चयन आयोग द्वारा किया जाना चाहिए ।

प्रो० एस० नुरुल हसन : कोई भी विश्वविद्यालय अपने प्राध्यापकों में से किसी का नाम भी भेज सकते हैं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापक को अपने यहां बुला सकता है । दोनों प्रकार के नामांकनों में से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अंतिम रूप से चयन करता है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : विश्वविद्यालय अपने संकुचित दृष्टिकोण से चयन करेंगे परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व्यापक दृष्टि से चयन करेगा ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को श्रेष्ठता के मान दंडों को बढ़ाने के लिये शीघ्र कार्य करना चाहिए । श्रेष्ठता की चोटी पर पहुंचने के लिये आयोग को अधिक धन व्यय करना चाहिए ।

आयोग को गैर शिक्षक कर्मचारियों के स्तर को ऊंचा करने का भी यत्न करना चाहिए । हमारे देश के लिए, जिसके स्रोत सीमित हैं अधिक कालेज तथा विश्वविद्यालय खोलने के लिये अधिक व्यय करना उपयुक्त नहीं है इसके स्थान पर वर्तमान विश्वविद्यालय एवं कालेजों के स्तर को ऊँचा करना चाहिए ।

कालेजों की स्वायत्तता के बारे में मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता के बारे में एक नोट प्रचलित किया है। परन्तु इस सन्दर्भ में मैं मंत्रालय का एवं इस सदन का ध्यान शैक्षणिक स्वतंत्रता की गम्भीर अवहेलना की ओर दिलाना चाहता हूं। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रो० आफ डेमोग्राफी को विदेश बुलाया गया था। प्रजातन्त्र देश की सरकार को यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि किस प्राध्यापक को विदेश जाने दिया जाये तथा किसको न जाने दिया जाये। मंत्री महोदय उक्त प्रोफेसर को विदेश जाने से रोके जाने क कारण बताऐं क्योंकि वाशिंगटन में उसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए अन्य व्यक्ति गये थे। यह बहुत विचित्र बात है।

मुझे उम्मीद है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आने वाले वर्षों में मात्र विश्वविद्यालय शिक्षा के बाह्य विकास के अलावा शिक्षकों, छात्रों के कार्यक्रमों पर धन व्यय करेगा।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : आयोग के प्रतिवेदन पर प्रतिवर्ष विचार किया जाना चाहिए। इन प्रतिवेदनों से प्रतीत तो ऐसा होता है जैसा शिक्षा का विस्तार हो रहा है परन्तु वास्तव में यह विस्तार कार्य प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में हुआ है जिनमें पहले ही काफी विस्तार हो चुका है।

हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा के मामलों को आयोग के माध्यम से देखते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों के खोले जाने के मामलों को देखता है। अतारांकित प्रश्न संख्या 1061 के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि दो नये विश्वविद्यालय हैदराबाद और पांडीचेरी में खोले जा रहे हैं। कुछ विश्वविद्यालयों के लिए राज्य आग्रह कर रहे हैं। विश्वविद्यालय आयोग को इस मामले में स्वयं प्राथमिकता बरतनी चाहिए। वेतन आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने निर्णय ले लिया है। परन्तु सेन समिति की सिफारिशों पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार ने वेतन आयोग के प्रतिवेदन से भी अधिक समय लिया है। हम चाहते हैं इस मामले पर शीघ्र निर्णय लिया जाये।

****केरल को सप्लाई किये गये चावल की मात्रा और किस्म के बारे में चर्चा**

Discussion Re: Quality and Quantity of Rice supplied to Kerala

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) मेरा नाम बैलेट में रह गया है। यदि किसी अनुपस्थित सदस्य के स्थान पर मेरा नाम लिया जा सके तो मुझे प्रश्न पूछने का अवसर मिल जायेगा।

सभापति महोदय : मैं इसे देखूंगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) इस चर्चा के उठाने का एक कारण तो यह है कि अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के उत्तर में दी गई जानकारी पूर्णतया ठीक नहीं थी और वास्तव में कुछ वक्तव्य तो सर्वथा गलत थे।

पिछले सत्र में भी केरल की खाद्य स्थिति पर आधे घंटे की चर्चा उठाई गई थी और उसके दौरान मंत्री महोदय ने वचन दिया था कि खाद्य के संकट को दूर करने के लिए सभी प्रयत्न किये जायेंगे केरल में किसी भी महीने 85000 टन से अधिक अनाज नहीं दिया गया। केरल में फसल के बाद धान का मूल्य घटता है। परन्तु इस वर्ष ऐसा नहीं हुआ। यह इसलिए हुआ कि केन्द्र ने अपने वचन का पालन नहीं किया।

**आधे घंटे की चर्चा
Half-an-hour Dicussion.

केरल को 75,000 टन चावल और 75,000 टन गेहूँ का वचन दिया गया था । परन्तु कुल अनाज 85,000 टन से अधिक नहीं दिया गया। पिछले महीने यह 75,000 टन था। और इस महीने 73,000 टन ही रह गया ।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए]

Shri N.K.P. Salve in the Chair

केरल को आगे 73,000 टन अनाज भी नहीं मिलेगा क्योंकि भारतीय खाद्य निगम ने केरल को कुछ अनाज अग्रिम दिया था जिसे इसमें से काटा जायेगा । इस प्रकार 20,000 टन गेहूँ में से 14,000 टन काट लिया जायेगा । इस प्रकार केरल को इस महीने कुल 46,000 टन अनाज ही मिल पाएगा ।

केरल की खाद्य स्थिति पिछले महीने से भी अधिक बिगड़ जायेगी ।

प्रश्न संख्या 88 के उत्तर में यह भी बताया गया था कि केरल की उचित मांगों की पूर्ति की जायेगी । प्रतिव्यक्ति आवश्यकता 12 औंस है और सरकार 6 औंस भी देने की स्थिति में नहीं है । आज लगभग 3 औंस ही दिया जाता है और तीन औंस के लिए राज्य को राज्य में उत्पन्न धान देना पड़ता है ।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि केरल मद्रास से चावल ले सकता है। जबकि 7 नवम्बर के 'इण्डिया एक्सप्रेस' में मुख्य शीर्षक में छपा है:

"केन्द्रीय सरकार ने राज्य के स्तर पर चावल के व्यापार पर रोक लगाई ।"

यदि सरकार के वचन का कोई महत्व है तो उसे इन्हें पूरा करना चाहिए । हमारे पास फालतू बिजली है जिसे हम दे सकते हैं । हमें अपने घाटे को स्वतः ही पूरा करना है । यह कैसी राष्ट्रीय एकता है । मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि "चावल कहां से प्राप्त किया जावे ।"

श्री जुनेजा, सचिव खाद्य विभाग ने बताया था कि रूस के अनाज के ऋण प्रस्ताव में चावल भी सम्मिलित है ।

पिछले वर्षों में ये लोग केरल के लोगों को सलाह देते रहे हैं कि अपनी खाने-पीने की आदतें बदल लें हम चावल के स्थान पर गेहूँ खाने लगें । अब हमने अपनी खाने-पीने की आदतें बदल ली हैं तो हमें गेहूँ नहीं दिया जा रहा है ।

एक अन्य पहलू यह है कि चावल का निर्गम मूल्य हाल ही में थोड़ा बढ़ा दिया गया है । इस वृद्धि के कारण काले बाजार में भी चावल के भाव बढ़ गए हैं । अब, हम चाहें या न चाहें, लोगों को काले बाजार में अधिक मूल्य देना पड़ रहा है । इस समस्या का हल तभी निकल सकता है जब केन्द्रीय सरकार साहसपूर्वक चावल के थोक-व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दे। गेहूं के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण असफल हो गया है और उस असफलता के नाप पर चावल के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को

स्थगित कर दिया गया है। केरल राज्य 50 प्रतिशत कमी वाला राज्य है। हम चावल का राष्ट्रीयकरण करने में असमर्थ हैं और हम गैर-सरकारी व्यापार को भी समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि केन्द्रीय सरकार केरल की सहायता नहीं कर सकती है। केरल राज्य सरकार ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यदि केन्द्रीय सरकार अपने सभी आश्वासनों को पूरा करे तो वह थोक व्यापार के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में होगी। हमारी समस्या यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अपने आश्वासनों को पूरा नहीं किया। इसी कारण उसने राज्य का कोटा 75,000 टन से कम करके 73,000 टन कर दिया है। यदि यही स्थिति चलती रही और फसल के बाद भी दाम बढ़े तो राज्य में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

सभापति महोदय: श्री बनर्जी, अनुपस्थित, श्री ई० आर० कृष्णन् अनुपस्थित। श्री वरके जार्ज।

श्री वरके जार्ज (कोट्टायम): क्या मंत्री महोदय को पता है कि केरल के राजनैतिक दल विशेषकर केरल कांग्रेस ने बार-बार मांग की है कि खाद्य स्थिति पर नियंत्रण करने लिये दक्षिणी जोन पुनः स्थापित किया जाये? क्या उनका ध्यान केरल के राज्यपाल द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर भी दिलाया गया है और यदि हां, तो दक्षिणी खाद्य जोन की पुनःस्थापना के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सभापति महोदय: श्री ज्योतीर्मय बसु, अनुपस्थित श्री वायलार रवि, आपने नियम 55 के अन्तर्गत सूचना दी है परन्तु नियम 55(5) से स्पष्ट है कि मैं आपका नाम प्रश्न पूछने के लिये नहीं पुकार सकता।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): श्री चन्द्रप्पन ने कटु शब्दों का प्रयोग किया है परन्तु मैं माननीय सदस्यों को उन प्रयासों की जानकारी दे सकता हूं जो सरकार ने केरल की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किये हैं।

मैं विभिन्न मामलों पर बोलने से पहले इतना कहूंगा कि सरकार की सहानुभूति सदैव केरल के साथ है। जहां तक केरल और पाश्चिम बंगाल का संबंध है, ये दोनों राज्य अत्याधिक कमी वाले राज्य हैं। गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात 1969 से आज तक केन्द्रीय सरकार ने केरल को जितनी सप्लाई की है उसके आंकड़े मेरे पास हैं। 1973 में सबसे अधिक मात्रा में उसे अनाज की सप्लाई की गई है। दिसम्बर के अन्त तक 9.5 लाख टन अनाज उसे केन्द्रीय 'पूल' से दिया गया है। मैं यह नहीं कहता कि उससे केरल की सारी आवश्यकतायें पूरी हुई परन्तु केरल के साथ पूरी-पूरी सहानुभूति रखी गई है।

गतवर्ष आन्ध्र प्रदेश में आन्दोलन के कारण वहां से केरल को चावल की सप्लाई नहीं की जा सकी और न ही उत्तरी भारत से वहां चावल भेजा जा सका। केरल को समुद्री मार्ग से खाद्यान्न भेजा गया यद्यपि उस की ढुलाई पर भारी लागत आई।

वास्तविकता तो यह है कि कठिनाइयों के बावजूद केरल को अनाज की सप्लाई, जहां तक संभव है ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। हम अन्य राज्यों के कोटे में कटौती कर सकते हैं परन्तु केरल के कोटे में भारी मात्रा में कटौती नहीं कर सकते। जुलाई में अन्य राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई में 40 से 50 प्रतिशत तक की कटौती की गई परन्तु अन्य राज्यों की तुलना में केरल को कठिनाई के बावजूद सप्लाई काफी अधिक की गई। अतः मैं माननीय सदस्यों का सहयोग चाहूंगा कि जब वे केरल में अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जायें तो लोगों से कहें कि केन्द्रीय सरकार ने केरल को ज्यादा से ज्यादा अनाज दिया है।

सौभाग्य से खाद्य स्थिति में अब सुधार होने की आशा है क्योंकि चावल की वसूली बड़े पैमाने पर आरंभ हो गई है।

श्री वयालार रवि : मंत्री महोदय ने बताया कि 73,000 टन आबंटित किया गया है परन्तु 20,000 टन की कटौती के कारण लगभग वह 53,000 टन ही है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : कटौती इतनी तो नहीं होगी कटौती के संबंध में यदि, माननीय सदस्य गलत धारणा न रखें तो में कह सकता हूं कि गत कुछ महीनों के दौरान केरल सरकार ने उसके लिये आबंटित खाद्यान्न से कुछ अधिक खाद्यान्न डिपो से ले लिया। सौभाग्य से इस वर्ष केरल में भी फसल अच्छी है, इसलिये स्थानिय वसूलि कार्य आरंभ हो गया है। यह सुझाव था कि पहले जो अनाज ले लिया गया है उसे नवम्बर और दिसम्बर में समायोजित किया जाये। हम इसे अक्तूबर में समायोजित करना चाहते थे परन्तु बाद में हमने केरल सरकार के अनुरोध को मान लिया।

जो समायोजन किया गया था वह केरल सरकार के साथ परामर्श करके किया गया है। इस बारे में एकपक्षीय निर्णय नहीं किया गया और न ही केन्द्रीय सरकार ने मनमाने ढंग से कुछ किया।

एक बात यह कही गई है कि जब सोवियत संघ चावलों की सप्लाई करने जा रहा था तो हमने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। जब यह दल इस मामले पर बातचीत करने के लिये मास्को पहुंच तो सोवियत सरकार ने बताया कि वह हमें बहुत ही कम मात्रा में चावल की सप्लाई कर सकते हैं और वह भी टुकड़ा चावल की। हमने सोचा कि इससे समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

चूंकि चावल की मात्रा बहुत कम थी तो प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि लगभग 20 लाख टन गेंहूं दे दीजिये। उस आधार पर गेहूं के लिये बातचीत की गई।

अब वसूली का समय आरंभ हो गया है हमारा अनुभव है कि जब राज्य वसूली करने लग जाते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा बोली देकर वसूली कर लेते हैं जिससे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है।

अतः माननीय सदस्य इस बात को समझें कि सरकार ने हाल ही में निर्णय किया है कि राज्यों को आपस में खाद्यान्न का लेन देन न करने दिया जाये क्योंकि इससे केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली वसूली पर प्रभाव पड़ेगा और उसका सीधा प्रभाव केरल जैसे कमी वाले राज्यों पर पड़ेगा।

हमारे वसूली मूल्य निर्धारित मूल्य हैं क्योंकि हम कमी वाले राज्यों के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर माल सप्लाई करना चाहते हैं।

हम केरल को लाखों टन अनाज सप्लाई करेंगे (व्यवधान)। केरल के हित में तो यही बात है कि वसूली अधिक मात्रा में हो, केन्द्रीय 'पूल' में अधिक मात्रा में अनाज आये, और किसी भी निर्णय, जिससे उस 'पूल' को सहायता मिलाने से पश्चिमी बंगाल केरल और अन्य कमी वाले राज्यों को सहायता मिलेगी। अतः किसी भी बात को गलत नहीं समझा जाना चाहिये।

श्री हुकमचंद कछवाय—**खड़े हुये** –

सभापति महोदय : श्री कछवाय स्पष्टीकरण चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena): The hon. Minister has stated that the Soviet Union has supplied 2 millions tonnes of foodgrains but is it true that the Soviet Union has supplied that foodgrains to India after purchasing it from the U.S.A. earning some profit thereby?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यह आरोप लगाना श्री कछवाय के लिये उचित नहीं है । सोवियत संघ ने जो गेहूं दिया है उसका 50 प्रतिशत तो उसका स्वंय का है तथा शेष 50 प्रतिशत कनाडा और आस्ट्रेलिया से आयेगा। इसमें हमें घाटे में रख कर मुनाफा कमाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसपर जो भाड़ा लगेगा उसे भी परस्पर बांटा जायेगा।

श्री जार्ज ने दक्षिणी जोन की स्थापना के बारे में पुछा। इस संबंध में दक्षिणी राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है और दक्षिणी राज्यों की सहमति के बिना भारत सरकार के लिये कोई निर्णय करना कठिन है । **(व्यवधान)**

श्री बसंत साठे (अकोला): मुझे आशा है कि इस वर्ष पर्याप्त बफर स्टाक होगा **(व्यवधान)** ।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: श्री साठे ने बिल्कुल संगत बात कही है। जब हम वसूली करते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि कुछ भी बेकार न जाये और हम सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें **(व्यवधान)**

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कसरगोड) : क्या केरल के लिये गेहूं का कोटा बढ़ाया जायेगा ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : यदि हम केरल को अधिक चावल दे सके तो हमें अधिक प्रसन्नता होगी ।

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 20 नवम्बर, 1973/29 कार्तिक, 1895 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित ई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday 20th November, 1973/ Kartika 29, 1895 (Saka)

MGIPRRND II Day—37 LSS/73—31-1-74—490